सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

16 मार्च, 2021

सप्देश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 16 मार्च, 2021 ई0

द्वितीय सत्र — 25 फाल्गुन, 1942 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्प सूचित प्रश्न लिए जायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, दैनिक जागरण में छपा है मंत्री जी के पुत्र पूरे पूर्णिया में निरीक्षण कर रहे हैं पूरी सरकारी सुविधा के साथ । पूरे सूबे के अंदर आए दिन महोदय, मंत्री जी के पुत्र, मंत्री के भाई इस तरह के काम कर रहे हैं । यही सुशासन बाबू हैं, यही सुशासन का आईना है महोदय ।

अध्यक्ष : श्री पवन कुमार जायसवाल ।

(व्यवधान)

प्रश्न काल के बाद उठाइयेगा । श्री पवन कुमार जायसवाल । मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्प सूचित प्रश्न सं0-'क' 16 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र सं0-21 ढाका)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसे आपदा प्रबंधन विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है ।

(इस अवसर पर सी.पी.आई.(एम0एल0) के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । कार्य स्थगन के समय बोलियेगा ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये माननीय सदस्य । कार्य स्थगन के समय में अपनी बात को रखेंगे । अब प्रश्नकाल होने दीजिये । जाईये, बैठ जाईये ।

(इस अवसर पर वेल से सी.पी.आई.(एम0एल0) के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर चले गए)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तीसरी बार सदन में आया है । इसके पहले माननीय मंत्री जी ने समय लिया था । दूसरी बार ये आपदा विभाग में स्थानांतरित हुआ और वहाँ से वन विभाग में हुआ फिर मंत्री जी ने समय लिया और यह चौथी बार है

और मंत्री जी कह रहे हैं कि आपदा में स्थानांतरित कर दिया गया । अधिकारी अगर हमलोगों को गुमराह कर रहे हैं, सदन को, तो आपके संरक्षण की जरूरत है । यह सुशील मोदी जी जब वन मंत्री जी थे ये उनका जवाब है वन विभाग का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर्प दंश पर 5 लाख रुपया देने का प्रावधान है । यह राज्य में लागू नहीं है, फिर माननीय मंत्री जी इस मामले को आपदा में दे रहे हैं और आपदा विभाग की मंत्री जी बैठी हैं और फिर वन विभाग में दे रहे हैं तो आपका संरक्षण चाहिए कि यह मामला किससे जुड़ा हुआ है और जब वन मंत्री जी का भी जवाब है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं राज्य के सर्प दंश के मामले में लोगों को पैसा मिल पा रहा है ? हम सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि इस मामले में सभी सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए और यह सर्वसम्मति का मामला है । अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण की जरूरत है और वन विभाग के पदाधिकारी की मंशा सही नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वन एवं पर्यावरण ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, हम भी कोशिश किए थे कि इस सवाल का जवाब आ जाय। महोदय, जो माननीय सदस्य सवाल किए हैं, उस सवाल का अवलोकन कर लिया जाय। इन्होंने पूरा-पूरा आपदा प्रबंधन विभाग से मांगा है इसलिए आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी है कि इसको देखें, हम लोग प्रयास करेंगे कि सवाल का जवाब हो ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन इस प्रश्न को, जो आया था, मैंने स्पष्ट जवाब दिया कि जिस समय बाढ़ आती है, उस समय सर्प दंश काटने के बाद उन्हें 4 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन ऐसे दिनों में जिस समय बाढ़ आपदा न रहे, ऐसे दिनों में अगर सर्प दंश होते हैं, तो उनको यह पैसा नहीं मिलता है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट सुशील मोदी जी वन मंत्री का जवाब है, इसी सदन में डेढ़ साल पहले माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि सर्प वन्य जीव प्राणी है और ऐसे मामलों में 5 लाख रुपया देय होगा । मेरा यह कहना है कि जब वन मंत्री जी का जवाब हुआ, उप मुख्यमंत्री थे उस समय के आखिर विभाग ने इसका अनुपालन क्यों नहीं किया । वन मंत्री जी इस मामले में जवाब देना चाहेंगे ?

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, अभी जो ये सवाल किए हैं, ये पूरी तरह आपदा विभाग से मांग रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट से मांग ही नहीं रहे हैं । सवाल स्पष्ट है कि ये तो आपदा विभाग से जवाब मांग रहे हैं तो आपदा ही तय करेगा, महोदय ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर यह डिपार्टमेंट से मांग ही नहीं रहे हैं ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का अवलोकन किया जाय, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आपदा प्रबंधन विभाग से मांग रहे हैं । इसलिए आपदा प्रबंधन से सीधे तौर पर मांगा जाय ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आप बैठ जाईये । माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी ।

श्री नन्द किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि यह प्रश्न जब आया था, तो आपदा प्रबंधन विभाग से ही प्रश्न किया गया था और माननीय मंत्री ने जवाब भी दिया था, जो उन्होंने दिया था, लेकिन जिन प्रश्नों को फिर से पवन जी खड़ा कर रहे हैं, उसी आधार पर बात यह हुई थी कि वन पर्यावरण विभाग ने इसको जंगली जीव मान कर इसके लिए भी प्रावधान करने की व्यवस्था के बारे में विचार किया है और इसीलिए इसको ट्रांसफर किया गया । तो वन पर्यावरण मंत्री जी नहीं कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन से किया गया सवाल है, यह सवाल तो था ही, लेकिन इसको ट्रांसफर किया गया है और मुझे लगता है कि थोड़ा होम वर्क कम हुआ होगा, मेरा आग्रह होगा आपदा प्रबंधन मंत्री, वन पर्यावरण के मंत्री अपने विभाग के प्रधान सचिवों के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान करें । महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है, यह विषय किसी एक सदस्य का नहीं है महोदय, यह पूरे राज्य के अंदर का विषय है और जब एक बार सदन के अंदर किसी माननीय मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम ऐसा करेंगे तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों मंत्री और दोनों प्रधान सचिव बैठ कर, इसका निर्णय करें, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो जाय, तो निदान हो सकता है ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाईये बहुत अच्छा सुझाव आया है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय नंद किशोर यादव जी ने सही कहा है । पिछली बार आपदा से पूछा गया था, आपदा में व्यवस्था है कि जब आपदा आयेगी, तब ही देखा जायेगा ..

अध्यक्ष : आपको क्या कहना है वह न बता दीजिये ।

श्री संजय सरावगी : एक मिनट में मैं बात समाप्त करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो लाईन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ । मेरा ही प्रश्न था अल्प सूचित, जो तत्कालीन वन मंत्री और विभाग में उप मुख्यमंत्री जी ने जो दिया था कि नियम के तहत अगर कोई आवेदन करेगा– तो सर्प दंश के मामले में वन विभाग 5 लाख रुपये का मुआवजा देगा, इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए और सर्प दंश से मौत वन्य प्राणी के अंतर्गत आती है,

इसीलिए वन्य प्राणियों की मौत में पाँच लाख का मुआवजा है । इसलिए सर्प दंश में भी पाँच लाख का मुआवजा राज्य में दिया जायेगा, तो मैंने कहा कि सदस्यों को जानकारी नहीं है, तो उन्होंने कहा था इसी विधान सभा में, सदस्यों को जानकारी नहीं है तो हम क्या करें, आप एप्लाई करिये, पैसा मिलेगा और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए माननीय मंत्री जी ने पिछली बार समय लिया, उन्होंने कहा कि मुझे तैयारी होने में लेट हुई, एक दिन पहले ही प्रश्न आया है और फिर आज आ गया । अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पदाधिकारी गुमराह कर रहे हैं और आठ दिन के बाद आकर बोलते हैं विभाग को देना है, नहीं देना है वह विषय अलग है लेकिन यह कहना आठ दिन के बाद कि यह वापस आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरण कर दिया गया, जब कि पिछली बार वन विभाग के माननीय मंत्री जी ने समय लिया था यहाँ पर कि हम अगली बार जवाब देंगे और आज फिर गुमराह करने में और इसको आपदा में भेज देना यह कतई उचित नहीं है । इसमें अगर तैयारी नहीं है तो अगली बैठक में रखा जाय, क्योंकि इसमें आपदा के अलावा वन विभाग को ही पैसा देना है तो वन विभाग ही बताये, अगली जो भी डेट आप तय कर दीजिये कि इसमें जो है वन विभाग इतना बड़ा पूरे देश में मैसेज गया था । अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 20-20 मिनट की स्टोरी चलायी थी इस मामले में और अधिकारियों का बनाया हुआ जवाब था अध्यक्ष महोदय, जो जवाब माननीय मंत्री पढ़ते हैं, वह अधिकारियों का बनाया हुआ रहता है और पिछली बार जो उत्तर दिया गया अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस पर वन विभाग को ही जवाब देना चाहिए ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है । जब राज्य सरकार के तत्कालीन मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री की घोषणा है और लोगों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है और फिर वही सरकार है और फिर जवाब दे रही है कि यह हमारे पास नहीं है, ये फलां विभाग में है, यह फलां विभाग में तो हमको लगता है कि तत्कालीन उप मुख्य मंत्री XXXX

अध्यक्ष : बैठिए, किसी की अनुपस्थिति में इस तरह के शब्द आप न रखें और प्रोसीडिंग्स का पार्ट भी नहीं बनेगा ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में वैधानिक पहलू पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ सदन का । महोदय, सर्प जो है वन जीव संरक्षित अधिनियम से संरक्षित और सरकार द्वारा पोषित प्राणी है । कोई व्यक्ति सांप की हत्या करता है तो वन संरक्षण अधिनियम

की धारा 43, 48, 49 एवं 51 के तहत नन बेलेबुल धारा उसपर दर्ज होती है । जब सरकार ने संरक्षण दिया है, पोषित किया है अगर सर्प काटता है तो उसका मुआवजा और उसकी भरपाई करने का सरकार का कर्त्तव्य है । सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती है, सरकार ने इसको संरक्षण दिया है इसलिए सरकार इसपर एक्शन ले ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, गंभीर प्रश्न है, महोदय । पूरे सदन की भवना है और आसन से मेरा आग्रह होगा कि आप अपने स्तर से दोनों विभाग के मंत्री जी और आप बैठ कर, यह राज्य की गरीब जनता से प्राय: जुड़ा हुआ है, इसको अपने संज्ञान में लेकर, चूँकि सरकार का उत्तर नहीं आता है इसलिए इसको आप अपने स्तर से दिखवा लें ।

XXX इस अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

टर्न-2/पुलकित-अभिनीत/16.03.2021

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, दोनों विभागों के मंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ संसदीय कार्य मंत्री बैठकर इसके समाधान के लिए पहल कर सदन को अवगत करायेंगे ।

श्री संजय सरावगी: महोदय, एक तारीख निश्‍चित कर दी जाय । चलते सत्र में....

अध्यक्ष: बैठ जाइये, एक बार हमलोग बात कर लेंगे । अब इतना सकारात्मक हो गया, अब आगे का प्रश्न है । भाई वीरेन्द्र ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 55 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0-187, मनेर)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सरकारी विद्यालयों में वर्ग 01 से 08 तक सभी छात्र-छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है । निजी विद्यालयों में शुल्क का निर्धारण अलग-अलग है ।

उल्लेखनीय है कि निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालय के प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है । निजी विद्यालयों के संचालन हेतु संसाधन आंतरिक स्रोत से उपलब्ध होता है । इनके शुल्क के नियंत्रण हेतु बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 प्रभावी है । उक्त पृष्ठभूमि में निजी विद्यालयों के संचालकों पर कार्रवाई का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

महोदय, हम उनके शुल्क पर नियंत्रण तो रखते हैं लेकिन वह बिल्कुल माफ कर देना, इसके लिए किसी नियम के तहत सरकार को अभी यह अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं तो देखेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, यह पूरे बिहार का मामला है किसी एक विद्यालय का मामला नहीं है । महोदय, निजी विद्यालय कोरोना काल में बंद थे लेकिन कोरोना काल का भी पैसा इनके द्वारा अभिभावकों से वसूला जा रहा है । महोदय, माननीय मंत्री यह बतायें कि अभिभावकों से वसूली गई फीस को वापस कराने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, जैसा कि हमने बताया अभी जो नियम हैं उसके तहत सरकार को निजी विद्यालयों के प्रबंधन से अभिभावकों से वसूली गयी फीस की राशि वसूलने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इसलिए मैंने कहा है कि जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं हम समझते हैं कि पूरे सदन की भी भावना यही होगी कि पढ़ाई नहीं हुई है तो फीस नहीं लगनी चाहिये । वैसे जो संबंधित विद्यालय हैं वे आनलाईन पढ़ाई से लेकर अन्य चीजों का हवाला देते हैं । माननीय सदस्य का प्रश्न आया तो हमने इस विषय में तहकीकात की थी लेकिन वे लोग ऑनलाईन पढ़ाई से लेकर अलग-अलग चीजों का जिक्र करते हैं । यह बात सही है कि यह पूरे राज्य से संबंधित प्रश्न है और वे अभिभावक जिनके बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके हित का प्रश्न है, इसलिए महोदय, हमलोग देखेंगे कि सरकार की तरफ से क्या किया जा सकता है, यह हमलोग जरूर देखेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, जब निजी विद्यालय मनमानी करते हैं तो क्या सरकार हाथ-पर-हाथ रखकर बैठी रहेगी ?

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका पूरक क्या है ?

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, पहले हम बता देना चाहते हैं...

अध्यक्ष: निजी विद्यालयों के लिए इसकी क्या नीति है, यही पूरक है न आपका ?

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, निजी विद्यालयों का सरकार साथ दे रही है कि पब्लिक का दोहन-शोषण करे ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिए । डायरेक्ट पूरक पूछिए, समय कम है ।

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, मेरा कहना है कि आखिर सरकार क्या चाहती है ? सरकार यही चाहती है कि पब्लिक का दोहन-शोषण होता रहे । यही मैं जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, जहां तक माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र जी ने कहा है कि सरकार क्या चाहती है तो महोदय, यह वर्तमान सरकार की ही देन है कि आज तक निजी विद्यालयों में शुल्क हो उसके विनियमन के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था । यह वर्तमान सरकार की ही उपलब्धि है कि हमलोगों ने 2019 में यह नियम बनाया है । हालांकि उसके तहत मनमाने ढंग से फीस बढ़ाना, जिसकी शिकायत बराबर आती थी कि वे लोग फीस बढ़ाकर रखते हैं फिर अचानक से किसी साल मनमाने ढंग से बढ़ा देते हैं, लेकिन महोदय, यह वर्तमान सरकार की ही उपलब्धि है कि मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर नियंत्रण करने के लिए हमलोगों ने विनियमन कानून बनाया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: ठीक है, श्री संजय सरावगी ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, माननीय सदस्य, भाई वीरेन्द्र जी का जो प्रश्न है, यह कोविड काल का है, सामान्य परिस्थिति का नहीं है । एक तो गार्जियन बहुत परेशान हैं, हम माननीय मंत्री जी से इतना ही कहते हैं कि कोई आप नियम बनाकर.....

श्री संदीप सौरभ: महोदय, बस का किराया भी लिया जा रहा है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इस विषय को दिखवा लीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, आप कोई कड़ा कानून लगाकर के गार्जियन को राहत देना चाहते हैं या नहीं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, इसीलिए तो हमने कहा है कि ये कोविड काल की विशेष परिस्थिति का मामला है, इसलिए इसको विशेष रूप से देखेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है, देख लेंगे ।
मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन ।

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न सं0-56 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83, दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री: महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से 5 फुल बॉडी स्कैनर (एफ0बी0टी0एस0) की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था, किंतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सिर्फ एक एफ0बी0टी0एस0 की सहमति दी गई थी तथा इसके अधिस्थापन के लिये स्थान संसूचित करने का निदेश दिया गया था । राज्य में अंतर्राज्यीय पांच समेकित जांच चौकी यथा

कर्मनाशा (कैमूर), डोभी (गया), बलथरी (गोपालगंज), रजौली (नवादा) एवं दालकोला (पूर्णिया) कार्यरत हैं । किसी एक चेक पोस्ट पर एफ0बी0टी0एस0 लगाने से अपेक्षित लाभ प्राप्त होने की संभावना कम थी । अतएव सम्यक विचारोपरांत इस व्यवस्था को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया और उपर्युक्त चेक पोस्टों पर सी0सी0टी0वी0 के द्वारा सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा 24×7 जांच की जा रही है ।

उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष: उत्तर मुद्रित है, आप पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी: महोदय, सरकार चाहती भी है शराब रोकना और सरकार अभियान के तहत पूरे बिहार में काम भी कर रही है कि शराब ....

अध्यक्ष: आपका पूरक क्या है, पूरक पूछिये ?

श्री संजय सरावगी: महोदय, पूरक यही है कि तत्कालीन प्रधान सचिव के0के0 पाठक जी थे, उस समय यह योजना बनी थी । सरकार ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है कि फुल बॉडी ट्रक स्कैनर लगाने का उस समय निर्णय हुआ था । इसमें लिखा हुआ है कि एक ही स्कैनर की भारत सरकार ने अनुमति दी थी तो मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पुन:, क्योंकि सब जगह गोदाम भी मिल रहे हैं शराब के, ट्रक मिल रहे हैं शराब के और एक समस्या है....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पूरक पूछिये । समय समाप्त हो रहा है ।

श्री संजय सरावगी: महोदय, पूरक यही है कि सरकार ने भारत सरकार से कब आग्रह किया था, भारत सरकार ने कब इसको रिजक्ट किया, कब इसकी अनुमति दी और क्या पुन: क्योंकि सब जगह शराब मिल रही है तो क्या पुन: भारत सरकार से विभाग आग्रह करेगा कि यह स्थिति राज्यों की है तो ट्रक स्कैनर लगाने की अनुमति दी जाय ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री: महोदय, तत्काल ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम पुन: भारत सरकार से इसे मांगे । इसका एक प्रैक्टिकल पहलू है, इसे समझने की कृपया कोशिश करिये । जिस तरह से आप जब भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको बहुत वक्त लगता है, एक ही प्लेन के पैसेंजर को उनका लगेज और चैकिंग करने में । इसी तरह एक चेक पोस्ट से हजारों की संख्या में ट्रक आते हैं, इसलिए इसके विकल्प के लिए, हमलोगों ने जवाब में दिया है कि वहां सी0सी0टी0वी0 कैमरा, पॉट्र्स इत्यादि और जो भी बरामदगी हुई है, मैं बताना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि बिहार में या बिहार के बाहर वह आद्य-सूचना, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हुई हैं । महोदय, मात्र स्कैनर को लगाने

से कोई जरूरी नहीं कि बहुत उपलब्धि होगी और तत्काल ऐसी कोई योजना भी नहीं है, धन्यवाद ।

श्री संजय सरावगी: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा । महोदय, हिमाचल से, राजस्थान से, कश्मीर से सैकड़ों की संख्या में सब्जी और फलों के ट्रक हमलोगों के क्षेत्रों में आते हैं और बार्डर पर दस-दस फीट की रॉड से, उसको लगाकर साइड से चेक किया जाता है, तो फल वालों को काफी नुकसान होता है । महोदय, मैं यह नहीं कहता कि उसमें शराब नहीं आ रही होगी, जरूर आ रही होगी लेकिन जिस तरह से दस-दस फीट के रॉड से उस सब्जी और फल को ठोका जाता है उससे बड़ी मात्रा में फल खराब होते हैं और काफी दिक्कतें होती हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है, श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

श्री संजय सरावगी: इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि स्कैनर लग जाए, उस समय योजना बनी थी तो इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं ।

अध्यक्ष: ठीक है, माननीय मंत्री जी देख लीजिएगा ।

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री: महोदय, देख लेंगे अपने स्तर से इस विषय को ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-57 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित समय-सीमा (दिनांक 31.03.2020) के अंदर राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान करने से उत्पन्न अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 383.5 करोड़ केन्द्रांश के रूप में प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया ।

उपर्युक्त राशि के प्रतिपूर्ति के साथ ही सरकार द्वारा ससमय केन्द्र सरकार को संपूर्ण राशि के स्वीकृत एवं विमुक्त होने की सूचना दे दी गई तथा अनुरोध किया गया कि कोविड-19 महामारी के आलोक में देशव्यापी संपूर्ण लॉक डाउन होने के कारण यू0जी0सी0 रेगुलेशन ।

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: महोदय, उत्तर अधूरा है । नीचे आकर कट गया है और दूसरा पेज ऑनलाइन नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष: ठीक है, अब समय समाप्त हुआ । आप अलग से उत्तर की कॉपी ले लीजियेगा । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

टर्न-3/हेमन्त-धिरेन्द्र/16.03.2021

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं0-'क'1095(श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र सं0-15, केसरिया)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया अंचल अन्तर्गत सरोत्तर खेताड़/चौर अवस्थित है । इसका रकबा 266 एकड़ है जिसमें 33.53 एकड़ भूमि बिहार सरकार की एवं 232.47 एकड़ रैयती भूमि है । शीत ऋतु में यहां बड़ी संख्या में देशी एवं प्रवासी पक्षी प्रवास करते हैं । साईबेरियन पक्षी यहां नहीं आते हैं । यहां आने वाले पक्षियों के चित्र के साथ झील से समीपस्थ बिन्दु पर एन.एच.-28 के किनारे पर्यटकों की जानकारी हेतु बोर्ड लगाया गया है । बोर्ड पर पक्षियों के अवैध शिकार के लिए वन्यप्राणी(संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत दंडात्मक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है ।

झील में आने वाले पक्षियों की सुरक्षा के लिए नवम्बर माह से फरवरी माह तक मोतिहारी वन प्रमंडल के वन कर्मियों द्वारा गश्ती कार्य तथा लाउड स्पीकर से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है साथ ही अवैध शिकार में संलिप्त अपराधियों की धर-पकड़ हेतु छापामारी भी की जाती है । इसके तहत दिनांक-26.01.2021 को बलुआ रघुनाथपुर पुल के पास से पक्षियों के अवैध शिकार एवं व्यापार में संलिप्त तस्कर, मुस्लिम मियां, जो तुरकौलिया के बेलवा गांव का है, को पक्षी मांस, 10500/- रु0 नकद एवं एक मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है ।

कुछ वर्ष पहले तक इसमें शिकारमाही किया जाता था, जिसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है । शिकारमाही पक्षियों की सुरक्षा एवं उनके प्रवासन में व्यवधान उत्पन्न करता था ।

देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 बनाया गया है । इसके अन्तर्गत आर्द्रभूमियों का उपयोग गैर आर्द्रभूमि कार्यों के लिए किया जाना वर्जित किया गया है साथ ही चिन्हित आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं विकास हेतु कार्य योजना बनाकर उन्हें लागू किया जाना है । आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को परामर्श एवं अनुशंसा देने के

लिए बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकार का गठन मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में किया गया है ।

राज्य में 100 हेक्टेयर से बड़ी 133 आर्द्रभूमियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें पूर्वी चम्पारण जिला का सरोत्तर खेताड़/झील भी सम्मिलित है । इन आर्द्रभूमियों का ब्रीफ डोक्यूमेंट, हेल्थ कार्ड एवं समेकित प्रबंधन योजना चरणबद्ध रूप से तैयार किया जा रहा है साथ ही आर्द्रभूमि मित्र भी बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी रैयतों की भी सहमति ली जायेगी । इस सरोत्तर की भूमि तथा चारों ओर रैयती भूमि होने एवं इनमें धान की सघन खेती होने के कारण इसके सौंदर्यीकरण की योजना क्रियान्वित करना संभव नहीं है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, लंबे जवाब को ऑनलाईन डाल दें ताकि पूरक पूछने के लिए समय बच सके ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : मेरा पूरक है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको पर्यटक स्थल में तब्दील नहीं कर सकते हैं । ऐसी बात नहीं है । मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वहां पर अधिकारियों को भेजें, वहां जाकर उसका निरीक्षण करें, बहुत ही सुंदर जगह है..

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी देख लीजिए । श्री मनोज मंजिल ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, मैं कहना चाहती हूं...

अध्यक्ष : देख लीजिएगा । जो सुझाव आपने दिया है मंत्री जी उसको देख लेंगे ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, एक और सुझाव है, एक और पूरक है । क्या माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है जल-जीवन-हरियाली, उसके तहत, उसका सौंदर्यीकरण करके, उसको पर्यटक स्थल में डेवलप किया जाय ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, आर्द्र भूमि है, इसको वेटलेंड बोलते हैं । महोदय, उसके चारों तरफ रैयती भूमि है और वहां पर डेवलप करना मुश्किल है, जो पक्षी वहां हैं, वह भी डिस्टर्ब हो जायेंगे । फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, देखवा लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1993(श्री मनोज मंजिल, क्षेत्र सं0-195, अगिआंव(अ0जा0))</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि माध्यमिक यानी वर्ग-9 एवं 10, उच्च माध्यमिक यानी वर्ग-11 एवं 12 के विद्यालय हेतु सैंतीस हजार...

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछ लीजिए । उत्तर तो दिया हुआ है ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, मेरे पास नहीं है ।

अध्यक्ष : ऑनलाईन उत्तर आया है ।

श्री मनोज मंजिल : कृपया, पढ़ दें, मंत्री महोदय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उत्तर तो एक लाईन का है कि जो परीक्षाफल आप चाह रहे थे वह कब तक प्रकाशित होगा, वह हो चुका है । आपने भी अखबार में देखा होगा कि जो आपकी चिंता थी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वह पूछ रहे हैं कि कब तक होगा, आप तीसरे पर आ गये । बैठिये । श्री शमीम अहमद।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, पूरक है मेरा । मेरा कहना है कि सेंट्रलाइज्ड ऑनलाईन जिलावार सूची बनवा कर...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, पूरक है मेरा, पूरक है ।

तारांकित प्रश्न सं0 - 1994 (श्री शमीम अहमद, क्षेत्र सं0-12, नरकटिया)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये । आपका ऑनलाईन का जवाब कहां है ?

श्री शमीम अहमद : महोदय, आते वक्त नहीं मिला था जवाब । जवाब बुलवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ऑनलाईन जवाब गया है, आपने नहीं देखा है ?

श्री शमीम अहमद : नहीं देखा हूँ, महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत छौड़ादानों ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण से प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक-415, दिनांक 01.03.2021 द्वारा की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री संजय कुमार गुप्ता । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, संजय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठिये आप ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, संजय कुमार गुप्ता जी का ?

अध्यक्ष : हाँ ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2011...

श्री मनोज मंजिल : महोदय, मेरा जवाब दिलवाइये । मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं मिला है, महोदय। मेरा राईट्स है महोदय ।

अध्यक्ष : आगे बोलिये । आपका आगे बढ़ गया, आप बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : जवाब की कॉपी ले लीजियेगा, उसमें मिल जायेगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वर्ष 2010-11 के बाद आवंटन देकर विद्यालयों में...

(व्यवधान)

इनका जवाब एक मिनट दे दें ।

अध्यक्ष : आपकी कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । आप पहले बैठिये और एक बात सुन लीजिये माननीय सदस्यगण, मैं आपको बता दूं कि जो हम विगत दिनों से देख रहे हैं, इस प्रवृत्ति को बदलना होगा । पिछले कुछ दिनों से मैं यह देख रहा हूँ कि चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्य हों, वह आसन को किसी न किसी पक्ष की तरफ बेवजह गाइड होने की बात कह रहे हैं । यह सरासर बेबुनियाद और गलत है । आप सभी बड़ी जिम्मेवारी से जुड़े हुए लोग हैं । आसन की विश्वसनीयता पर टीका-टिप्पणी करने से आप सब अपनी विश्वसनीयता खोते हैं । जनता बहुत संवेदनशील और सूक्ष्म समालोचक है, वह संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के मनोभाव को बड़ी आसानी से समझ लेती है । इस तरह की मानसिकता त्याग कर, हमारी सदन की गरिमा बढ़े, जनता का हित हो, इसके लिए आप अपनी-अपनी जिम्मेवारी के प्रति सजग रहें । मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक मान्यताओं में यह आसन सभी माननीय सदस्यों के हितों का संरक्षक है । पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने वाले आसन से सभी लोग प्रसन्न नहीं हो सकते, आसन नियमों और परम्पराओं से सर्वजन हिताय के साथ काम करता है और निर्णय लेता है । किसी पर सदन के अंदर व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप लगाने से पूर्व पूरी प्रमाणिकता के साथ आप लिखित रूप से आसन को

सूचित करें तथा आसन की सहमति पर ही मर्यादित ढंग से अपनी बात को रखें ताकि जिन पर आरोप लगे, उन्हें भी अपना लिखित और मौखिक पक्ष रखने का मौका मिले । आसन आप सब से आग्रह करता है कि सदन में आप संयमित और मर्यादित आचरण करें ताकि किसी की भावना आपके व्यवहार से आहत न हो, एक बेहतर संदेश जाय और अंत में माननीय सदस्यों से कहूंगा कि दबाव और प्रेशर बनाने वाले सदस्य अपनी बेहतर छवि को धूमिल करते हैं । ये कार्य कतई न करें । यह सभी याद रखें कि जीवन नश्वर है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु अटल है । जो आये हैं, वह जायेंगे । ऐसे में व्यवहार और कार्य ही हमलोगों को जिंदा रखेगा, यह ध्यान में रखें और जब आसन एक बार...

(व्यवधान)

नहीं । बोलिये माननीय मंत्री जी । नियुक्ति के संदर्भ में उनके सवाल का आप एक बार जवाब दे दीजिये, लेकिन आगे से ऐसा मत करियेगा । बोलिये, माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये । अगर आप फिर जिद करेंगे तो आपको सदन से बाहर कर देंगे, बता देते हैं ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, श्री वीरेंद्र बाबू ।

टर्न-04/सुरज-संगीता/16.03.2021

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, आज बात हो रही थी...

अध्यक्ष : बैठ जाइये आप, बैठ जाइये, अब इनको बोलने दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, किनका उत्तर दें ।

अध्यक्ष : उनके पूरक का जवाब दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखिये की आगे जब आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे नहीं लौटेंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि आसन से जो आपने नियमन दिया है उससे तो अलग सदन के किसी सदस्य को नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपने सगुण और निर्गुण दोनों शब्दों में समझा दिया है और महोदय, जहां तक श्री मनोज मंजिल जी के पूरक का प्रश्न है, इन्होंने कहा है कि ये नियुक्तियां कब होंगी ? आपका वाजिब प्रश्न है । आपको और सदन को हम बताना चाहते हैं कि हमारे छठे चरण की नियुक्ति भी न्यायालय के द्वारा रुकी हुई है । ये सातवें चरण की नियुक्ति हेतु हमने एस0टी0ई0टी0

की परीक्षा ली थी । जो प्रश्न था और वह हमलोगों के बहुत ही सफल प्रयास पर, काफी हमलोगों ने अथक कोशिश की तब जाकर न्यायालय से इजाजत लेकर हमलोगों ने रिजल्ट निकाला है और जो छठे चरण की भी नियुक्ति रुकी हुई है, उसमें भी हमलोगों ने सरकार की तरफ से न्यायालय में आई0ए0 फाइल करके, मेंशन करके, स्पेशल मेंशन अपने ए0जी0 साहब से कराकर 5 अप्रैल को लिस्टेड है । हम आशा करते हैं कि वह इजाजत हमें मिल जाती है । छठे चरण में हमलोग लगभग सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं और उसके बाद ये चरण जो है सैंतीस हजार, इनकी भी नियुक्ति हो जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1995 (श्री संजय कुमार गुप्ता, क्षेत्र सं0-30, बेलसंड)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2010-11 के बाद भी विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कार्य हुआ है और जहां तक निर्माण हेतु राशि का प्रश्न है यह तो विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होता है या तो विद्यालय के विकास कोष में जो उपलब्ध राशि होती है, उससे भी होता है, मनरेगा योजना के अंतर्गत उपलब्ध राशि से भी होता है, माननीय सदस्यों के लिए जो योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में उपलब्ध राशि है, उससे भी होता है और विभाग के द्वारा भी किया जाता है । इसलिए महोदय, अलग-अलग विद्यालयों में अलग-अलग योजनाओं से निर्माण किया जाता है और वर्ष 2010-11 के बाद भी कराया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहते हैं कि जब वर्ष 2011 तक की योजना थी कि स्कूल की चहारदीवारी बनेगी, आपने बताया कि मनरेगा से काम होगा, कैसे होगा ? जो प्रमुख हैं, आप तो पारित ही नहीं किये हैं कि मनरेगा से स्कूल में ही खर्च होगा । आप सिर्फ सदन को गुमराह करते हैं कि मनरेगा से काम होगा, विधायक फण्ड से काम होगा । तो हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि आप आश्वस्त कीजिये कि आप अपने फण्ड से ही काम करवायेंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने जो कहा शायद माननीय सदस्य ने उसमें कुछ जोड़कर सुन लिया । संजय जी, कई स्रोतों का नाम हमने लिया, आप उसमें एक मनरेगा पर ही अटक गए और अटक ही नहीं गए, हमने तो कहा मनरेगा के तहत भी कराया जाता है इन्होंने सुन लिया कि मनरेगा के तहत ही कराया जाता है, हमने 'भी' कहा है 'ही' नहीं कहा है यह पहली बात और दूसरी बात जो आपका कहना है कि वर्ष 2010-11 के बाद से नहीं हुआ है, मेरे पास आंकड़े भी हैं कितने विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण का कार्य हुआ है और आपसे जो हमने कहा है, जो सरकार की नीति या प्रावधान नहीं होता है उन

बातों का जिक्र हम नहीं करते हैं और जब हमने मनरेगा की बात कही है तो मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं और मनरेगा के तहत भी चहारदीवारी का निर्माण कार्य किया गया है, हम यही बताना चाहते हैं ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : एक मिनट महोदय । माननीय मंत्री जी, इसका मतलब हुआ कि आप सिर्फ अपने डिवीजन से काम नहीं करायेंगे, सरकार का विधायक फंड हो या मनरेगा हो...

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । मंत्री जी बहुत डिटेल में बता दिये, कई सोर्स बताए...

श्री संजय कुमार गुप्ता : महोदय, 5-10 स्कूल जो हमारा है उसकी चहारदीवारी नहीं है, हम कहां से खर्च करेंगे, वहां के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं । अब सरकार आपकी है तो...

अध्यक्ष : श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : महोदय, हम वही कह रहे हैं कि आप अपने मन से करवाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-1996 (श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र सं0-79, गौड़ाबौराम)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अवर निबंधन कार्यालय, बिरौल, वर्तमान में बिरौल अनुमंडल में अवस्थित पुराने जिला परिषद के कार्यालय भवन में सुचारू रूप से कार्य करने के पूर्व, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, संरचना प्रमंडल, दरभंगा से सभी आवश्यक कार्यों का जीर्णोद्धार कराकर दिनांक-01.09.2020 से कार्यरत है।

2- समाहर्ता द्वारा अंचलाधिकारी को भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है । भूमि की उपलब्धता के उपरांत भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह निवेदन है कि वे जल्द से जल्द वहां भवन निर्माण करवायें ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-1997 (श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र सं0-56, अमौर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में मैट्रिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में उर्दू विषय को अनिवार्य की श्रेणी में रखा गया है । इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

मैट्रिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत मातृभाषा के विषयों यथा, हिन्दी, उर्दू, बंगला एवं मैथिली और द्वितीय भारतीय भाषा के विषयों यथा संस्कृत, हिन्दी, अरबी,

परसियन एवं भोजपुरी की परीक्षा ली जाती है । उक्त व्यवस्था के अनुरूप समिति विगत कई वर्षों से मैट्रिक परीक्षा का आयोजन करती आ रही है और भविष्य में करेगी ।

अध्यक्ष : श्री अखतरूल ईमान जी, उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने जवाब दिया है कि बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी जुबान है और मंत्री महोदय ने कहा कि हाँ उर्दू एम0आई0एल0 के तहत मैट्रिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत मातृभाषा के विषयों यथा-हिन्दू, उर्दू, बंगला एवं मैथिली और द्वितीय भाषा के विषयों एवं...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि इसको पढ़ाया जायेगा लेकिन अभी शिक्षा विभाग ने लेटर निकाला है जिसका लेटर नंबर-799, दिनांक-15.05.2020 है और उसमें लिखा है कि साईंस, सोशल साईंस, मैथ, हिन्दी और इंग्लिश को मानक मंडल इसने बनाया है और उसमें उर्दू का नाम नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार-बार कहा है कि हरेक स्कूल में उर्दू के टीचर की बहाली होगी । उर्दू दूसरी सरकारी भाषा है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछेंगे ? तीसरी बार पूछ रहे हैं ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं । क्या अन्य भाषा की कोटि से हटाकर इसको लेटर नंबर-799 में शुद्धि करते हुए उर्दू को भी जोड़ने का विचार रखते हैं माननीय मंत्री जी...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हम आभारी हैं जो हमने आपका उत्तर दिया है और हम ही नहीं, सरकार ही नहीं, ये सदन ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता आपकी आभारी रहेगी कि जो प्रश्न आपने पूछा है, आप अन्य विषय की बात कहते हैं उर्दू मातृभाषा की श्रेणी में शामिल है । अभी जो सरकार का और हमारा बी0एस0ई0बी0 का पाठ्यक्रम है, उसमें जिस तरीके से हिन्दी है उसी श्रेणी में उर्दू को रखा गया है, मातृभाषा की श्रेणी में और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के हम आसन से भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो माननीय सदस्य ने पूछा है, हमसे भी कई लोगों ने पूछा है, यह महोदय आश्चर्य का विषय होता है कि जब इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, न कोई लेटर निकला है, अभी तुरंत जो परीक्षाएं सम्पन्न हुई हैं, 22 फरवरी को, अभी जो खत्म हुआ है, उसमें मातृभाषा के रूप में, अनिवार्य भाषा के रूप में उर्दू की परीक्षा ली गई है । फिर उर्दू को अनिवार्य श्रेणी से हटाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है और आप अन्य विषय की बात क्या कहते हैं, उर्दू को तो हमलोगों ने हिन्दी के बगल

में मातृभाषा की श्रेणी में रखा है इसलिए कहीं भेदभाव की बात नहीं है सिर्फ भ्रामक और दुष्प्रचार करने वालों से सावधान रहना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अखतरूल ईमान : मैं फिर यह कह रहा हूं माननीय मंत्री जी से कि लेटर नंबर-799, दिनांक-15.05.20 का औचित्य क्या है जिसमें आपने साईंस, सोशल साईंस, मैथ, हिन्दी और इंग्लिश लिखा है और यह कहा है कि अन्य भाषाओं के 40 बच्चे जहां होंगे, तभी उसके शिक्षक बहाल होंगे, इसका औचित्य क्या है इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं तो प्रश्न तक ही केंद्रित था अगर वे जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं, उस पत्र को देंगे तो हम दिखवा लेंगे । लेकिन अभी हम यही कह रहे हैं कि जिस बात की चर्चा या जिसका जिक्र इन्होंने प्रश्न में किया है वैसी कोई बात नहीं है । ये बात जो उर्दू को अनिवार्य श्रेणी से हटा दिया गया है, यह बिल्कुल निराधार और भ्रामक है ।

...क्रमशः...

टर्न-5/मुकुल-राहुल/16.03.2021

क्रमशः

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अभी भी जो तुरन्त परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, उनमें मातृभाषा हिन्दी, उर्दू, बांग्ला है उनमें से एक है ।

अध्यक्ष: वे आपको पत्र देंगे, उसे आप दिखवा लीजिएगा ।

श्री शकील अहमद खां: प्रश्न का उत्तर आने दिया, अगर यह लेटर डिपार्टमेंट से निकला है और मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट के लोग होंगे तो अब डिपार्टमेंट के लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा आपके जवाब से । मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिपार्टमेंट ने यह लेटर दिया है तो उसको वह शीघ्र ही विथ-ड्रॉ कर लेंगे ।

अध्यक्ष: इन्होंने कह दिया है, उसे ये देख लेंगे । श्री सुरेन्द्र मेहता ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1998 (श्री सुरेन्द्र मेहता, क्षेत्र संख्या-142, बछवाड़ा)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत चमथा-2 पंचायत के गोपटोल महादलित मोहल्ला से 500 मीटर की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय चमथा-2 अवस्थित है, जिसमें वर्ग 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है ।

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है । श्री सुरेन्द्र मेहता जी पूरक पूछिए ।

श्री सुरेन्द्र मेहताः महोदय, वह महादलित का मोहल्ला है और वहां के बच्चों को 2 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है । हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि उस महादलित के मोहल्ले में विद्यालय को स्थापित किया जाय ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी । इन्होंने ऑनलाइन उत्तर नहीं देखा है, पढ़ दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, हमने उत्तर में कहा है कि वहां से 500 मीटर की दूरी पर ही एक हाई स्कूल है जिसमें पहली से लेकर दसवीं तक की पढ़ाई होती है । 500 मीटर की दूरी पर ही है, इसलिए माननीय सदस्य कह रहे हैं तो अभी तत्काल वहां पर खोलने का कोई विचार नहीं है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बता दिया है । आप बैठ जाइये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1999 (श्री ललन कुमार, क्षेत्र संख्या-154, पीरपैंती(अ0जा0)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्रीः उत्तर स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि कहलगांव अनुमंडल/ प्रखण्ड में 02 (दो) राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संचालित एवं कार्यरत हैं ।

वर्तमान में पीरपैंती प्रखंड के ईशीपुर बाराहाट में छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री ललन कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है । हमने माननीय मंत्री जी से अपने पीरपैंती में अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावास खोलने के लिए आग्रह किया था तो माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल को भटकाते हुए कहलगांव का रिफ्रेंस दे दिया और उन्होंने कहा कि पीरपैंती में उनका कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है । अध्यक्ष महोदय, हम पीरपैंती से आते हैं और हम एक रिजर्व...

अध्यक्षः जब विचार ही नहीं है तो फिर पूरक क्या ? आप बैठ जाइये, श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

(व्यवधान)

श्री ललन कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब भटकाने वाला है । मैंने पीरपैंती के बारे में पूछा उन्होंने...

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2000 (श्री मुरारी प्रसाद गौतम, क्षेत्र संख्या-207, चेनारी (अ0जा0)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड अन्तर्गत यदुनाथपुर पंचायत में अवस्थित जारादाग गांव कुल आबादी लगभग 200 है तथा 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 50 है । प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।

आगामी वित्तीय वर्ष में विहित प्रक्रियानुसार विद्यालय स्थापित कर दिया जायेगा।

अध्यक्षः उत्तर संलग्न है । आप पूरक पूछिये ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतमः माननीय मंत्री जी, मेरा पूरक यह है जैसा कि जवाब में आया है कि वहां पर 50 बच्चे हैं और 200 की आबादी है । कभी भी कहीं विद्यालय खोला जाता है तो उसे पोषक क्षेत्र माना जाता है । वहां पर दो गांव डुमरखोहा और जारादाग है और दोनों की आबादी 1,000 से ऊपर की है और बच्चों की संख्या 125 है । आपने स्वीकार किया है कि वहां पर विद्यालय खोला जायेगा, लेकिन पूर्व करीब 10 वर्षों से विद्यालय की मांग वहां चली आ रही है और हमेशा जवाब यही आता है कि अगले वित्तीय वर्ष में खोल दिया जायेगा । कब तक खोला जायेगा और इसकी तिथि निर्धारित की जाय कि अगले वित्तीय वर्ष में कब तक खोल दिया जायेगा, 2 महीने में या 6 महीने में, कितने दिनों के अंदर-अंदर वहां पर विद्यालय की स्थापना की जायेगी ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः हमने तो सरकार की तरफ से माननीय सदस्य की जो राय है उससे सहमति प्रकट की है । जहां तक विद्यालय खोलने की बात है इसकी प्रक्रिया माननीय सदस्य समझ लें तो विद्यालय खोलने में आसानी होगी कि विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पंचायत के स्तर से शुरू होता है, पंचायत समिति के माध्यम होकर डी0ओ0 के माध्यम से आता है और उसके लिए विद्यालय भवन बनाने के लिए भूमि भी चिन्हित करके पंचायत और समिति के माध्यम से भेजा जाता है । हम अपनी तरफ से भी निदेश दे रहे हैं और आप भी स्थानीय स्तर पर पहल कर दें हम लोग जल्दी से जल्दी खोलवा देंगे ।

अध्यक्षः श्री अमरजीत कुशवाहा ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतमः अध्यक्ष महोदय, एक मिनट समय दिया जाय ।

अध्यक्षः बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2001 (श्री अमरजीत कुशवाहा, क्षेत्र संख्या-106, जीरादेई)

अध्यक्षः माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि प्रोन्नति में आरक्षण के बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वाद लम्बित रहने के कारण राज्य सरकार के द्वारा सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियों एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित की गयी है । तद्आलोक में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है । रोक समाप्त होते ही विभागीय नियमानुसार प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: महोदय, जैसा कि हमको पता चला अन्य जिलों में प्रोन्नति के कार्य हुए हैं केवल...

अध्यक्ष: आप सीधे पूरक पूछिए । पूरक पूछने के बजाय अगर भूमिका बनाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूं । महोदय, मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है कि वाद न्यायालय में लंबित है तो हम यह चाहेंगे कि मंत्री महोदय बताएं कि इसमें सरकार क्या प्रयास कर रही है और इसका कब तक निपटारा किया जाएगा ?

अध्यक्ष: बता तो दिए डिटेल में ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: महोदय, डिटेल में नहीं बताएं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, हम समझते हैं कि इससे सदन के अधिकांश माननीय सदस्य अवगत होंगे कि यह कोई एक विभाग, शिक्षा विभाग का मामला नहीं है, हर विभाग में जो प्रोन्नति है चूंकि इसमें दो बिंदु, जो न्यायालय दो बिन्दुओं पर विचार कर रहा है एक तो आरक्षण के प्रावधानों पर और दूसरा जिसको हम परिणामी वरीयता कहते हैं, Consequential Seniority जो होती है इन दोनों बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है इसलिए उस मामले के निष्पादन तक सरकार ने प्रोन्नति देने के मामले को स्थगित कर दिया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2002 (श्रीमती किरण देवी, क्षेत्र संख्या-192, संदेश)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थित यह है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रश्नगत विद्यालय में प्लस-टू भवन के निर्माण हेतु 26 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे, उक्त निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसी के रूप में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भोजपुर को चिन्हित किया गया । उक्त राशि के उपयोग से यह निर्माण कार्य प्रथम तल के छत ढलाई के स्तर तक पूर्ण होने के उपरांत निर्माण कार्य रुक गया है अब उक्त विद्यालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु बी0एस0ई0आई0डी0सी0 के द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया है और अर्धनिर्मित भवन का निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जाएगा ।

श्रीमती किरण देवी: सर, कब तक करा दिया जाएगा ?

अध्यक्ष: करा लिया जाएगा, बोल दिए हैं । श्री सुरेन्द्र राम ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2003 (श्री सुरेन्द्र राम, क्षेत्र संख्या-119, गरखा (अ0 जा0))

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री: (1) स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा महादलित टोलों में सामुदायिक भवन सह वर्कशेड का

निर्माण दलित/महादलित बस्ती में सामाजिक कार्यों के निर्वहन के साथ-साथ बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2010 से योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । स्थल की उपलब्धता के आलोक में आच्छादित करने की कार्रवाई की जाती है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

इस योजना के अंतर्गत विगत 10 वर्षों में कुल 4898 इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें से 3845 इकाईयां पूर्ण हैं ।

(3) भूमि का अधिग्रहण कर सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । शेष स्थानों पर भी सरकारी भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है । सरकारी भूमि की उपलब्धता के आधार पर सामुदायिक भवन सह वर्कशेड का निर्माण कराया जाता है।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री विनय कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2004 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र संख्या-225, गुरूआ)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड के पलुहारा पंचायत के ग्राम औराडीह से पूरब में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रमुआचक (दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर), पश्चिम में मध्य विद्यालय नदियावॉ (दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर), उत्तर में उर्दू प्राथमिक विद्यालय बयदा (दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर) तथा दक्षिण में उत्क्रमित उच्च विद्यालय श्यामनगर नीमा (दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर) अवस्थित है । ग्राम औराडीह में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, गया से अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध होने के उपरांत विहित प्रक्रियानुसार प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा ।

टर्न-6/यानपति-अंजली/16.03.2021

श्री विनय कुमार: महोदय, इसमें था कि औराडीह में...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: क्या ?

अध्यक्ष: आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री विनय कुमार: महोदय, उत्तर देखे हैं, पूरक पूछना है इसमें ।

अध्यक्ष: आप इतनी देर पूरक पूछने में क्यों किये ?

श्री विनय कुमार: महोदय, खड़े हो गये मंत्री जी तो मैं कैसे बोलूं । आप ही बोलते हैं कि...

अध्यक्ष: ठीक है, बोलिये ।

श्री विनय कुमार: महोदय, हमने औराडीह में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए सर से अनुरोध किये थे । सर, बोले कि वहां पर 1.5 किलोमीटर में नीमा या रमुआ चक है । सभी जगह का लिखा हुआ है कि पूरब में आपका रमुआ चक है, पश्चिम में नदियाइन है 1.5-2.5 किलोमीटर, लेकिन वहां खोलने का प्रस्ताव है, इसके लिए जिला पदाधिकारी से हमलोग जमीन की मांग किये हैं लेकिन मुझे मालूम है कि वह पंचायत समिति से पारित किया हुआ है, वहां पर जमीन भी है महोदय, हमलोग चाहते हैं कि वह कब तक होगा क्योंकि ऐसे हमारे ब्लॉक में दर्जनों विद्यालय की मांग लगभग 10 वर्षों से लंबित है जबकि विधिवत अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि जब पंचायत या पंचायत समिति पारित करेगी, नियमानुकूल होगा तो खोला जायेगा, लेकिन सारे लोग नियमानुकूल उसको पंचायत से भी पारित किये हैं, लोग सदन में पंचायत समिति से भी पारित कर के भेजे हैं लेकिन आपके पदाधिकारी लोगों की लापरवाही से कहीं भी विद्यालय खुलने का काम मुझे तो लगता है कि 10 वर्षों में नहीं हुआ है...

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री विनय कुमार: महोदय, क्योंकि पांच वर्ष से वहां पर भी मेरी पत्नी प्रमुख है तो मैंने अपने ब्लॉक को देखा है । महोदय, इसलिए वह जल्द कैसे बनेगा क्योंकि बच्चे आज भी 2.5 किलोमीटर पैदल जाते हैं, छोटे-छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जो 2.5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर जायेंगे यह उचित नहीं है । महोदय, उसको कब तक खोला जायेगा या अगर इस तरह की लापरवाही हो रही है तो ऐसे पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे या क्या निर्देश देंगे, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि पंचायत समिति से पारित है आप उत्तर में देखिये, हमने जिला पदाधिकारी को निदेश दिया है कि अगर कोई भूमि चिन्हित की गई है तो उसकी सूचना शीघ्र दें आखिर सरकार आपकी मंशा से, आपकी मांग से सहमत हैं इसलिए तो हमने कहा है कि आपकी पंचायत समिति से जो पारित है वह कागजात, अन्य कागजात हमको उपलब्ध करा दीजियेगा, उस पर हम जिला से अनुशंसा मंगा लेंगे ।

श्री विनय कुमार: ठीक है । महोदय, हमको यही कहना था कि जब पंचायत समिति से विधिवत पारित हो जाती है तो वैसे जगह पर विद्यालय खुलना चाहिए, अगर हर विद्यालय को हमलोग सदन में लायेंगे तो दर्जनों विद्यालय हैं...

अध्यक्ष: ठीक है, सारा विषय आ चुका है ।

श्री विनय कुमार: महोदय, तो कैसे हमलोग लायेंगे यहां पर । इसलिए महोदय जो भी पारित हो हर प्रखंड में अपने जिले में उसको जल्द करवाने का निर्देश दिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है । इन्होंने आपका सुझाव ग्रहण किया है । श्री इजहारूल हुसैन । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2005 (श्री इजहारूल हुसैन, क्षेत्र संख्या-54, किशनगंज)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, यह कृषि विभाग को ट्रांसफर हुआ है ।

अध्यक्ष: कृषि विभाग को ट्रांसफर हुआ है । श्री भूदेव चौधरी ।

श्री इजहारूल हुसैन: महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी से दस से बारह हो गया खुलने का लेकिन जिनके नाम से खोला गया है, उनकी प्रतिमा अब तक नहीं लगाई गई है बड़े शर्म की बात है, लोग जाते हैं तो कहते हैं कि कोई स्टैच्यू लगा हुआ नहीं है बड़े अफसोस की बात है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक बनाने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष: यह ट्रांसफर हो गया है कृषि विभाग को । बैठ जाइये ।

श्री इजहारूल हुसैन: जी थैंक्यू ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2006 (श्री भूदेव चौधरी, क्षेत्र संख्या-160, धोरैया(अ0जा0))

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है प्रश्नगत विद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन बी0एस0ई0आई0डी0सी0 के द्वारा बनाया जा रहा है । उक्त प्राक्कलन की विहित प्रक्रिया अनुसार स्वीकृति देते हुये भवन निर्माण की कार्रवाई अगले वित्तीय वर्ष में की जायेगी ।

श्री भूदेव चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है इसके लिए मैं इनको तहेदिल से बधाई देता हूं लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूं आपको बांका जिला का वह राजकीय उच्च विद्यालय, जिला स्तरीय उच्च विद्यालय है और 1955 में इसकी स्थापना हुई है । अध्यक्ष महोदय, 22 एकड़ जमीन है उसके पास और...

अध्यक्ष: आप पूरक पूछ लीजिये, समय कम है ।

श्री भूदेव चौधरी: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके भवन के लिए तो प्राक्कलन तैयार हुआ है और अगले वित्तीय वर्ष में भवन बन जायेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा और व्यवस्था के

लिए चहारदीवारी की स्थापना सरकार करना चाहती है और अगर करना चाहती है तो कब तक करना चाहती है यह मैं जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, इसमें तो चहारदीवारी का जिक्र नहीं था लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं तो हम उसको भी अलग से दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2007(श्री मोहम्मद कामरान, क्षेत्र संख्या-238, गोविन्दपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सम्प्रति सिर्फ उन्हीं अनुमण्डलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं हैं ।

नवादा जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड रजौली अनुमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत आता है, जहां सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा चिन्हित भूमि को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है । भूमि हस्तांरित होते ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी ।

नवादा जिलांतर्गत गोविन्दपुर प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग । उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

श्री मोहम्मद कामरान: महोदय, गोविन्दपुर में डिग्री कॉलेज की जो हमारी मांग थी । महोदय, उसके बीच में सरकार की वह नीति आ गई कि अनुमंडल में एक ही कॉलेज की सरकार की नीति है उस हिसाब से रजौली में चिन्हित कर लिया गया है माननीय मंत्री जी ने बताया है उसके लिये धन्यवाद देते हैं लेकिन एक अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि अगर सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी नीति में अगर संशोधन करती है और एक से ज्यादा कॉलेज का अगर आपका विचार होता है तो हमारे गोविन्दपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की जो हमारी मांग है उसपर विचार करें धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-2008 (श्री जितेन्द्र कुमार, क्षेत्र संख्या-171, अस्थावाँ)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि +2 उच्च विद्यालय, सरमेरा को उपस्कर प्रयोगशाला सामग्री हेतु राशि निर्गत किया गया था । प्रधानाध्यापक द्वारा बिना विद्यालय प्रबंध समिति को अनुमोदन के सेवानिवृत्ति से पूर्व सामग्रियों का क्रय किया गया है तथा

सेवानिवृत्ति के बाद विद्यालय का प्रभार विधिवत रूप से नहीं सौंपा गया है । विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है । जांचोपरान्त नियमानुसार दोषी पाए जाने वाले सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

श्री जितेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, जवाब में आया है कि प्रधानाध्यापक बिना प्रबंधकारिणी के ही खरीद कर लिया और एक दिन पूर्व खरीद कर लिया और अभी तक चार्ज नहीं दिया और जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा को मैंने कई बार कहा है तो दोषी करार दिये जाने के बावजूद कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, कौन सी जांच करना चाहती है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, इसमें तो माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं प्रथम दृष्टया उन आरोपों को सरकार भी सही मानती है इसमें एक त्रि-सदस्यीय कमिटी बनायी गयी है विभाग के द्वारा और महोदय हम सरकार की तरफ से निदेश दे रहे हैं कि वह कमिटी एक महीने के अंदर रिपोर्ट दे और उस हिसाब से दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाय ।

श्री जितेन्द्र कुमार: महोदय, यह विद्यालय का मामला है और जिला शिक्षा पदाधिकारी को मैंने जनवरी में ही कहा था महोदय, पठन-पाठन कार्य में बाधा हो रही है और जो प्रभारी प्राचार्य थे वे रिटायर हो गये और बिना कुछ दिये हुए चले गये और जो घटिया सामान उन्होंने खरीदा है प्रयोगशाला का, उपस्कर का उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है तो उसकी जांच एक सप्ताह के अंदर करवा लेने का विचार रखती है ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी सरकार का पैसा लेकर या गबन करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनसे भी उस पैसे की वसूली करने के लिये सरकार के पास नियम और प्रावधान हैं उसी के तहत वसूली की जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय जनक जी । बैठ जाइये । बोलिये नंद किशोर यादव जी ।

श्री नंद किशोर यादव: माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया हम उसके बारे में नहीं कहेंगे उसपर एक शब्द है प्रबंध समिति द्वारा बहुत सारे माननीय सदस्य पहली बार जीतकर आये हैं और विद्यालय प्रबंध समिति के गठन में कई पुरानी कठिनाइयां उनको आ रही हैं मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह होगा कि प्रबंध समिति के जो नियम बने हैं आपके वे सभी माननीय सदस्यों को एक बार फिर से भिजवा दें संशोधनों के साथ ताकि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों के अंदर प्रबंध समिति के गठन का काम कर सकें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, यह तो पिछले दिनों भी सदन में इसपर चर्चा हुई थी और सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि जो भी या माननीय सदस्यगण, जो प्रबंध समिति में होते हैं उनकी भूमिका जो होती है, प्रबंध समिति के जो कृत्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं उन सबके बारे में विस्तृत जानकारी हम सभी माननीय सदस्यों को विभाग की तरफ से उपलब्ध करा देंगे ।

अध्यक्षः ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2009 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)

(अनुपस्थित)

आपको तो ऑथराइज नहीं किया गया है ।

श्री पवन कुमार जायसवालः अध्यक्ष महोदय, मेल किए हैं, बोले हैं फोन करके । अध्यक्ष महोदय, मेल किए हैं ।

अध्यक्षः नहीं, फोन पर नहीं चलता है ।

श्री पवन कुमार जायसवालः अध्यक्ष महोदय, मेल किए हैं सर, विधान सभा के मेल पर भेजा गया है।

अध्यक्षः प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

(व्यवधान)

अभी कहां खड़े हो गये । अभी बैठ जाइये । अभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 मार्च, 2021 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री महबूब आलम, श्री सुदामा प्रसाद, श्री अरूण सिंह, श्री अजय कुमार, श्री मनोज मंजिल, श्री रामबली सिंह यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में संयुक्त अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री महबूब आलमः महोदय, यह गंभीर विषय है पूरे बिहार में एक मात्र क्षेत्र है सीमांचल...

अध्यक्षः अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

अब दोनों में तय करिये पहले बोलेंगे कौन ।

(व्यवधान)

बैठिये, एक बार इनका सुन लीजिये ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, पूरे सहकारी महकमे को लेकर जिस तरह से मंत्री पुत्र सरकार का नाजायज लाभ...

(व्यवधान)

टर्न-7/सत्येन्द्र/16-03-21

अध्यक्षः मानतीय ललित यादव जी, सुन लीजिये अभी हमने पढ़ा है कि सदन नियम से चलता है और नियमावली सभी सदस्यों को मिली है । किसी मंत्री पर या किसी माननीय सदस्य पर कोई आरोप लगाते हैं तो उसकी पूरी प्रमाणिकता के साथ आसन से आपको अनुमति लेनी होगी और वह आप हमको लिखित देंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः पूरी प्रमाणिकता है महोदय..

अध्यक्षः तो आप उपलब्ध करवाइयेगा । आप उपलब्ध करवाइए, फिर हम देखेंगे ।

(व्यवधान)

आज 62 शून्यकाल हैं । श्री अखतरूल ईमान ।

(व्यवधान)

<u>शून्यकाल</u>

श्री अखतरूल ईमानः अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला में कुछ असामाजिक तत्व क्षेत्र के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने हेतु क्षेत्र के मेहनतकश भारतीय नागरिक शेरशाह बादीयां को बंगलादेशी घुसपैठ कहकर उन्हें डराने धमकाने एवं वहां के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने और साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का आपराधिक प्रयास कर रहे हैं । अतः मैं ऐसे असामाजिक तत्व के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग सरकार से करता हूॅ ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप नियम के हिसाब से दीजियेगा आपकी बात सुनेंगे, बिना नियम के कोई भी बात नहीं जायेगी प्रोसीडिंग में ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद इजहार असफीः महोदय, किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नं0-04 में बीती रात 15-3-21 को भीषण आगजनी से एक ही परिवार के 05 सदस्यों की मृत्यु हो गयी है

और 1 सदस्य की हालत गंभीर है । मैं सरकार से उक्त पीड़ित परिवार के सदस्य को अविलम्ब अनुग्रह राशि दिलवाने की मांग करता हूँ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0)के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्रीमती भागीरथी देवी: अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर के ग्राम इमिरती कटहरवा को तीन नदियां क्रमशः मशान, बलोर एवं सुखौड़ा काफी प्रभावित करती है । मैं उक्त गांव को बचाने के लिए रिंग बांध एवं पायलट चैनल बनाने की मांग करती हूं ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, दरभंगा शहर के बीचों बीच बागमती नदी पर बने महराजी पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण 50 हजार की आबादी प्रभावित है । भारी वाहन नगर निगम के तीन वार्डों में नहीं जा सकते हैं, जल्द से जल्द नगर विकास विभाग महराजी पुल के स्थान पर नया पुल का निर्माण करावें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप लोग अपने-अपने स्थान पर जाइए ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0) के माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री कुमार शैलेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के बिहपुर प्रखंड अन्तर्गत एन0एच0-31 पर जाने के लिए एक मात्र 14 नं0 सड़क है । बिहपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन पर आर0ओ0बी0 नहीं रहने के कारण हर हमेशा जाम लगी रहती है । अतः मड़वा-जमालपुर के पास पश्चिमी केबिन पर आर0ओ0बी0 बनाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री महबूब आलम: महोदय, सीमांचल को स्थायी पिछड़ापन से निजात दिलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आपकी बात आ गयी सभी के ध्यान में, आप बैठ जाइए ।

श्री महबूब आलम: यह गंभीर मुद्दा है महोदय..

अध्यक्ष: ठीक है, मंत्री जी सुने हैं ।

श्री मिथिलेश कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, शिवहर के पी0एम0जी0एस0वाई0 पैकेज बी0आर0-32आर0ओ0 25 बैद्यनाथपुर से छपरा का गुणवत्ताहीन पी0सी0सी0 1/2 से 2 ईंच किया गया है । कम्पेक्शन लेवेल विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है । ढलाई एवं बिटुमिंस के कार्य मिट्टी पर किये गये हैं । प्राक्कलन के अनुरूप कार्य हो ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत डुमरियाघाट पुल के एन0एच0-28 से सत्तरघाट होते हुए सुंदरापुर तक रिंग बांध बनाने से प्रति वर्ष बांध टूटने का जो खतरा बना रहता है, वह समाप्त हो जाता है। अत: उपर्युक्त रिंग बांध का निर्माण किया जाय ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विश्वकर्मा समाज अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है । अत: विश्वकर्मा समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाय ।

श्री अजीत शर्मा: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर हवाई अड्डा पर परिवहन विभाग द्वारा जब्त ट्रक रखे जा रहे हैं जिससे हवाई अड्डा की हवाई पट्टी खराब हो रही है । अत: जब्त ट्रकों को भागलपुर हवाई अड्डा से अविलंब हटाया जाय ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बक्सर में लैब टेक्निशियन के पद पर 1981 से कार्यरत कर्मचारी को अचानक पत्रांक 839 दिनांक 24-08-2003 से सेवा मुक्त कर दिया गया है । उन्हें समांजन करावें ।

श्री सुधाकर सिंह: अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के नुआंव प्रखंड अन्तर्गत कर्मनाशा नदी पर निर्मित कारीराम-खजूरी पुल यू0पी0 सरकार द्वारा 2 वर्षों से बनकर तैयार है लेकिन बिहार की तरफ से एप्रोच सड़क की जमीनी पेंच के कारण पुल निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर बांस के चाचर पर गुजरने को मजबूर हैं । सरकार उक्त जगह पर सम्पर्क पथ का निर्माण करावे।

श्री आनंद शंकर सिंह: अध्यक्ष महोदय, पत्रांक 2251 दिनांक 28-11-20 के द्वारा 24 कार्यपालक सहायकों को जिला स्थापना शाखा, औरंगाबाद में करने हेतु निर्देशित किया गया था, 24 कार्यपालक सहायकों ने दिनांक 15-12-20 को योगदान भी दिया था परन्तु अभी तक 24 कार्यपालक सहायकों को किसी विभाग में समायोजन नहीं किया है । अत: सरकार इन 24 कार्यपालक सहायकों को जल्द से समायोजन करावें ।

श्री रामबली सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, सीमांचल का इलाका अन्तर्राष्ट्रीय और दूसरे राज्यों की सीमा से घिरा है, उसकी सीमा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान लाने की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार के सीमांचल में हर साल आने वाली बाढ़ का स्थायी हल की मांग मैं सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष: धन्यवाद, 13 शब्द में ।

श्री ललित नारायण मंडल: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद् के प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में कार्यरत 41 शिक्षक/शिक्षिकाओं का वेतन भुगतान माह नबम्बर,

2020 से अबतक आवंटन के अभाव में नहीं हुआ है । यथाशीघ्र वेतन भुगतान किया जाय।

श्री राकेश कुमार रौशनः अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड की कुल आबादी 2.50 लाख है जिसमें मात्र दो थाना खुदागंज और इस्लामपुर अवस्थित है, यह इलाका उग्रवाद प्रभावित है । उग्रवाद रोकने एवं विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु इस्लामपुर प्रखंड के जैतीपुर बाजार में पुलिस चौकी के निर्माण की मैं मांग करता हूँ।

श्री मनोज मंजिलः अध्यक्ष महोदय, सीमांचल को गरीबी व पलायन से मुक्त करने लिए उद्योगों की स्थापना की मांग करता हूँ ।

अध्यक्षः धन्यवाद, 11 शब्दों में ।

श्री आलोक कुमार मेहताः अध्यक्ष महोदय, बिहार के दिव्यांग कर्मियों की प्रोन्नति में आरक्षण देने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 62 दिनांक 05-01-2007 एवं ज्ञापांक 13062 दिनांक 12-10-2017 के आलोक में प्रावधानानुसार आरक्षण अपेक्षित है। मैं मांग करता हूँ कि दिव्यांगकर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण यथाशीघ्र दिया जाय ।

श्री जय प्रकाश यादवः अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड स्थित सिमरबनी पंचायत के छर्रापट्टी टोला स्थित डाकघर भवन से कुशमौल तक की सड़क का पक्कीकरण एवं उक्त सड़क में लचहा नदी पर पुल/पुलिया निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ।

श्री कृष्णनंदन पासवानः अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत गायघाट ग्यारह पंचायतों के मध्य स्थित है जो प्रखंड मुख्यालय के तमाम शर्त्त पूरी करती है जिसमें हरसिद्धि, तुरकौलिया के 9 एवं 2 पंचायतें आती हैं जिससे वर्त्तमान प्रखंड की दूरी 18 कि0मी0 है। मैं मांग करता हूँ कि 'गायघाट' को प्रखंड मुख्यालय बनाया जाय।

श्री विद्या सागर केशरीः अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के हरिपुर से ढोलबज्जा एन0एच0-57 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क में सीताधार नदी पर पुल एवं मिर्जापुर पंचायत के कब्रगाह से महादलित टोला जाने वाली सड़क में कमला धार पर पुल की सख्त आवश्यकता है । उक्त दोनों स्थानों पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण की मांग सदन से करता हूँ ।

श्री मुकेश कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, पंचायत स्तर पर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया गया जिसका योग्यता न्यूनतम मैट्रिक निर्धारित है परन्तु सरकार द्वारा क्रियान्वयन समिति के अनुरक्षक को जो मानदेय निर्धारित किया गया है वह मनरेगा के दैनिक मजदूरी से भी कम है । जनहित में दस हजार रू0 महावारी वेतन की मांग करता हूँ ।

टर्न-8/मधुप/16.03.2021

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखण्ड के बाराहाट राजस्व हाट पर पिछले दशकों से अतिक्रमणकारियों का कब्जा है । प्रतिदिन मुख्य सड़क किनारे हाट लगती है, जिससे आवागमन सहित तमाम अनिवार्य कार्य बाधित होता है । मैं सरकार से अतिक्रमण मुक्त कराते हुए पूर्ववत हाट लगवाने की माँग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा-शाहपुर पथ में भोजडीह स्कूल से ग्राम-ऐफनी तक 9 कि0मी0 जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण सड़क का जनहित में शीघ्र जीर्णोद्धार कराने की माँग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सदर क्षेत्र में लगान निर्धारण संचिका का निष्पादन लंबित रहने से भूस्वामी परेशान हैं तथा विभाग को करोड़ों के राजस्व की हानि है । पूर्णिया सदर में लगान निर्धारण शीघ्र कराने की माँग करता हूँ ।

श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन : अध्यक्ष महोदय, बलिया एवं साहेबपुर कमाल प्रखंड के दर्जनों गाँव गंगा नदी के कटाव से कृषि योग्य सैकड़ों एकड़ भूमि एवं आवासीय मकान नदी की धारा में विलीन हो गयी है । कटाव स्थल पर तत्क्षण बोल्डर पिचिंग का कार्य कराकर दर्जनों गांव एवं भूमि की सुरक्षा प्रदान करने की मांग करता हूँ ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, आशा कार्यकर्त्ताओं को सरकारी सेवक का दर्जा, न्यूनतम मानदेय 21000 रूपये एवं आशा संयुक्त संघर्ष मंच के साथ हड़ताल के दौरान सरकार द्वारा किये गये समझौते को लागू करने तथा जनवरी, 2019 से 1000 रूपये पारितोषिक के भुगतान हेतु पर्याप्त आवंटन की मांग करता हूँ ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड में ग्राम-ढाकाकरम में खाता नं0-21, प्लॉट नं0-620 पर वर्ष 2006-07 में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत था । उक्त विद्यालय के निर्माण की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी प्रखण्ड के अटहर दक्षिणी पंचायत में 2012 से अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार है । परन्तु उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी उपलब्ध नहीं रहने के कारण स्वास्थ्य केन्द्र बंद है । अत: मैं उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरूआ प्रखंड अन्तर्गत भरौंधा +2 उच्च विद्यालय का भवन विगत 2 वर्षों से अर्धनिर्मित है । अत: मैं सरकार से संवेदक एवं दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए कार्य को पूर्ण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत विजयीपुर प्रखंड में दिनांक 16.02.21 को जहरीली शराब पीने से जॉच लोगों की मौत हो गयी है तथा दो लोगों का इलाज चल रहा है । मृतक परिवार को 4-4 लाख रूपये एवं घायलों को 2-2 लाख रूपये मुआवजे की मांग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत सन्हौला प्रखंड के गेरूआ नदी के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 9 पंचायत को ध्यान में रखते हुए जनहित में सनोखर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी क्षेत्रान्तर्गत धनरूआ थाना द्वारा इस क्षेत्र के निरीह, गरीब, बेसहारा, अनुसूचित जाति सहित अन्य अज्ञात 500 निर्दोष व्यक्तियों पर दो-दो प्राथमिकी 356/17 एवं 357/17 दायर कर प्रताड़ित किया जा रहा है । इस घटना की पुलिसिया प्रताड़ना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की मॉग करती हूँ ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की शाखा खोलने के लिए आदिवासियों की पर्चे की जमीन की जगह अन्य दूसरी जमीन का अधिग्रहण करके विश्वविद्यालय की शाखा तत्काल चालू करवाई जाय ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बासोपट्टी प्रखण्ड के रामजानकी स्थान, सेलीबेली, लौठवा, कोदरकट्टा, फेंट, परसा एवं कबीर स्थान पतौना के घेराबंदी की मॉग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद् को दिए जाने वाले मानदेय में महंगाई को देखते हुए दो गुणा वृद्धि करने की मांग राज्य सरकार से करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, सीमांचल का क्षेत्र भयावह गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, बाढ़ व जलजमाव तथा बदतर शिक्षा व्यवस्था से ग्रस्त है । इसके समुचित विकास के लिए संविधान की धारा 371 के तहत सीमांचल के लिए विशेष पृथक विकास बोर्ड की मॉग सदन के सामने रखता हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सीमांचल के विकास के लिए कटिहार जूट मिल को चालू कराने की मॉग करता हूँ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । 10 शब्दों में है ।

श्रीमती नीतु कुमारी : XXX

अध्यक्ष : यह प्रोसीडींग का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि व्यक्तिगत नाम आप लिये हैं ।

श्री अवध बिहारी चौधरी ।

श्रीमती नीतु कुमारी : सदन से मैं पूछना चाहती हूँ कि उस क्षेत्र की विधायक मैं हूँ...

XXX आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सीवान जिला अन्तर्गत सीवान-मैरवाँ रोड पथ निर्माण विभाग का है । सीवान कचहरी रेलवे फाटक प्राय: घंटों-घंटों बंद रहता है जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है । अत: सीवान कचहरी ढाला पर रोड ओवर ब्रीज बनाने के लिए सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, रोड ओवर ब्रीज बोलिये, रेल ओवर ब्रीज गलत बोल रहे हैं आप। करेक्ट कर लीजिए ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, आप माननीय पथ निर्माण मंत्री रहे हैं । अगर वे कहते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि उनके अनुसार सुधार कर लिया जाय ।

अध्यक्ष : सुधार कर लिया जाय ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के कुल 8326 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञापांक-3 ए-8-बैठक-01/2019-4521/वि पटना, दिनांक 03.09.2020 द्वारा किया गया था परंतु अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है । बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कराने की माँग करती हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, धारा 371 के तहत सीमांचल के लिए विशेष पृथक विकास बोर्ड की स्थापना की माँग करता हूँ ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण बिहार के आम-आवाम को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सम्पूर्ण राज्य में मुहल्ला क्लीनिक की स्थापना करने की माँग करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अन्तर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र के सभी जमींदारी बांधों की स्थिति जर्जर हो चुकी है । आए दिन कुछ अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है । बाढ़, बारिश के समय स्थिति और भयावह हो जाती है । जन-कल्याण हेतु ससमय इन बांधों का सुदृढ़ीकरण किया जाय ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर विश्वविद्यालय अंतर्गत B.R.M. College मुंगेर में Commerce, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है । अत: इन सब विषयों की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करवाने की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल समाप्त हुए ।

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्यगण खड़े हो गए)

(व्यवधान)

जो शेष रह गये हैं, उसको पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा । माननीय सदस्यगण, 12:20 तक ही समय है इसीलिए हम कहते हैं कि कम शब्दों में दें । अभी लगभग 46 हमने लिया है और कुल 62 है, तो कम शब्द में अगर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम ले सकेंगे । सबको शून्यकाल समिति को दे दिया जायेगा । बैठिये ।

(पढ़े हुये मान लिये गये शून्यकाल की सूचनाएँ)

श्री मोहम्मद नेहालुद्दीन : औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड मदनपुर के पंचायत दधपी के ग्राम-गेवाल बिगहा में मदार नदी पर पुल का निर्माण जनहित में अतिआवश्यक है ।

श्री ऋषि कुमार : औरंगाबाद जिला के अंचलाधिकारी गोह के पत्रांक-83, दिनांक-22.01.2020 के अनुसार मौजा गोह के थाना संख्या-194, खाता नं0-1138, प्लॉट नं0-2691 के 5.35 एकड़ पर कब्जा को अवैध ठहराया गया है । मैं अवैध कब्जा एवं निर्माण को हटाने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : कोरोना काल में उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल भुगतान नहीं किया गया लेकिन अब जो बिल आ रहा है, उसमें ब्याज सहित पूरे बिल की भुगतान की माँग हो रही है । जिससे गरीब उपभोक्ता परेशान है । अत: बिजली बिल की ब्याज की राशि माफ करने की माँग करता हूँ ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : शिवहर जिला के सुरगाही में जनसभा में 15 दिसम्बर, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोलसो मोतनाजे-बेलसंड पथ में बागमती नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण की घोषणा किए थे लेकिन अबतक निर्माण शुरू नहीं हुआ है । जनहित में जल्द पुल निर्माण कराने की माँग करता हूँ ।

श्री विनय कुमार चौधरी : बेनीपुर से गुजरने वाली S.H.-56 में आशापुर से भरत चौक तक घनी आबादी वाला क्षेत्र से सड़क के निर्माण के बाद भारी जल जमाव की समस्या बन जाती है । S.H.-56 के 25.55 से 28.55 K.M. तक R.C.C. नाला का निर्माण किया जाय ।

श्री इजहारूल हुसैन : किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित पश्चिमपाली मोहीउद्दीनगर, सलाम कॉलनी में रविवार मध्य रात्रि को आग लगने से एक ही परिवार के पॉच सदस्यों की मौत हो चुकी और दो सदस्यों की हालत गंभीर है । अतः इनको अतिशीघ्र मुआवजा देने की मांग करता हूॅं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : जहानाबाद जिलान्तर्गत नगर परिषद जहानाबाद के बीच से बहने वाली दरधा नदी पर जाफरगंज-पाठकटोली के बीच फुट ब्रीज बनाने का सरकार से मांग करता हूॅं ।

श्री सुदामा प्रसाद : बिहार के सीमांचल में रोजगार के लिए उद्योग की स्थापना की मांग सरकार से करता हूॅं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकड़ प्रखंड के पंचायत मीरपुर पतार अंतर्गत वार्ड नं0-12 एवं 14 में आजादी के 70 साल बाद भी चचरी पुल से आवागमन होता है । अतः उपर्युक्त चचरी पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कराया जाय ।

श्री महानंद सिंह : सीमांचल में बाढ़ एक स्थायी समस्या है । जिससे लाखों लोग हर साल प्रभावित होते हैं, बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की मॉग करता हूॅं ।

श्री निरंजन राय : मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बूढ़ी गंडक नदी में रतवारा ढोली घाट पर प्रस्तावित पुल निर्माण संबंधी तैयार प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति अविलंब देते हुए जनहित में पुल निर्माण कार्य प्रारंभ करने की मॉग करता हूॅं ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी : कांटी विधान सभा क्षेत्राधीन मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत हरपुर लौहरी वार्ड नं0-12 महावीर नगर लेन-2 में सड़क, स्ट्रीट लाईट, पेयजल नाला नाली इत्यादि बुनियादी सुविधा की पूर्ति जनहित में शीघ्र कराया जाय ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : राज्य में पशुओं के टीकाकरण की योजना चलाई जा रही है, जो निरंतर चलने वाली है । इस कार्य में लगे दैनिक पशु टीका कर्मियों की सेवा नियमित करने और उसके अनुरूप अन्य सुविधाएॅं देने की मॉग सरकार से करता हूॅं ।

श्री कुमार सर्वजीत : पथ निर्माण विभाग में प्रभारी व्यवस्था के तहत अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभियंताओं की अनदेखी की जा रही है । मैं प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभियंताओं को उचित लाभ दिलाने की मॉग करता हूॅं ।

श्री राजवंशी महतो : बेगुसराय जिलान्तर्गत रामपुर पुल के रामपुर चौक तक संकीर्ण सड़क से भारी वाहनों के आवागमन में हो रही गतिरोध को समाप्त करने हेतु पथ की जनहित में चौड़ीकरण करने की मॉग करता हूॅं ।

श्रीमती वीणा सिंह : वैशाली जिला के प्रखंड-जन्दाहा अंतर्गत पंचायत- सैद मोहम्मद उर्फ सलहा के गांव-कालापहाड़ निवासी मनोज कुमार सिंह और उनके पुत्र शिवम कुमार को पिछले महीने अंधराबड NH-322 पर ट्रक द्वारा ठोकर मार देने के क्रम में मृत्यु हो गयी । अतः सरकार अविलंब मुआवजा के तौर पर 4-4 लाख रूपये दे ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना लिये जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री भूदेव चौधरी, समीर कुमार महासेठ एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [कृषि विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी जी की ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव भी है ।

अध्यक्ष : अब इनका सुन लीजिए, ध्यानाकर्षण है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, बांका जिला अन्तर्गत रजौन प्रखंड के ओडहारा पंचायत के ओडहारा गाँव में ओडहारा कृषि फार्म एक जिला स्तरीय राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र है जहाँ प्रतिवर्ष राज्य योजना से बीज उत्पादन कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है । खरीफ मौसम में 90 एकड़ एवं रबी मौसम में 87.50 एकड़ में प्रतिवर्ष प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला कृषि पदाधिकारी, बांका को 21.60 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है । चालू वित्तीय वर्ष में 556 क्विंटल धान का आधार बीज उत्पादन कर बिहार राज्य बीज निगम को दिया गया है तथा वर्तमान रबी मौसम में गेहूँ 50 एकड़, चना 15 एकड़, मसूर 12.5 एकड़, सरसों 10 एकड़ में फसल लगी हुई है ।

...क्रमशः...

टर्न-9/शंभु/16.03.21

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : क्रमशः और प्राप्त सूचनानुसार कोई भूमि अतिक्रमित नहीं है । इससे स्पष्ट होगा कि ओढारा गांव के कृषि फार्म की भूमि का उपयोग किसानों के हित में हो रहा है तथा कृषि कार्य में इसके महत्वपूर्ण उपयोगिता को देखते हुए इसे किसी अन्य विभाग या अन्य कार्य के लिए हस्तांतरित करना उचित नहीं है ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ और बहुत ही शालीनता के साथ इस विषय वस्तु को रखना चाहता हूँ । माननीय मंत्री जी को जो रिपोर्ट आयी है मैं उसपर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह बात मैं दर्शाना चाहता हूँ कि बांका जिला पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा जिला है और झारखण्ड के करीब बसा हुआ है और हमेशा से भागलपुर जिला का वह छाया बनकर रहा है । इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति का बाहुल्य है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, भूमिका बनाइयेगा तो फिर आगे बढ़ जायेंगे ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि विगत वर्ष 2020-21 में 21 लाख 7 हजार रूपये मैंने कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया है और उपलब्धियां क्या हैं 103 एकड़ जमीन में मात्र 556 क्वींटल हुआ है । हमलोग किसान के बेटे हैं ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ? पूरक बोलिये न ।

श्री भूदेव चौधरी : मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो मांग किया है वह डा0 भीमराव अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय वहां बने, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को जिम्मेवारी दी गयी है जो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कृषि पदाधिकारी की रिपोर्ट मुझे उपलब्ध हुई है । उसमें हर साल विगत 2020-21 को छोड़कर के इसके पहले वाले साल हुए हैं हरेक में उन्होंने दे दिया है कि अधिक वर्षा के कारण जल गया, गल गया, सड़ गया और जब बारिश नहीं होती है तो कहता है कि जल गया तो निश्चित तौर पर वह लूट की एक परिपाटी बन चुकी है । हम फिर से आग्रह करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि वहां गरीबी, बेबसी, लाचारी, मजबूरी, बेरोजगारी को देखते हुए आप डा0 भीमराव अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के प्रति पहल करें । यही मैं चाहता हूँ और यह कब तक संभव है ?

अध्यक्ष : यह आपका सुझाव है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, मैं और अधिक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । राजकीय बीज गुणन परिक्षेत्र में आधार बीज का उत्पादन होता है । जहां से बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से राज्य के सभी वर्गों के किसानों को कृषि विभाग के कार्यक्रम के द्वारा अनुमानित दर पर बीज वितरण किया जाता है । जिससे बिहार राज्य बीज निगम लगभग 43 हजार 200 क्विंटल सत्यापित बीज का उत्पादन राज्य के किसानों के मदद से करेगी । जिसका सीधा लाभ राज्य के किसानों को मिलेगा । उत्पादित सत्यापित बीज किसान को अनुमानित दर पर वितरित किया जाता है । महोदय, यह तो बात हो गयी । दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य भूदेव चौधरी जी का जो प्रस्ताव है वह प्रस्ताव उचित है । उनकी

दृष्टि से यह प्रस्ताव उचित है, लेकिन कृषि विभाग यह जमीन का जो उपयोग हो रहा है इसे आपको उपलब्ध नहीं करा सकती है, क्यों नहीं उपलब्ध करा सकती है यह भी मैं बता दे रहा हूँ । महोदय, यह सरकार का संकल्प है विभागीय संकल्प सं0-1289, दिनांक 18.04.2006 के कंडिका-5 के अनुसार बिहार के अन्य विभागों, जिला प्रशासन को इन प्रक्षेत्रों पर भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं करायेगी । संकल्प की प्रति आप कहें तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो वही कहानी मुझको कहने का अवसर......

अध्यक्ष : कहानी मत कहिये सीधे पूरक पूछिए ।

श्री भूदेव चौधरी : मैं कह रहा हूँ कि जनक नंदिनी सीता जब राम के साथ वन गयी ।

अध्यक्ष : अब यह कहानी नहीं चलेगी । माननीय सदस्य श्री आनन्द शंकर सिंह, अपनी सूचना को पढ़ें । कहानी कहने का अभी समय नहीं है । पूरक सीधे पूछिए । आनन्द जी, एक मिनट।

श्री भूदेव चौधरी : सर, जब इन्होंने स्वीकार किया है वहां उचित है इनकी मांग तो सरकार उसपर गंभीरता से विचार करेगी और करेगी तो फिर कब तक करेगी ?

अध्यक्ष : करेगी । कुछ समय को बचाइये, कहानी जब फ्री हों तब कहा जाता है । माननीय मंत्री जी, बोलिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : आपके प्रस्ताव से कोई असहमति नहीं है, लेकिन जो विभाग की मजबूरी है, जो विवशता है इससे भी मैंने आपको अवगत करा दिया है । इसे इस अवस्था में कोई संस्तुति नहीं दी जा सकती है, नहीं हो सकता है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय की मांग की गयी है ।

अध्यक्ष : जवाब उन्होंने दे दिया है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : सरकार निर्णय ले कि वहां पर एक चिकित्सा महाविद्यालय खोले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर खोले ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आनन्द शंकर सिंह, अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री आनन्द शंकर सिंह, अजीत शर्मा एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, ''बिहार अधिनियम-3, 1992 द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया है जिसके लिए रोस्टर भी निर्धारित है । संकल्प सं0-963, दिनांक-20.01.2016 द्वारा सरकारी सेवाओं में दिये गये 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण में 17.5 प्रतिशत सामान्य वर्ग

की महिलाओं के लिए तथा 17.5 प्रतिशत आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए प्रावधान है । आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वह बिहार राज्य की महिलाओं तक सीमित है परंतु सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए जो आरक्षण निर्धारित है वह पूरे देश की महिलाओं लिए ओपेन है । इस कारण सामान्य वर्ग की महिलाओं की भागीदारी राज्य की सेवाओं में समुचित रूप से नहीं हो पा रही है और अन्य राज्य की महिलायें बिहार राज्य की विभिन्न सेवाओं में चयनित हो रही है ।

अत: सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने हेतु सामान्य वर्ग की महिलाओं के आरक्षण को बिहार की महिलाओं तक सीमित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : समय चाहिए ।

अध्यक्ष : कब तक ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : चलते सत्र में ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय......

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, बोल दिये चलते सत्र में । माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह, अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री राज कुमार सिंह, पवन कुमार जायसवाल एवं अन्य ग्यारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, ''समग्र शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, बुनियादी, मान्यता प्राप्त संस्कृत एवं मध्य विद्यालयों, माध्यमिक/उच्च्तर माध्यमिक विद्यालयों के विकास हेतु विद्यालय अनुदान (कम्पोजिट) के रूप में छात्रों के नामांकन को आधार मानते हुए 1 से 15 छात्र पर 12,500 रू0, 16 से 100 छात्र पर 25,000 रू0, 101 से 250 छात्र पर 50,000 रू0, 251 से 1000 छात्र पर 75,000 रू0, 1001 से अधिक छात्र पर 1,00,000 रू0 विद्यालय शिक्षा समितियों/ विद्यालय प्रबंध समितियों के खाता में विमुक्त करने का प्रावधान है, परन्तु राज्य के किसी भी विद्यालय में उक्त राशि नहीं भेजी गयी है जिस कारण विद्यालयों का विकास प्रभावित हो रहा है ।

अतएव राज्य के सभी विद्यालयों के लिए ''समग्र शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत'' अनुदान (कम्पोजिट) की वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की राशि सभी विद्यालय शिक्षा समितियों/विद्यालय प्रबंध समितियों के खाता में भेजने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । ''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समग्र विद्यालय अनुदान यानी कम्पोजिट स्कूल ग्रांट एक आवर्ती अनुदान है । जिसे प्रतिवर्ष प्रत्येक सरकारी विद्यालयों को नामांकन के आधार पर दिया जाता है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है । किसी वित्तीय वर्ष की राशि संबंधित विद्यालय शिक्षा समितियों या विद्यालय प्रबंध समितियों को निर्गत करने से पूर्व पिछले वर्ष की निर्गत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालयों से प्राप्त कर समायोजन कराया जाना आवश्यक होता है । वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में क्रमशः 66384, 45640 एवं 12449 प्रारंभिक विद्यालयों को समग्र विद्यालय अनुदान यानी कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि दी गयी है ।

क्रमशः

टर्न-10/ज्योति/ 16-03-2021

क्रमशः

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इसी प्रकार संबंधित वित्तीय वर्षों में क्रमशः 38,5609 एवं 569 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समग्र विद्यालय अनुदान की राशि दी गयी है । उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह मार्च के तृतीय सप्ताह से ही कोविड-19 के कारण विद्यालयों के लगातार बंद रहने के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालयों से प्राप्त नहीं की जा सकी है अब चूँकि विद्यालय खुल गए हैं अतः लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2020-21 की राशि भी निर्गत की जा रही है । वित्तीय वर्ष 2020-21 की राशि निर्गत कर अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही समग्र विद्यालय अनुदान की राशि विद्यालयों को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा..

अध्यक्षः राजकुमार जी भी पूछेंगे प्रश्न ।

श्री राज कुमार सिंह: मैं पूछता हूँ मंत्री महोदय कि क्या यह जो राशि है एक तरीके से शिक्षा के विस्तार को और गति देने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप विद्यालयों को दी जाती है तो क्या इसके प्रति गंभीर चिंतन करते हुए और हमेशा अद्यतन व्यवस्था नहीं की जा सकती है ताकि विद्यालयों को अनुदान हेतु जो राशि मिलती है वह समय पर मिल जाय और शिक्षा के विस्तार को और प्रोत्साहन मिले ।

अध्यक्षः ठीक है सुझाव आपका, अब पवन जी बोलिये ।

श्री पवन कुमार जायसवालः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि ढाका विधान सभा क्षेत्र है मेरा और मेरे यहाँ 37 हाई स्कूल हैं, जहाँ 9 वीं कक्षा की

पढ़ाई होती है । मैंने प्रधानाध्यापक से बात किया मैंने मेरे यहाॅ किसी विधान सभा क्षेत्र में किसी विद्यालय में यह राशि नहीं गयी है मैं जानना चाहते हैं कि यह जो 67 हजार और 42 हजार की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं क्या ढाका विधान सभा क्षेत्र या पूर्वी चम्पारण जिले के विद्यालयों में यह राशि गयी है अगर गयी है तो माननीय सदस्य भी जो अपने विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं सभी माननीय विधायक होते हैं तो क्या प्रधानाध्यापकों ने माननीय अध्यक्ष जो होते हैं विधायक उनके समक्ष कभी इसके बारे में बताया है कोई सदस्य इससे अवगत हैं क्या ? अध्यक्ष महोदय, यह जबाब जो माननीय मंत्री जी ने दिया है कि यह किसी के संज्ञान में नहीं हैं, हमलोग अध्यक्ष होते हैं विद्यालय प्रबंध समिति के ....

अध्यक्ष : आप पूरक क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री पवन कुमार जायसवाल: पूरक तो यही पूछ रहे हें माननीय अध्यक्ष जी कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इसके आलोक में माननीय मंत्री जी बता दें हमको क्या पूर्वी चम्पारण के ऊच्च विद्यालयों में, उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में नौवीं पढ़ाई वाले जो विद्यालय हैं प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में मदरसा में संस्कृत विद्यालयों में यह राशि गयी है तो क्या विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष की जानकारी में है खर्च करने का जो तरीका है उसका मानक पूरा किया गया है कि नहीं किया गया है ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वैसे तो पवन जी ने जो पूरक पूछा है उसका मूल प्रश्न से कोई सीधा संबंध नहीं है । प्रश्न में है कि किसी खास वित्तीय वर्ष में विद्यालयों को कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिया गया कि नहीं हमने विद्यालयों की संख्या के साथ वित्तीय वर्षवार हमने बता दिया है अब उसमें खास इनके क्षेत्र के किसी स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं आप अलग से सूची दे दीजियेगा हम देखवा लेंगे और दूसरी बात अब पूरी बात सुन तो लीजिये आप लोग बोलते हैं तो पूरी बात सुन कर न बोलते हैं महोदय, जहां तक दूसरी बात की चर्चा उन्होंने की है तो स्वाभाविक रूप से ये सभी माननीय सदस्यों के कन्सर्न की बात है कि अगर स्कूलों को राशि दी गयी है तो विद्यालय प्रबंध समिति की जानकारी में होनी चाहिए और खाता ही प्रबंध समिति के नाम से होता है । तो ये विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है आगे से महोदय, हम सरकार की तरफ से विभाग की तरफ से विद्यालयों को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी देंगे कि यह जो कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि जाती है तो जो विद्यालय प्रबंध समिति या उसके शिक्षा समिति है उसके अध्यक्ष या उसके सदस्यों के भी संज्ञान में लाया जाय ।

अध्यक्ष : अब तो पॉजिटिव जवाब हो गया । माननीय मंत्री जी जो निर्देशित करें उसकी कॉपी माननीय सदस्यों को भी दे दें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो सदस्यों को ही कॉपी देने की बात कही है, उनको तो निर्देश देंगे ही, इनको भी देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, 2018 से 2021 तक राज्य के जिन विद्यालयों का पैसा बकाया रह गया होगा, क्या माननीय मंत्री जी उन विद्यालयों को राशि भेजवाने का विचार रखते हैं, कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह तो प्रश्न 2018-19, 2019-20 का है और हमने कहा है कि आप पूरी प्रक्रिया बता दीजिये । महोदय, हम राशि देते हैं और यह भी हम सदन को बताना चाहते हैं कि यह सेंट्रल स्कीम है इसमें 60 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार का होता है और 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का होता है । दूसरी बात किसी विद्यालय को किसी खास वित्तीय वर्ष में जो कम्पोजिट स्कूल ग्रांट मिलता है तो उस वर्ष की उस राशि को खर्च करने का वह उपयोगिता प्रमाण पत्र देते हैं तभी उनको अगले वित्तीय वर्ष का मिलता है । यह तो हमने स्पष्ट बता दिया ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पिपरा विधान सभा में कुल...

अध्यक्ष : आप राज्यस्तरीय से पिपरा में कहां पहुंच गये ?

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, एक मिनट सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : अच्छा ठीक है, बताइये ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, 369 विद्यालय है जिसमें समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत विद्यालय के विकास हेतु वर्ष 2018-19 में विद्यालय समिति को अनुदान दिया गया लेकिन...

अध्यक्ष : फिलहाल तो इसमें जिक्र नहीं है ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, 2019-20 में मात्र 7 विद्यालय को ही अनुदान राशि दी गयी शेष 252 विद्यालय वंचित रहे । वर्ष 2020-21 में एक भी विद्यालय को अनुदान राशि विमुक्त नहीं की गई है । हम आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि...

अध्यक्ष : हां, मंत्री जी जवाब तो तभी देंगे अगर आप पहले से बताते पिपरा का तभी तो देते इसलिए आप इनके संज्ञान में दे दीजिये ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्षः अब आप कहां से उठ गये, बैठ जाइये ।

अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/पुलकित-अभिनीत/16.03.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, गृह विभाग की अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	56 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	55 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-	04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	-	03 मिनट
सी0पी0आई0(एम0)	-	01 मिनट
सी0पी0आई0	-	01 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	01 मिनट

माननीय मंत्री, गृह विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''गृह विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 139,73,24,62,000/- (एक सौ उन्तालीस अरब तिहत्तर करोड़ चौबीस लाख बासठ हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा, श्री सत्यदेव राम, श्री अखतरूल ईमान, श्री सुधाकर सिंह एवं श्री महबूब आलम से

कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विजय शंकर दूबे: अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष: आपको चार मिनट का समय दिया गया है ।

श्री विजय शंकर दूबे: महोदय, मैं अभी इसी पर पहले बोल लेता हूं । संयोग से सदन नेता, माननीय विपक्ष के नेता सारे लोग बैठे हुए हैं । महोदय, कट मोशन जो भी मूव करता है, यह सदन नियम और परंपरा दोनों से चलता है । महोदय, कोई नियमन नियमावली में नहीं है देख लिया जाय, वैसे तो आप विद्वान व्यक्ति हैं, कहीं कोई नियम नहीं है, फर्स्ट वक्ता 15 से 20 मिनट तक समय लेता ही है और आपके पूर्ववर्ती जो अभी संसदीय कार्य मंत्री हैं वे गवाह हैं, यहीं इसी चेयर पर रामदेव राय जी का कट मोशन पहला हुआ करता था और सभी कट मोशन पर वही बोलते थे, बीच में किसी का नाम पुकार देते थे तो वे बोल लेते थे । महोदय, ये मेरा समय काटना नहीं बल्कि....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समय आपका जा रहा है । 3 घंटे के अंदर सबका निर्धारित है ।

श्री विजय शंकर दूबे: महोदय, यह चार मिनट, तीन मिनट....

अध्यक्ष: आपकी पार्टी का 14 मिनट समय है, अगर इजाजत है तो बोलिए आप 14 मिनट तक ।

श्री विजय शंकर दूबे: महोदय, मैं कट मोशन का पहला मूवर हूं, इसलिए मुझे बोलने की इजाजत दी जाय । महोदय, शुरू होते ही आप तीन मिनट, चार मिनट कह देते हैं तो मेरी स्पीड में ही ब्रेक लग जाता है । स्टार्ट करने से पहले ही हुजूर ब्रेक लग जाता है ।

महोदय, मैं माननीय गृह विभाग के प्रभारी मंत्री के द्वारा जो मांग प्रस्तुत की गई है-

"इस शीर्षक की मांग को 10/- रुपये से घटायी जाय ।"

महोदय, मैं इसे इसलिए पेश करना चाहता हूं कि आज स्वतंत्र भारत के 74 साल बीत गये और आज जो पुलिसिंग है, आज जो पुलिस है वह पुलिस स्वतंत्र भारत की पुलिस है, अंग्रेज की पुलिस में और अंग्रेज की पुलिस के बोल-चाल, रहन-सहन और व्यवहार में व्यापक सुधार होना चाहिये । महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के जो कार्य हैं, पुलिस के जो दायित्व हैं उन सारी की विवेचना की जाय तो उनसे हमारी सहानुभूति, प्रशंसा और उनके कार्य समाज में पैदा होने से लेकर मृत्यु तक उनकी आवश्यकता है । सभी कार्यों में उनके सहयोग की आवश्यकता होती है और यह उनकी ड्यूटी है लेकिन महोदय, आज भी थानों पर दबे-कुचले लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग फटे-चिथड़े कपड़ा अगर पहन कर चले गये तो पुलिस की भाषा बदल जाती है ।

एफ0आई0आर0 करने हेतु मार खाकर वह आदमी थाना में जाता है और थाने में जाने के बाद बड़ा बाबू की, ऑफिसर इंचार्ज की जो बोली होती है वह सहन करने योग्य नहीं होती है, इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं ।

महोदय, नीतीश जी, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और सामाजिक न्याय की सरकार 30 साल से बिहार में चल रही है । महोदय, हमलोग तो सोच भी नहीं सकते, हमको तो सपने में भी नहीं आते कि जहां नीतीश जी बैठे हैं वहां हम भी पहुंच पाते, मैं तो सपना भी नहीं देख सकता हूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 30 सालों में व्यापक परिवर्तन होने चाहिए थे । महोदय, गरीब-गुरबा की बात की जाती है, कमजोर, हल्के की बात तो सभी करते हैं, सभी दल करते हैं, चाहे वोट की राजनीति के लिए करते हों या न्यायोचित बात करते हों, सब लोग करते हैं लेकिन हो कितना पाता है ?

महोदय, इस राज्य के एक बहुत बड़े अधिकारी सुबर्णो डी0सी0 थे, हजारीबाग में और जब ये डी0सी0 हजारीबाग थे तो यूनाइटेड बिहार था । इनके पास एक कंप्लेन गयी कि एक आदमी एम्बेस्डर पर 25 आदमी को बैठा लिया और 25 आदमी को लेकर जा रहा था, इसलिए पुलिस वाले ने उस आदमी को बंद कर दिया । उन्होंने कहा कि भाई आप जो कह रहे हैं, हमसे शिकायत करने आये हैं, एम्बेस्डर कार पर 25 आदमी कैसे बैठेंगे ? थाने पर स्वयं डी0सी0 गये और जाकर ऑफिसर इंचार्ज से पूछें कि आप ड्राइवर को क्यों बंद किये हुए हैं और गाड़ी उसकी क्यों सीज कर ली गयी है ? उसने कहा कि हुजूर इसने 25 आदमी को बैठाया था । डी0सी0 ने कहा कि आप दिखा दो कि कैसे 25 आदमी को बैठाया है तो उसने कहा कि वह तो ड्राइवर ही जानता है कि 25 आदमी को कैसे बैठा लेगा । ड्राइवर को हाजत से निकालकर डी0सी0 साहब ने कहा कि तुम 25 आदमी को बैठा लो और अगर 25 आदमी को तुम बैठा लोगे तो गाड़ी तुम्हारी छोड़ दी जायेगी तुम लेकर चले जाना । ड्राइवर ने 25 आदमी को ऊपर-नीचे और पीछे डिक्की में बैठा लिया और गाड़ी लेकर चला गया । बात आयी-गयी खत्म हो गयी लेकिन आफिसर इंचार्ज ने डी0सी0 के खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड किया कि डी0सी0 महोदय थाने पर आयें और ओवर लोडेड गाड़ी जो बंद थी उसको उन्होंने छुड़वा दिया, मुझे प्रेसर में आकर छोड़ना पड़ा । बात आयी-गयी खत्म हो गयी, लेकिन जब सुबर्णो साहब के प्रमोशन का वक्त आया, चीफ सेक्रेटरी बनने का तो वह कागज पहुंच गया उनके सी0आर0 में और उनका प्रमोशन रुक गया । महोदय, इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी थी पुलिसिंग के बारे में वह पढ़ने योग्य है । महोदय, विस्तार से मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, सुधार हो ।

(क्रमशः)

टर्न-12/हेमन्त-धिरेन्द्र/16.03.2021

...क्रमशः...

श्री विजय शंकर दूबे : सुधार आप चाहते हैं, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, संवेदना है । जरा, पुलिसिंग में सुधार हो और दबे-कुचले लोगों को थाने पर जाने के बाद और महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर समाज की परित्यक्त औरत थाने चली जाय तो उसके साथ गाली के साथ व्यवहार होता है, तो पुलिस में सुधार होना चाहिए । आखिर स्वतंत्र भारत की पुलिस में 74 साल में सुधार नहीं होगा, तो कब होगा ? मैं कहना चाहता हूं कि राज्य में अच्छे अधिकारी भी हैं, अच्छे लोग भी हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं ।

महाराजगंज क्षेत्र मेरे लिए नया है । मैं जा रहा था, लोगों ने रोका और कहा कि कल जो एक मुस्लिम लड़के की हत्या हो गयी थी, निर्दोष लड़का था, दुकान से आ रहा था, उसकी हत्या हो गयी । दरोगा बड़ा निकम्मा है, बोला कि आप लोग क्या चाहते हैं ? हमने कहा कि चाहते क्या हैं, तो बोला कि हुजूर डी.आई.जी. बहुत अच्छे आये हैं । हमने कहा कि कौन डी.आई.जी. आये हुए हैं ? तो कहा कि मनुमहाराज, छपरा में डी.आई.जी. आये हैं, उनसे मामले की जांच करवा दीजिए । मैंने उन लोगों के सामने मनु महाराज से आग्रह किया कि इस केस का सुपरविजन कर लीजिए और वह तीन दिन के बाद गये, केस को देखा और मुझे लग रहा था कि अगर पुलिस चाहेगी तो कातिल के हाथ तक पहुंच जायेगी और शिकंजे में ले लेगी, अगर पुलिस ईमानदारी से चाहे तो और मनु महाराज छपरा से गये, बाजार में वे लड़के भी वाच कर रहे थे कि हो क्या रहा है, जिन लोगों ने हत्या की थी । उन्होंने उन तीनों लड़कों को पहचान लिया, पहचानकर गिरफ्तार कराया और उन लोगों ने पब्लिक में स्वीकार कर लिया कि डेढ़ लाख रुपये के लालच में, वह तो हम लोगों का दोस्त था लेकिन डेढ़ लाख रुपये के लालच में हम लोगों ने पैसे छीन लिये और उसकी हत्या कर दी । महोदय, आज भी हम चाहते हैं कि बिहार पुलिस की इमेज ठीक हो और आई.पी.एस. अधिकारी, जिस इंस्पेक्टर को केस का सुपरविजन करना है, डी.एस.पी. को करना है, एस.पी. को करना है, डी.आई.जी. को करना है, सबको केस का सुपरविजन करने का अधिकार है । ऑनवार्ड डी.आई.जी. के ऊपर आई.जी. को करना है लेकिन हो नहीं पाता है । सारे केस को डी.एस.पी. साहब

देखते हैं, बाकी सारे लोग दस्तखत करते हैं, न्याय लोगों को नहीं मिलता है । एस.पी. को भी जितने केस देखने चाहिए, उतने केस देखें, डी.आई.जी. भी देखें, आई.जी. भी देखें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षिप्त कर लें ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, तब पुलिस में सुधार होगा । आज प्रदेश की पुलिस में व्यापक सुधार की जरूरत है । महोदय, मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत सरकार बहुत पहले से, मनमोहन सिंह की सरकार थी, बाद के दिनों में नीतीश कुमार जी ने प्रयास करके भारत सरकार से पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे आये, वह व्यय हों और पुलिस में सुधार हो । जनमानस के लिए पुलिस हो, सुरक्षा के लिए पुलिस हो, संवेदनशील पुलिस हो और आम लोगों के लिए पुलिस हो । महोदय, आपके माध्यम से यह मैं सदन से और प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : आपका दो मिनट बचा है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं तीन मिनट में खत्म कर दूंगा । महोदय, मैं यह कह रहा हूं...

अध्यक्ष : चौदह मिनट में दो मिनट बचा है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दूसरे माननीय सदस्य को बोलना है इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं...

अध्यक्ष : अभी दो मिनट है ।

श्री विजय शंकर दूबे : और कट मोशन का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । आसन को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे पूरे समय बोलने की इजाजत दी ।

अध्यक्ष : श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है। उसमें हमारे विपक्ष के साथी ने जो कटौती प्रस्ताव मूव किया है उसके समर्थन में हम बोलना चाहेंगे । गृह विभाग का है, जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन का है । महोदय, बिहार में अगर देखा जाय तो लॉ एण्ड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । हमने पहले भी कहा था, एक होता है गवर्नेंस, एक होता है गुड गवर्नेंस, लेकिन बिहार में गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, There is no Governance । महोदय, आप प्रतिदिन अखबार खोलते होंगे या टी0वी0 चैनल देखते होंगे, तो कोई ऐसा जिला, ऐसा शहर नहीं होगा, जहां आपको बलात्कार की खबरें, अपहरण की खबरें, हत्या की खबरें जैसी खबरों से पटा न हो । अध्यक्ष महोदय, जब हमलोग छोटे थे, तो एक कहानी सुना करते थे, कई सदस्यों ने इस कहानी को सुना भी होगा । महोदय, कहानी का नाम है - दर्जी, पोशाक और राजा ।

महोदय, एक राजा के दरबार में दो दर्जी जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हम आपके लिये ऐसी पोशाक बनाना चाहते हैं, जो देवता लोग पहनते हैं । राजा बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर बोलते हैं कि आप बनाइये मेरे लिए एक पोशाक । दर्जी कहता है कि जो पोशाक देवता पहनते हैं, उसका धागा हमलोग देवलोक से लायेंगे । राजा और प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन दर्जी ने एक शर्त रखी कि जब वह पोशाक बनायेंगे, जब वह पोशाक राजा को पहनायेंगे, तो वह बेवकूफ लोगों को नजर नहीं आयेगा । तो अविलंब महोदय, राजा कहते हैं कि अच्छी बात है । इससे देवता लोग जो पोशाक पहनते हैं, वह हम भी पहन लेंगे और दूसरा, हम बेवकूफ लोगों की पहचान भी कर लेंगे । राजा प्रसन्न हो कर कहते हैं कि हम आपको मुँह मांगी कीमत देंगे । तुरंत, दोनों दर्जी काम पर लग जाते हैं । बहुत दिन हो जाते हैं, राजा को कोई सूचना नहीं मिलती है, राजा बेचैन होता है कि क्या पोशाक बन रही है या नहीं बन रही है ? राजा अपने दो मंत्रियों को दर्जी के पास भेजते हैं कि देख कर आओ कि क्या काम चल रहा है ? कैसा काम चल रहा है? तो दोनों मंत्री जाते हैं, महोदय । दरवाजा खोलने से पहले दर्जी आपस में बातचीत करते हैं, उनकी आवाज मंत्री को आती है । फिर दोनों मंत्री अंदर जाते हैं और देखते हैं कि दोनों दर्जी ऐसे ही हाथ-पैर मार रहा है । अब मंत्री को ख्याल आता है कि हमको तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम बोलेंगे कि नजर नहीं आ रहा है तो हमको सब लोग बेवकूफ समझेंगे । एक मंत्री बोलता है कि क्या काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा पोशाक तो बना ही नहीं है । दूसरा मंत्री भी उसी ख्याल में रहता है कि हमको तो दिख नहीं रहा है, यह मंत्री हमसे ज्यादा होशियार है, बाहर जाकर हमको बेवकूफ बोलेगा तो दूसरा मंत्री बोलता है कि सही कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया पोशाक बनी है । दोनों मंत्री यह बात राजा को बताते हैं, राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं । राजा से इंतजार नहीं होता है, राजा खुद दर्जी के पास पोशाक देखने पहुँच जाते हैं, उस समय उनको नजर नहीं आता है लेकिन राजा सोचता है कि मेरा मंत्री हमसे ज्यादा होशियार है, उनको नजर आ रहा है परंतु हमें नजर नहीं आ रहा है तो राजा चुपचाप रहता है और वापस आ जाता है । अब पोशाक बनकर तैयार हो गयी । दोनों दर्जी राजा को पोशाक पहनाने जाते हैं और पोशाक पहनाने के बाद पूरे नगर में राजा को घोड़े पर, ढोल-नगाड़े बजा कर घूमाने का था, महोदय । जब राजा को पोशाक पहनायी जाती है और घोड़े पर बैठाया जाता है, बाजा, ढिंढोरा पीट कर पूरे शहर में घूमाया जाता है लेकिन कुछ लोग चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनके दिमाग में था कि हम बेवकूफ बन जायेंगे ।

...क्रमशः....

टर्न-13/सुरज-संगीता/16.03.2021

...क्रमशः...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, तो असली कहानी ये है कि राजा असल में नग्न बदन ही घोड़े पर बैठकर पूरा नगर घूम रहा था । मेरे कहने का मतलब इस कहानी से यह है कि कुछ लोग जो टी0टी0एम0 करते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले जो लोग हैं, केवल उनलोगों को ही बिहार में सुशासन नजर आ रहा है । बिहार के 12-13 करोड़ लोगों को सुशासन पोशाक नजर नहीं आ रहा है । ये हकीकत है, अब कुछ लोग चाहकर भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग ताबड़तोड़ तेल मालिश में लगे हुए हैं । यह कहानी बड़ा फेमस हो रखा था तो हमको लगा कि ये सरकार का जो कथित सुशासनी राज है, यह इसी तरीके का है, इसी पोशाक के जैसा है तो इसलिए हम चाहते थे कि इस बात को हम सदन में रखने का काम करें । अब महोदय, पुलिसिंग का क्या काम होना चाहिए ? पुलिसिंग का काम होना चाहिए कि लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जनरल पुलिसिंग, प्रीवेन्शन, प्रीएमेन्शन, प्रोटेक्शन, इम्पारसियल फूलप्रूफ, What a tight Investigation, ये पुलिस का काम होना चाहिए जो कि हमलोगों को इस राज्य में दिखाई नहीं देता । हमलोगों को क्या नजर आ रहा है ? जो हकीकत है, इस राज्य में पुलिस की नजर केवल शराबबंदी पर है और उससे जो अवैध पैसा कमाया जाता है, जो अवैध आय है उसी पर केवल नजर है बिहार पुलिस की और कोई नहीं । महोदय, पूर्व में डी0जी0पी0 ने भी कहा था, जो पहले डी0जी0पी थे कि थानों का इनवॉल्मेंट होता है इसमें शराबबंदी को ले करके । हम तो इस पर ज्यादा जाना नहीं चाहेंगे लेकिन दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे राज्यों के लोग बिहार के सुशासनी सरकार के बारे में क्या ख्याल रखते हैं हम शायरी के माध्यम से बताना चाहेंगे

''अगर हमारे प्रदेश में बिहार की सुशासनी सरकार होती
हम भी शहर के सबसे बड़े अपराधी बन बच जाते ।''

महोदय, ये हकीकत है । जिसको जेल में होना चाहिए वह बाहर है, जिसको बाहर होना चाहिए वह जेल में है, ये हकीकत है । अब लोग ढिंढोरा पीटते रहते हैं, एक परसेप्शन बिहार का बनाया गया कि लालू जी के दौर में वर्ष 1990 में, जब से लालू जी सत्ता में आए तब से बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी राज चलाते हैं । हमने पिछली बार भी आंकड़ों को बताया था, वे आंकड़े हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि

वर्ष 1990 से 2005 का लालू जी के राज में, जब लालू जी को सत्ता हाथ में मिली तो वर्ष 1990 में, उस समय कुल अपराध के मामले 1 लाख 24 हजार 414 थे । वर्ष 1990-95 में पांच साल के अंदर 1 लाख 15 हजार 598 मामले हो गये यानी कम हो गया । वर्ष 2000 में देश में रैंक ऑफ क्रिमिनालिटी के मामले में बिहार 23वें स्थान पर था । वर्ष 2005 की बात की जाय तो 97 हजार 850 हो गया यानी आप समझिये कि वर्ष 2005 में बिहार 26वें स्थान पर हो गया रैंक ऑफ क्रिमिनालिटी के मामले में और लगभग वर्ष 1990 से 2005 तक 21.3 प्रतिशत की गिरावट आई । अब अगर वर्ष 2005 से 2018 की बात करें, जहां डबल इंजन की सरकार है, सो-कॉल्ड सुशासनी सरकार है, जहां सब कुछ ठीक है, जहां अमन है, चैन है । अगर उसके आंकड़ों की मैं बात करूं तो वर्ष 2005 में 97 हजार 850, वर्ष 2010 में 01 लाख 27 हजार 453, वर्ष 2015 में 01 लाख 76 हजार 973, वर्ष 2018 में 01 लाख 96 हजार 911 यानी कि 101 परसेंट की बढ़ोतरी हुई महोदय और उस समय झारखंड और बिहार लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय एक था, लगभग 54 डिस्ट्रिक्ट थे, जिला था, यूनाइटेड था तब अपराध में इतनी कमी थी महोदय और आज देख लीजिए जब केवल अकेला बिहार है आज 101 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है । आप समझ सकते हैं जनसंख्या कितनी होगी उस समय और अब कितनी जनसंख्या है । अब हकीकत क्या है, नहीं है, यह सब लोग जानते हैं । कुछ लोग पोशाक जो है नहीं भी दिख रहा है तब भी कह रहे हैं दिख रहा है पोशाक । लगे हुए हैं ताली ठोकने में, क्या सरकार है, क्या गजब का काम कर रही है लेकिन कई ऐसे मामले आए, रूपेश हत्याकांड आया महोदय, मधुबनी में एक गूंगी-बहरी बालिका थी उसके साथ रेप का मामला आया, सेल्टर होम का मुजफ्फरपुर का मामला आया, गैंग रेप, वायरल विडियोज, ए0के0-47 मुंगेर में मिल रहा है, किसके पास मिल रहा है ? कौन लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम रहे हैं ? यह तो साफ तौर पर नजर आ रहा है । गोपालगंज मे ट्रिपल मर्डर केस होता है चाहे जे0पी0 यादव के परिवार का हो, रामाश्रय कुशवाहा का हो, अरूण सिंह का हो । इस तरह के मामले में आप देखिएगा चाहे गुप्ता ब्रदर्स, जो किडनैप हुए हैं अब तक कोई समाधान नहीं निकला, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, किस बात का इन्वेस्टीगेशन हो रहा है ? यहां तो केवल और केवल छुपाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है । हकीकत कुछ और है और ये लोग पूरी तरीके से उस पर चादर डालने का काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से पुलिस फेल हो चुकी है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं हैं गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं जो कि नीतीश कुमार जी के पास है महोदय । अध्यक्ष महोदय,

''हुकूमत की नाकामियों से अक्सर दिल दहल जाते हैं
लोगों की गूंजती चीखों में भी न जाने ये कैसे सो जाते हैं ।''

महोदय, कैसे अब लोग जो हैं मर रहे हैं, चीख रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है फिर भी लोगों को सुकून से नींद आ रही है और बिहार की 12-13 करोड़ की जनता की परवाह नहीं है, परवाह केवल अपनी कुर्सी की हो गई है महोदय और कोई काम नहीं हो रहा है बिहार में । महोदय, शराबबंदी की अगर बात की जाय तो लोगों को बुरा लगता है । हमलोगों की भी सरकार रही, उस समय इतनी शराब की दुकानें तो कभी थीं ही नहीं । बाद में वर्ष 2005 से 2015 तक कितनी दुकानें खोली गईं ? वर्ष 2015 में शराबबंदी जो है वह कानून बना महोदय। जब 'मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए' का राष्ट्रीय जनता दल ने आंदोलन शुरू किया था तब नीतीश कुमार जी हवाला देते थे और दूसरे राज्यों से कम्पेयर करते थे कि शराब जो है दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में कम है इसलिए हमें ज्यादा शराब की दुकानें खोलनी पड़ रही हैं । ये हवाला नीतीश कुमार जी दिया करते थे । महोदय, अब आंकड़ा क्या है? बिहार में अब तक 01 करोड़ लीटर से भी ज्यादा शराब पकड़ी गई । ध्यान दीजिएगा 01 करोड़ लीटर से भी ज्यादा शराब पकड़ी गई है जिसमें से अलग से 9 लाख लीटर चूहे पी गये । यह ऑन रिकॉर्ड है । अब आप यहां बैठे सभी माननीय सदस्य कल्पना कर सकते हैं, महोदय आप भी कल्पना कीजिए कि जब 01 करोड़ लीटर शराब पकड़ी गई तब आप समझिए कि बिहार में कितने घर-घर तक कितनी लीटर शराब पहुंच चुकी होगी, होम डिलीवरी हो चुका होगा, कोई कल्पना नहीं । महोदय, एक पैरलल ब्लैक मार्केट बन चुका है ।

...क्रमशः...

टर्न-14/मुकुल-राहुल/16.03.2021

क्रमशः

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः पहले रेवेन्यू 4 हजार करोड़ का जेनरेट होता था, अब पैरर्लर ब्लैक मार्केट जो है लगभग 20 हजार करोड़ से कम का नहीं होगा । लेकिन कार्रवाई क्या की जा रही है, कुछ नहीं की जा रही है । महोदय, गरीब जेल में है लेकिन मंत्री का भाई जेल में नहीं हो सकता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती । महोदय, गोपालगंज मामले में गरीबों को फांसी की सजा हुई है, हमारा सवाल यह है कि करियर को आप पकड़ रहे हैं लेकिन सप्लायर को आपने कहां पकड़ा है, सप्लायर को आप कहां

पकड़ रहे हैं ? इसलिए महोदय, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए । हम किस आधार पर बोल रहे हैं कि नीतीश जी ने हर घर दारू पहुंचवाने का काम किया । हम इस आधार पर बोल रहे हैं क्योंकि हम आंकड़े पेश करेंगे । वर्ष 2004-05 में पूरे बिहार में ग्रामीण इलाकों में मात्र 500 से भी कम शराब की दुकानें थीं। महोदय, अब पूरे बिहार की अगर बात कर लें तो लगभग 3,000 शराब की दुकानें थीं और जो 6,000 से अधिक हो गई हैं, जो हकीकत है । महोदय, वर्ष 2004-05 में जो 3,000 थीं और 10 साल में यानी वर्ष 2014 या 2015 तक की अगर बात करें तो लगभग दोगुनी दुकानें हो गई थीं जोकि 6,000 के आस-पास होती हैं । महोदय, अब यह देखिए कि वर्ष 2005 में 500 से भी कम थे और 10 साल वर्ष 2014 में वही 500 से बढ़कर ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकान वर्ष 2014-15 में 2,307 शराब की दुकानें हो गईं तो शराब पहुंचाया किसने ? किसकी सरकार वर्ष 2005 से वर्ष 2014 तक किसकी सरकार थी ? महोदय, बार-बार मुख्यमंत्री जी कहते थे, दूसरे राज्यों की तुलना करते थे कि दूसरे राज्य में शराब की दुकान कम है इसलिए हम लोग ज्यादा खोल रहे हैं । महोदय, क्या हालत हो गई थी? आप कल्पना कर लीजिए कि वर्ष 2004-05 में पूरे बिहार में शराब की दुकान 3,000 थी जोकि 10 वर्षों में बढ़कर वर्ष 2014-15 में यह 6,000 हो गई तो आप समझिए कि आजादी के बाद वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2005 में यानी 58 वर्षों में बिहार में केवल शराब की 3,000 दुकानें खुलीं, आजादी से वर्ष 2005 तक जो दुकानें खुलीं लगभग 60 सालों में वह केवल 3,000 खुलीं और महोदय, इन 10 सालों में आप समझिए कि लगभग डबल दुकानें खुल गईं इन 10 सालों में, जोकि वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2014 तक में तो यह हकीकत है । अब आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो वर्ष 1947 से अब तक का तो मात्र 51 दुकानें प्रतिवर्ष खुलती रहीं और 10 वर्षों का अगर हिसाब किया जाय तो उन 10 सालों में जहां एन0डी0ए0 की सरकार थी लगभग 300 दुकानें हर साल खुली करती थीं । महोदय, यह शराब की सच्चाई है । अब महोदय, गरीब लोग जेल में हैं, बिना ट्रायल के भी उन लोगों को जेल में भेज दिया जा रहा है, बेल कराने का पैसा नहीं, खाने-पीने का पैसा नहीं, वह कहां से बेल करवायेगा, कहां से बेल करायेगा, कैसे लड़ेगा ? महोदय, न्यायालय पर बोझ है, न्यायालय ने कई बार कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाईकोर्ट में ज्यादातर केसिज जो हैं, हम लोगों के ऊपर जो बोझ है वह शराबबंदी को लेकर है । महोदय, हम लोग चाहते हैं कि जो निर्दोष है वह बचे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए । लेकिन यहां पर हकीकत कुछ और है, गरीबों को फांसी की सजा हो रही है, जेल में है और जो लोग

सप्लायर्ज हैं वे लोग सत्ता का मजा चख रहे हैं यह हकीकत है । अध्यक्ष महोदय, अगर इसी पर शायरी बोलें तो:-

''जुर्म करने वाला जेल में रहता कहां है,
गरीबों को आसानी से न्याय मिलता कहां है ।''

महोदय, यह हकीकत है, यह सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यहां कई ऐसे मंत्री हैं जो हिम्मत जुटाकर पोशाक की असलियत बताते हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु जी मुजफ्फरपुर में जो हुआ था उसमें उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी ने पुलिस अधिकारियों को डांट-फटकार लगाई थी और वरीय पुलिस अधिकारी को फोन करके कहा कि आप सरकार की बदनामी करा रहे हैं । उपमुख्यमंत्री अगर एस0पी0 को कह रही हैं कि आप सरकार की बदनामी कर रहे हैं । महोदय, 31 जनवरी, रविवार को दारोगा को गोली मारने की वारदात को अपनी ही सरकार के लिए शर्मनाक कहा । दारोगा को जो गोली मारी गई, पहले तो हम सुनते थे कि अपराधियों का एनकाउंटर होता है, लेकिन यहां तो दारोगा साहब का ही एनकाउंटर हो रहा है । महोदय, लॉ एण्ड आर्डर की बात करें तो इससे ज्यादा बद से बदतर और क्या हो सकता है, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए उसी का एनकाउंटर हो रहा है तो आम जनता की तो छोड़िए क्या हो रहा है ? महोदय, क्या हकीकत बनी हुई है ? अब इसमें तो चाहे संजय सरावगी जी हों, अजय निषाद जी हों, मिथिलेश कुमार जी हों, विवेक ठाकुर जी हों, राजीव प्रताप रूडी हों, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हों, गिरीराज सिंह जी हों, अमरेन्द्र प्रताप सिंह जी हों, नितिन नवीन जी हों, छेदी पासवान जी हों, कई बार इन लोगों ने सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ बयान दिए हैं । महोदय, बी0जे0पी0 के प्रदेश अध्यक्ष की हम बात करें तो ये संजय जयसवाल जी की फेसबुक पर पोस्ट है, इसमें इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मोतीहारी पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में अक्षम है...

अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में चर्चा न करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, हम तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं । महोदय, संजय जयसवाल जी ने भी मोतिहारी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए, यह सबूत है हम कोई भी, आपका यह निर्देश है कि बिना तथ्यों के न बोलें, हम तथ्यों के साथ आए हैं आप रेणु जी का तारीख के साथ हमसे पूछ सकते हैं, जिन-जिन का नाम हमने लिया है हमारे पास उन सबका बयान है, इसमें कोई छिपा नहीं है । महोदय, संजय सरावगी जी सदस्य हैं इन्होंने 09 दिसंबर को दरभंगा बाजार में ज्वैलरी दुकान पर दिनदिहाड़े 10.15 बजे हुई लूट, संजय सरावगी जी ने कहा कि अपराधियों में प्रशासन का

भय कम हो रहा है, पूछ लीजिए बोले हैं कि नहीं बोले हैं । महोदय, यह तो साफ तौर पर आप जिनका नाम बोलेंगे उसका, अजय निषाद जी जो मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा ? मिथिलेश ठाकुर जी ने क्या कहा ? पवन जयसवाल जी ने क्या कहा? राजीव प्रताप रूडी जी ने क्या कहा ? ये तो इन्हीं के अंग हैं । महोदय, हम तो यह कहना चाहते हैं कि हकीकत देख लीजिए कि कुछ लोग हिम्मत जुटाकर के पोशाक की असलियत बता रहे हैं । महोदय, आप पूछ लीजिए कि जो ज्वैलरी वाला हुआ था, बोले थे कि नहीं बोले थे, इनकी कटिंग है कि नहीं है । हम तो यह कहना चाहते हैं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो हम लोगों को सच बोलने से घबराने की जरूरत नहीं है, जो असलियत है वह खुलकर के बोलनी चाहिए, वरना राजा का जैसे परेड हुआ कहानी में वहीं वाली स्थिति हो जाएगी तो इसलिए हम लोगों को जो है इनसे राजा को बचाना चाहिए । महोदय, राजा ही क्या करे, राजा के पास ही गृह मंत्रालय है, पुलिस डिपार्टमेंट है, लेकिन कभी भी गृह विभाग पर आप बोलते हुए नहीं सुने होंगे । कोई घटना हो, न घटना स्थल पर जाना, न बयान देना, कोई चीज नहीं, अब बोला जाता है कि न हम बचाते हैं, न फंसाते हैं । हमारे पास इतने सबूत हैं कि आप कहें तो पेश कर दें कि कैसे बचाया और कैसे फंसाया, लेकिन आपका आदेश है कि लिखित में आपको दिया जाएगा, जरूर आपको हम लिखित में देंगे, लेकिन आप सदन को आश्वस्त कीजिए कि आप उसकी जांच करवाएंगे, तो हम लोग तो पूरे डेटा के साथ और सच्चाई के साथ कहते हैं । महोदय, बिहार में अब कोई लोग सुरक्षित घर जाते हैं तो जो लोग सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं वे कहते हैं कि घर लौटकर ऐसा लगता है जैसे दोबारा जन्म लेकर के आए हैं, यह असलियत है । महोदय, यहां कितनी भी हम लोग बात कर लॉ एण्ड आर्डर को, कितना भी सरकार को आईना दिखा दें, लेकिन काम वही किया जा रहा है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, दिन-पर-दिन अपराध बढ़ रहे हैं, जो गरीब जनता है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको सजा मिल रही है ।

क्रमशः

टर्न-15/यानपति-अंजली/16.03.2021

...क्रमशः...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों को यह लगता है कि जो कटौती प्रस्ताव मांग पर किया गया है उस प्रस्ताव के पक्ष में तो हम लोग बोल ही रहे हैं लेकिन अगर इसी तरीके से सरकार चलेगी तो कोई औचित्य नहीं रह जाता । महोदय, बिहार की बदनामी हो रही है और कहीं न कहीं से आदरणीय मुख्यमंत्री जो कि गृह डिपार्टमेंट नीतीश कुमार जी का, बिहार में कानून प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है महोदय, कोई कंट्रोल नहीं रह गया है । महोदय, जो अधिकारी कहते हैं वे करते हैं । कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं उनकी ही बात करते हैं, अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें महोदय, मुख्यमंत्री जी अगर होंगे सुन ही रहे होंगे हालांकि प्रभार में अभी बिजेन्द्र बाबू जी हैं, विजय जी हैं । हमलोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी बताएं, मंत्री लोग बताएं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में महोदय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अगर बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन सही मायने में कहा जाय तो पूरी तरीके से पैरालाइसिस हो गया है महोदय, पूरी तरीके से पैरालाइसिस हो गया, अब क्यों हुआ है, हताशा का माहौल है, अपमानित महसूस कर रहे हैं कई अधिकारी, क्योंकि यहां हैरारकी है महोदय, हैरारकी टूट गया महोदय, सीनियर और जूनियरटी में अब कोई फर्क नहीं रह गया है । महोदय, हम पूछना चाहेंगे सरकार से जवाब भी चाहंगे कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि 101 अनुमंडल में से कितने एस0डी0ओ0, डी0सी0एल0आर0 से जूनियर हैं कितने एस0डी0ओ0, डी0सी0एल0आर से जूनियर हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं और कितने डी0सी0एल0आर0 वहां के एस0डी0ओ0 से सीनियर हैं । महोदय, जूनियर और सीनियर का कोई फर्क ही नहीं रह गया, जो आपके हिसाब का रहेगा, जो आपके समीकरण का रहेगा, जो आपके फायदे के लिए रहेगा उसी हिसाब से प्रमोशन और पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है और कुछ नहीं होता है । महोदय, जातिवादी, भाई-भतीजावाद, फेवरेटिज्म यही सब चल रहा है बल्कि होना ऐसा चाहिए कि काम के आधार पर होना चाहिए, उसके टैलेंट के आधार पर होना चाहिए, परफार्मेंस वेस्ट जो है ट्रांसफर पोस्टिंग या प्रमोशन की जहां तक बात है वह होना चाहिए लेकिन यहां होता क्या है और कई एस0डी0ओ0 डी0सी0एल0आर0 से 10-10 साल जूनियर हैं महोदय, दस-दस साल पूरा हैरारकी जो है वह टूट गया है, लोग जो हैं पूरी तरीके से हताश हैं, जितने अधिकारी हैं अब आप देखियेगा एक-एक अधिकारी जो हैं चार से पांच विभाग का प्रभार दिया हुआ है, कहीं अधिकारियों को कोई काम ही नहीं है, कई लोगों को शंट किया गया है । जो

आपके समीकरण में नहीं बैठता है उसको आप शंटिंग में डाल दिये और जो अधिकारी आपके समीकरण में बैठता है उसको चार से पांच विभाग की जिम्मेदारी दिये हुये हैं । अब डी0एम0 और एस0पी0 का ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है वह तो सब को पता है । आर0सी0पी0 टैक्स, आर0सी0पी0 टैक्स जब तक नहीं दीजियेगा तब तक डी0एम0 और एस0पी0 की ट्रांसफर पोस्टिंग हो ही कहां सकती है चाहे कितने भी गंभीर मामले हों । कई काबिल अधिकारी हैं जिनको शंटिंग में डाला हुआ है । महोदय, अब देखिये कांप्रहेंसिव ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी जो है वह बनानी चाहिए सरकार को, हमारा जो सुझाव है कांप्रहेंसिव और पोस्टिंग पॉलिसी सरकार को बनाने की जरूरत है । प्रदेश में कैडर रूल है लेकिन कैडर रूल जो है वह प्रभावी नहीं है तो हम चाहेंगे सरकार से कि इस प्रदेश में प्रभावी कैडर रूल बनाना चाहिए और इम्पलीमेंट जो है उस हिसाब से करना चाहिए महोदय, कई अधिकारियों का प्रमोशन जो है रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे केस का हवाला दिया जा रहा है लेकिन बाकी प्रदेशों में कैसे प्रमोशन हो रहा है ? यहां कई सालों से 2016 से जहां तक हमको जानकारी है कि किसी का प्रमोशन ही नहीं हो रहा है ? क्यों नहीं हो रहा है तो हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे प्रदेश का मामला है, उसको लेकर के हवाला दिया जा रहा है लेकिन मेरा सवाल है कि और प्रदेशों में कैसे प्रमोशन हो रहा है यहां क्यों रुका हुआ है यहां पूरी तरीके से बाकी प्रदेशों में कैसे प्रमोशन हो रहा है इस पर जवाब सरकार से चाहिए ? कब तक उनका प्रमोशन हो पायेगा, कैसे टैकल कर रहे हैं इस मसले को और यहां तो भ्रष्टाचार, करप्शन, फेवरिज्म यही सब चल रहा है महोदय, अधिकारियों को जो चार-पांच प्रभारी विभाग में प्रभार में दिया गया है वही काम हो रहा है और तो कोई काम नहीं हो रहा है आप देखियेगा महोदय कि बिहार का सामान्य प्रशासन विभाग एकदम असामान्य तरीके से काम कर रहा है एकदम असामान्य तरीके से जिससे प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है । और असमान्य वे से जो है पूरी तरीके से काम चल रहा है । अब कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिये अब एक अधिकारी रिटायर होते हैं तो उनको तुरंत जो है जो चहेते हैं और समीकरण में उसको तुरंत किसी और चीज का रिटायरमेंट के बाद प्रभार दे दिया जाता है । कुछ न कुछ बना दिया जाता है लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिये पॉलिसी लायी गयी है कि 50 साल में रिटायर कर दो । उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठाये जा रहे हैं तो आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 की कार्यक्षमता पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं । हम मंत्री

हों, मुख्यमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, उनकी कार्यक्षमता पर क्यों नहीं सवाल उठाये जा रहे हैं । आप 50 साल में सरकारी कर्मचारी को रिटायर करेंगे लेकिन जो आई0ए0एस0 आपका चहेता है, आई0पी0एस0 आपका चहेता है उसके रिटायर हो जाने के बाद भी चार-पांच साल आप जो है कुछ-न-कुछ उसको बनाकर बैठाये हुए रहते हैं । यह दोहरी नीति है महोदय, ऐसे कैसे चलेगा । सरकारी कर्मचारी की योग्यता पर सवाल आए तो एम0एल0ए0 पर भी होना चाहिये, मंत्रियों पर भी होना चाहिये, मुख्यमंत्री पर भी होना चाहिये तो इसपर तो कोई बात नहीं कही जाती है । महोदय, अब हम यह कहना चाहेंगे अब मान लीजिये कि बी0पी0एस0सी0 का चेयरमैन जो है वह रि-एपाइंटमेंट नहीं कर सकते हैं जो भी बी0पी0एस0सी0 में रहा चेयरमैन रहा उसको आप रि-एपाइंटमेंट नहीं कर सकते हैं लेकिन इनकी सरकार ने किया है, रि-एपाइंटमेंट किया है सरकार में, अब हम क्यों कह रहे हैं रि-एपाइंटमेंट नहीं कर सकते हैं । महोदय, यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है बाय लॉज है इसमें अगर आप देखियेगा आर्टिकल 319, बी पार्ट अगर आप पढ़ियेगा, The chairman of the state public service commission shall be eligible for appointment as the chairman or any other member of the union public service commission or as the chairman of any other state public service commission but not for any other employment either under the government of India or under the government of the state. आप कमीशन में कहीं सदस्य वगैरह बना सकते हैं, यूनियन में या स्टेट में जहां हैं वहां बना सकते हैं लेकिन आप अलग से उसको जो है इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है महोदय कि but not for any other employment either under the government of India or under the government of a state. अगर कोई स्पेसिफिक सरकार हमसे पूछेगी कि आप किस बेस पर बोल रहे हैं, किस अधिकारी का किए हैं तो हम नाम भी ले सकते हैं अगर सरकार चाहे तो । किस-किस अधिकारी को आपने रिटायरमेंट के बाद भी बी0पी0एस0सी0 के बाद भी आपने कुछ-न-कुछ बनाया हो । और यह महोदय अगर देखा जाय तो हम इसमें सरकार से चाहेंगे अगर कोई रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप किसी का एपाइंटमेंट कर रहे हैं तो दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूर रखिये । दो साल तक का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी है, हटने से पहले ही बन जाता है । हम तो इसपर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे सरकार जो है कितनी गंभीर है कैसे प्रशासन जो है व्यवस्था वह चल रही है यह सबलोगों की नजर में है लेकिन अगर बात की जाय तो बार-बार हमलोग

देखते रहते हैं कि जंगलराज-जंगलराज, ये हो गया-वो हो गया, हमने डाटा भी पेश कर दिया 1990 से लेकर 2005 का और 2005 से लेकर 2018 तक का । महोदय, जहां 1990 से लेकर 2005 तक में अपराध में जो कमी आई है लगभग 21 परसेंट की, 21 परसेंट की कमी आई, 26वें स्थान पर बिहार था और 2015 से 2018 तक 101 परसेंट की क्राइम में बढ़ोतरी हुई, इतना बढ़ा महोदय । इसलिए हमलोग जो हैं पूरी तरीके से इस बात को कहते रहे हैं कि बिहार में अगर असली जंगलराज है तो यह एन0डी0ए0 की सरकार में है, डबल इंजन की सरकार में है । अब एक पत्रकार जो हैं सत्ताधारी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे ।

...क्रमशः...

टर्न-16/सत्येन्द्र/16-03-21

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल(क्रमशः) लेकिन उनका टी0वी0 पर मैंने बयान देखा वह भी अधिकारी रह चुके हैं, अब कैसे अधिकारी बनकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गये पार्टी का, अब तो यही बतायेंगे कि क्या फेबरिज्म हुआ था उस समय लेकिन महोदय, उनका बयान देखते हैं कि जब पत्रकार सवाल पूछते हैं उनसे तो वे बोलते हैं कि कोई माईंड में आ जायेगा कि कौन अपराधी है, उन्होंने जवाब दिया पत्रकार को बढ़ते अपराध के मामले में कि मेरे दिमाग में घूस जायेगा कि ये अपराध करेगा, ये मर्डर करेगा तो हम पूछना चाहते हैं कि 1990 से 2005 में बिहार के पास मशीन था दिमाग में, तब तो आपलोग चिल्लाते रहते थे, आपलोग चीख चीख कर चिल्लाते थे कि जंगल राज आ गया, महाजंगल राज आ गया । अब जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि कोई दिमाग में घूस जायेगा कि कौन अपराध करेगा, नहीं करेगा । किस तरह का बयान दे रहे हैं, कितना निचला स्तर हो गया है महोदय राजनीति का, आप यह देख सकते हैं महोदय, अब आप बात कीजियेगा तो बदनाम करने वाले लोग तो करते ही रहेंगे लेकिन हम तो चाहते हैं कि आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ लोग बहस करें, बात करें लेकिन अफसोस के साथ कि कोई सवाल पूछो, कोई आंकड़ा पेश करो तो कुछ भी जवाब नहीं मिलता नहीं, कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता । अब आप देखियेगा महोदय तो हम चाहेंगे, यहां अगर प्रतिदिन हत्या होती है तो हां, यहां बिहार में जंगल राज है, यहां प्रतिदिन बलात्कार होता है तो हां, यहां महाजंगल राज है, यहां प्रतिदिन लूट होती है तो हां, बिहार में महाजंगल राज है, यहां अपहरण होता है प्रतिदिन तो हां, महाजंगल राज है बिहार में, यहां चोरी डकैती होती है प्रतिदिन तो हां, बिहार में जंगल राज है, यहां प्रतिदिन अपराध होता है तो हां, यहां महा जंगलराज है बिहार में महोदय, यहां पर अपराधियों को

बचाया जाता है तो हां, यहां महा जंगलराज है महोदय, यहां प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता है तो हां, यहां महाजंगल राज है बिहार में महोदय, यहां प्रतिदिन टी0वी0 अखबार में लूट, हत्या बलात्कार की खबरें आती हैं तो हां, बिहार में महा जंगलराज है महोदय, हां, यह हकीकत है महोदय, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता है महोदय ।

रूप पलट-पलट कर सामने आने वाले खौफ का,
तेरे चर्चे अब हर जुबान पर हैं,
तो तू खुद को सुशासन न बता,
तेरे किस्से अब थाने और आवाम की जुवान पर है।

महोदय फिर से हम दोहरा देते हैं

रूप पलट-पलट कर सामने आने वाले खौफ का,
तेरे चर्चे अब हर जुबान पर हैं,
तो तू खुद को सुशासन न बता,
तरे किस्से अब थाने और आवाम की जुवान पर है।

महोदय ज्यादा कुछ समय हम न लेंगे लेकिन हम चाहेंगे..

अध्यक्षः अभी समय है आपका ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, इनको मेटेरियल चाहिए महोदय तो बोलिये, शाम क्या एक महीना भी बैठे रहियेगा तो हम बोलते रह जायेंगे अपराध पर, इसलिए यह मत बोलिये । फिर इधर-उधर की बात करेंगे तो महोदय और क्या कर सकते हैं, पोशाक नजर आ रहा है..

अध्यक्षः भटकियेगा मत ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः इनलोगों को पोशाक नजर आ रहा है महोदय, क्या कह सकते हैं, अब मान लीजिये कई अति महत्वपूर्ण मसले आये हैं, हमलोगों ने भी चर्चा की, अन्दर भी चर्चा की, शराबबंदी की चर्चा की, हमलोगों के पास तथ्य है महोदय, सबूत है, हम नाम नहीं लेंगे, चलिये आपलोगों को आपत्ति होती है, किसी मंत्री का नाम लेने से उनकी बेइज्जती होती है लेकिन जो बिहार की बेइज्जती होती है उसके लिए आपलोग स्वीकार करते हैं न ? लेकिन जो अपराधी गतिविधि में हैं, जो आपका विधायक है या जो आपका मंत्री है, उनका नाम ले लेंगे तो बेइज्जती हो जायेगी, हम कोई भी बात करते हैं महोदय तो हम बिना साक्ष्य के तो करते नहीं हैं, साक्ष्य के साथ ही हम बात करते हैं,

प्रूफ के साथ, अगर गलत कह रहे हैं तो मानहानि का मुकदमा करो, जेल में डाल दो, आप ही की सरकार है न? आपकी सरकार है महोदय इसलिए....

(व्यवधान)

बोलने दीजिये महिला हैं, मुख्यमंत्री जी के जगह पर आप ही जवाब दे दीजियेगा । आप तो सक्षम महिला हैं, बोलियेगा अच्छे से, बहुत काबिल हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मुख्यमंत्री जी ने ठगा न हो । जार्ज फर्नांडिस जी की बात करें तो आपलोग भी बैठे हैं, बगल में से थाली किसकी खींची थी, हमारी तो नहीं खींची थी, किसकी थाली खींची गयी तो हमसे मत बोलवाइए, हम तो बहुत लोगों का नाम ले सकते हैं लेकिन लेना नहीं चाहेंगे हम महोदय, वह सब लोग जान रहे हैं महोदय, आप खुद भुक्तभोगी रह चुके हैं । अभी आप आसन पर हैं..

अध्यक्षः आप अपना अनुभव शेयर कीजिये, हमारा अनुभव कहां से शेयर करने लगे । नेता प्रतिपक्ष, अगर मेरा अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर बिहार, 21वीं सदी के बिहार और भारत के लिए क्या विजन है पॉजिटिव, उस पर कुछ प्रकाश डाल दीजिये।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, मांग पर चर्चा हो रही है, कटौती प्रस्ताव..

अध्यक्षः पॉजिटिव डायरेक्शन में अब चलें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः पॉजिटिव ही है ।

अध्यक्षः अब तक तो सब निगेटिव ही था ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः आत्मनिर्भर तो अपराधी हो गया बिहार का, अपराधी महोदय, स्कॉरपियो में घूमते हैं, अपराधी आत्मनिर्भर है, ए0के0-47 लेकर घूमता है और पुलिस का एनकाउंटर करता है, ये है आत्मनिर्भर बिहार जहां 75 घोटाले हो गये हैं और जहां मंत्रियों को बचाया जाता है, सत्ता संरक्षण दिया जाता है वह है आत्मनिर्भर बिहार, जो बेरोजगारी का केन्द्र बना है देश में, वह है आत्मनिर्भर बिहार, जहां शुगर मिल, जूट मिल, पेपर मिल सारे बंद हो चुके हैं जिसका औने-पौने दाम पर जो है बेच दे रहा है लोग करोड़ों की सम्पत्तियों को, वह है आत्मनिर्भर बिहार तो महोदय, आत्मनिर्भर बिहार खाली बोलने से नहीं होगा, करने से होगा । आपका एक्शन बताता है कि आप क्या कीजियेगा, सरकार का एक्शन बता रहा है कि वह कहां ले जा रहे हैं बिहार को, कहां था कहां ले गये इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमलोग बताना चाहेंगे, हम मंत्री जी का नाम नहीं लेंगे लेकिन मंत्री जी के एक भाई हैं उन पर एफ0आई0आर0 है, स्कूल का नाम जो है वह मंत्री जी के पिताजी के नाम पर है, मंत्री जी का बयान आता है और बाहर मंत्री

जी कहते हैं बयान में कि हम 10 साल से भाई से नहीं मिले हैं यानी कि वर्ष 2011 से और महोदय, 2017 में वही स्कूल का उद्‌घाटन कर रहे हैं मंत्री जी अपने ही भाई के साथ बैठकर के..

अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, आपको हमने उस दिन भी दलीय नेताओं की बैठक में कहा था कि प्रमाणिकता है तो आप लिखित हमको दें फिर आसन से अनुमति से आप रखेंगे और जिनका नाम आता है वह भी अपनी बात को रखेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, हमने नाम तो लिया नहीं ।

अध्यक्ष: सदन की गरिमा इसी से बेहतर होगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, हमने नाम तो लिया नहीं है अभी ।

अध्यक्ष: आपके बयान में तो पहले ही सारा नाम प्रेस में आ चुका है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: हम तो महोदय साक्ष्य ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रख चुके हैं और अगर हमने साक्ष्य पब्लिक डोमेन में रखा है तो उसका मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम गये थे उद्‌घाटन करने और अपने भाई के साथ बैठे थे तो सवाल यह होता है कि मंत्री जी ने असत्य क्यों बोला पहले, जबतक हमने प्रमाण नहीं दिखाया ।

अध्यक्ष: झूठ नहीं असत्य बोलिये न ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: असत्य बोला, ठीक है आपको जो ठीक लगे वही कीजिये।

अध्यक्ष: वही प्रोसीडिंग में जायेगा।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: तो अध्यक्ष महोदय, अबतक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। नियम है कि जिस जमीन में अगर शराब मिलेगा तो वहां थाना या तो विद्यालय बनायेंगे। नवम्बर माह की घटना है महोदय, अबतक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई है इनके भाई की और न ही वहां थाना बना, न ही सरकार ने उस जमीन को कब्जाने का काम किया, क्यों? (क्रमशः)

टर्न-17/मधुप/16.03.2021

...क्रमशः...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : यह तो पूछा जा सकता है न महोदय, आखिर क्यों ? यह कहना गलत तो नहीं होगा कि सत्ता संरक्षण देने का काम कर रही है । चाहे लॉ एण्ड ऑर्डर का मामला हो, पुलिसिंग का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, पूरे तरीके से सरकार फ्लॉप हो चुकी है । कोई काम की नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे..

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम आपके पास इसके बाद चेम्बर में आकर आपको हम तथ्य पेश करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी सदन को आश्वस्त करें कि आप कार्रवाई करने के लिए जॉच के आदेश दीजिएगा । जॉच के आदेश में यह भी दीजिए कि अगर हम असत्य बोल रहे हैं तो हमपर भी कार्रवाई कीजिएगा, यह भी आप जॉच के ओदश में बोलने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : एक मिनट । मंत्री, संसदीय कार्य कुछ कहना चाह रहे थे तो मान लीजिए मंत्री के संदर्भ में है तो वे अपना बयान रखेंगे बाद में ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, आप आसन से जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, यह तो सदन के किसी भी माननीय सदस्य का अधिकार है और माननीय मंत्री का तो अधिकार है ही कि अगर किसी सदस्य या किसी मंत्री के बारे में कुछ बातें आती हैं तो उनको स्पष्टीकरण देने का, प्वायंट ऑफ क्लेरिफिकेशन पर अपनी बातें कहने का आपकी इजाजत लेकर यह सभी सदस्यों का और माननीय मंत्री का अधिकार सुरक्षित है और अगर माननीय मंत्री इस विषय पर अपना प्वायंट ऑफ क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं, स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो उनको अवश्य इजाजत दी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय.....

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : अब आप क्या बोलेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, कल सदन में जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, उसके लिए मैं चाहूँगा नेता प्रतिपक्ष से कि सदन में कम से कम क्षमा याचना तो करनी चाहिए, माफी तो मॉगनी चाहिए । इतना लम्बा-चौड़ा भाषण, सिद्धांत बखान रहे हैं, अनुशासन की बात बखान कर रहे हैं और सदन के बारे में बता रहे हैं, सम्मान के बारे में बता रहे हैं लेकिन जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किये, इसके लिए तो इन्हें माफी मॉगनी चाहिए ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : इसके लिए इतना लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे हैं और कल असंसदीय भाषा का प्रयोग किये हैं, पूरे देश ने देखा है, पूरे बिहार की जनता ने देखा है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठ जाइये । रख दिये आप बात ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : हम इनके पिताजी के साथ वर्ष 1974 आंदोलन में जेल गए हैं, पॉच बार के हम विधायक हैं और हमारे सम्मान को ये ठेस पहुँचाये हैं और असंसदीय भाषा के लिए इनको क्षमा मॉगनी चाहिए । इतना लम्बा-चौड़ा भाषण दिये हैं ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, काश मंत्री जी सही जवाब दे सकते थे, दे नहीं पाये, कोई सवाल का जवाब नहीं रहता है (व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मेरा समय है, आप बैठ जाइये न स्थिर से । आप मंत्री हैं, गरिमा का तो थोड़ा ख्याल रखिये । बैठिये ।

यही सब कारण है न महोदय, कारण यही सब है । यही कारण है ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : क्या कहना है ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, हमने जो जवाब दिया, पूरी सत्यता के साथ माकूल जवाब दिया । महोदय, आपने तो पूरा कहा कि जो इनको और चाहिए, वह जवाब वे देंगे लेकिन सवाल सवाल-जवाब का नहीं है, सवाल सम्मान को ठेस पहुँचाना है, सवाल मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुँचाना है । मैं अति पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हूँ, पॉच बार का विधायक हूँ, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर ये सदन के माननीय सदस्य की गरिमा की अवहेलना किये हैं । इसपर इनको माफी मॉगनी चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : XXX

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सदन में धमकी की भाषा नहीं चलती है । यह उचित नहीं है ।

(इस अवसर पर पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यगण खड़े हो गए)

(व्यवधान)

सदन में धमकी की भाषा नहीं चलती है । बैठ जाइये सब लोग, बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय....

XXX आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी । बैठ जाइये । माननीय नन्द किशोर यादव जी । (व्यवधान) सभी लोग बैठ जाइये । एक आग्रह करेंगे कि सदन के अंदर धमकी की भाषा नहीं चलती है, मर्यादित भाषा ही प्रोसीडिंग के अंदर जायेगी । (व्यवधान) बैठ जाइये सभी लोग । सदन अपने नियम और नियमावली से चलता है । सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे कि बैठ जायं । मर्यादित भाषा का उपयोग करें, सदन का माहौल शांतिपूर्ण बरकरार रहे । (व्यवधान) बैठ जाइये सभी लोग । आग्रह कर रहे हैं । नहीं, यह उचित नहीं है । आप भी बैठ जाइये सदा जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) कैसे चलेगा ?

अध्यक्ष : बैठ जाइये । वह हट गया । प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बना । वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है। बैठ जाइये । बैठ जाइये । सदन का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाये रखना सबकी जिम्मेवारी है।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : विजय बाबू, इतने आरोप हमने मुख्यमंत्री पर लगाये, ऐसा हंगामा नहीं हुआ । बी0जे0पी0 के मंत्री थे तो देखिए, कितना चिढ़ रहे हैं ये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री पार्टी के नहीं होते हैं, एन0डी0ए0 के इनके मंत्री हैं ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मेरा समय सबको मिल रहा है ।

अध्यक्ष : आप तो अपना समय उनको दे रहे हैं स्वयं । बैठ जाइये, सरावगी जी । (व्यवधान) चलिये बोलिये । अब आपका समय मात्र 7 मिनट बचा है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, शुगर मिल बेचवा दिया जा रहा है, औने-पौने दाम पर बेचवा दिया जा रहा है, उसकी इनको चिन्ता नहीं है ।

अध्यक्ष : इन सब पर तो चर्चा कर ही लिये हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : उन्होंने मेरे को लेकर बोला तो जवाब तो देंगे । हमने क्या बोला कि कैसे-कैसे मंत्री बना देते हैं लोग, कैसे-कैसे में क्या आपत्ति है भाई, असंसदीय कहाँ है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, यह गलत है । फिर आप उधर मत देखिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : फिर बोलते हैं, पता नहीं कैसे-कैसे लोगों को मंत्री बनाया गया है ।

अध्यक्ष : आप नेता प्रतिपक्ष, आसन की ओर देखिये । आप डायरेक्ट कहाँ लाईन जोड़ने लगते हैं ? (व्यवधान) आप आसन की ओर देखिये । उधर कहाँ देखने लगे ? (व्यवधान) बैठ जाइये, बैठ जाइये । अब आप भी बैठ जाइये । आप दोनों बैठ जाइये, आप भी बैठिये और आप भी बैठिये ।

माननीय सदस्यगण, वाद-विवाद का मतलब यह नहीं है कि वातावरण तनावपूर्ण बने । वाद-विवाद का मतलब है कि हम सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने-अपने पक्ष को रखें । एक-दूसरे को हम आईना दिखायें और जनहित में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, वह सुझाव भी रखें । दोषारोपण से समस्या का निदान नहीं हो सकता । इसलिए दोषारोपण की बजाय हम पॉजिटिव विजन को भी सदन के सामने रखें ताकि नये सदस्य जिम्मेवार पद पर बैठे हुये लोगों को बड़े गौर से देखते हैं, तो उनके विजन से वे सीखें और आगे कदम बढ़ायें । नेता प्रतिपक्ष ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे । मामले को ये लोग उलझाना चाहते हैं हंगामा करके और सच्चाई को बोलने से ये लोग रोकना चाहते हैं । बात यह है कि जो तथ्य हमने रखा, उस तथ्य पर तो ये कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि फँसे हुये हैं ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय....

अध्यक्ष : जब मौका मिलेगा तो सुनेंगे । आप बैठ जाइये, आपको मौका मिलेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अच्छा, बोलने दीजिये । बोलने दीजिये । बोलिये । बोलने दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । नहीं ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : समय दिया जाय ।

अध्यक्ष : आपको हम समय देंगे और नेता प्रतिपक्ष, सबलोग यहाँ रहेंगे और सुनेंगे आपकी बात को। चलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब तो ये कह रहे हैं कि रहेंगे, सुनेंगे ये लोग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं, हमने पहले भी आंकड़ा दिया था, 66 फीसदी ऐसे मंत्री हैं जो दागी हैं ।

अध्यक्ष : नहीं । बिना डॉक्युमेंट और प्रमाणिकता के नहीं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ऐसे आंकड़े हैं हमारे पास, सर्टिफिकेट दे देंगे ।

अध्यक्ष : क्या सर्टिफिकेट है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ऐफिडेविट है इनका, मंत्रियों का एफिडेविट है ।

अध्यक्षा : आप 66 परसेंट का कह रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हॉ, 66 परसेंट का कह रहे हैं । हम मजाक कर रहे हैं?

अध्यक्ष : कल आप उपलब्ध करवाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : दे देंगे हम ।

अध्यक्ष : कल उपलब्ध करवाइये । सदन के पटल पर कल उपलब्ध करवाइये ।

(व्यवधान)

अब आप कहॉ बोलने लगे । बैठिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : यह क्या हो रहा है महोदय ? विजय बाबू, मंत्री लोग खड़े हो जा रहे हैं ?

अध्यक्ष : अब इनको बोलने दीजिए न ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : अब इनका मात्र 2 मिनट समय बचा है ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : महोदय, केस का...

अध्यक्ष : इनके बाद बोलियेगा ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : ठीक है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बिना आसन की अनुमति के मत खड़े होकर बोलिये, कई बार आग्रह कर चुके हैं आपलोगों से ।

टर्न-18/शंभु/16.03.21

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, अब यहां हर बात के लिए प्रमाण लाया जायेगा तो समय थोड़ा बढ़ा दीजिए । हम अभी मंगा लेते हैं ।

अध्यक्ष : आज नहीं कल दीजियेगा ।

(व्यवधान)

आप बैठिए । आप इधर बोलिये । आप बैठ जाइये बिना अनुमति के खड़े मत हों ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, ऐसा लग रहा है कि वे लोग भी पक्ष में हैं । मंत्री लोग खड़े होकर क्या.......

अध्यक्ष : चलिए आप बोलिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम बोले 66 फीसदी मंत्री जो दागी हैं । इस सरकार में ऐसे भी मंत्री बने हैं जो चुनाव हार के भी मंत्री बने हैं जो रिचार्ज कूपन का काम करते हैं ।

(व्यवधान)

ऐसे भी मंत्री हैं महोदय जो 9 महीने से दोनों सदनों के सदस्य नहीं हैं वे भी मंत्री हैं । महोदय, कैसे-कैसे मंत्री बने हैं यह पूछना मेरा सवाल तो जायज है ?

अध्यक्ष : लेकिन आपका अधिकार नहीं है मंत्री बनाने का, पूछ सकते हैं शालीनता से ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम बना नहीं रहे हैं ।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का मौका कहां दिया गया, लास्ट का 10 मिनट तो यही लोग ले लिये ।

अध्यक्ष : एक मिनट में कन्क्लूड कर लें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : कन्क्लुड क्या करना है ? यह निकम्मी सरकार है हम बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : असंसदीय शब्द प्रोसीडिंग में नहीं जायेगा, कोई भी असंसदीय शब्द नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : महोदय, काल्पनिक बातें विधान सभा में नहीं बोली जा सकती हैं । यह नियम में है कार्य संचालन नियमावली में है कि काल्पनिक बातें विधान सभा में नहीं बोली जा सकती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया । अब श्री रामप्रवेश राय ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सरावगी जी बोल रहे हैं ये उनका बयान है कि नहीं है ।

अध्यक्ष : अब ये सब तो बोल ही चुके हैं, आ गया है वह विषय । बैठ जाइये आप ।

(व्यवधान)

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार द्वारा गृह विभाग......

अध्यक्ष : एक मिनट में ये खत्म करेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : एक मंत्री जी के भाई हैं वे उद्घाटन करने जाते हैं जिसमें...

अध्यक्ष : यह बात तो हो गयी अब कन्क्लूड करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हमको तो बोलने दीजियेगा जिसमें मुख्यमंत्री आपत्ति जताते हैं वह एक जिले की बात नहीं पूरे बिहार में घूम-घूमकर किया गया । दूसरा एक और मंत्री हैं जिनके बेटे इन्सपेक्शन पर निकले हैं अधिकारियों के साथ ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, हो गया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : जल नल योजना के तहत वे कहीं पंचायत में घूम रहे हैं अधिकारियों के साथ ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । श्री रामप्रवेश राय, प्रारंभ करें । एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया । सिर्फ मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि 66 परसेंट जो आरोपी मंत्री बने हैं । मैं आजतक कभी जेल में नहीं गया हूँ, न कोर्ट में गया हूँ.........

(व्यवधान)

आज तक मैंने यह नहीं किया । अभी मैंने चुनाव लड़ने के क्रम में........

(व्यवधान)

मैं यह पूछना चाह रहा हूँ, अरे भाई, मैं अपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ क्यों टेंशन ले रहे हैं आप ? अरे मैं बोलूंगा तब समझ में आयेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग बैठ जाइये । श्री रामप्रवेश राय, प्रारंभ करें । आप सब लोग बैठ जाइये, बिना अनुमति के नहीं बोलिये ।

श्री रामप्रवेश राय : सरकार ने मांग संख्या-22 के अनुसार......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, बैठ जाइये सबलोग । हम तो आपको देख रहे थे । हम तो आपको देख रहे थे बैठिए । रामप्रवेश राय जी, बोलिये । हम तो आप ही को देख रहे थे । इस तरह की बात नहीं होगी बैठिए, यह गलत है । सब बैठ जाइये, सब बैठिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य सब बैठ जाइयेगा तभी न कुछ बोलेंगे । नेता जी, बैठिइयेगा तब बोलेंगे । आप मुक्का आसन को दिखा रहे हैं ? बैठिए, अरे बैठियेगा भाई, तब न कुछ बोलेंगे ।

(व्यवधान)

सभी लोग बैठ जाइये, आप सभी लोग बैठ जाइये, देखिए सदन में बैठियेगा बात को ढंग से तब सुना जायेगा ।

(व्यवधान)

अब सभी सदस्यों से आग्रह है- आप मुकेश जी, माननीय मंत्री बैठ जाइये । आप बैठ जाइये । एक आग्रह करेंगे कि जो सदन के सदस्य हैं और सदन की मर्यादा का पालन करने वाले हैं वे बैठ जायेंगे, बिना अनुमति के नहीं बोलेंगे । बार-बार खड़े होकर- बैठ जाइये सबलोग ।

(व्यवधान)

बैठकर एक व्यक्ति बोलिये । दस आदमी खड़े होकर बोलियेगा तो सुनायी देगा? आप तीनों में तय कीजिए, एक आदमी बोलिये । बैठ जाइये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, ये सदन की गरिमा की बात बार-बार उठायी जा रही है । माननीय मंत्री महोदय ने माननीय प्रतिपक्ष के नेता के कल के शब्दों पर आपत्ति की जिसमें कोई शब्द असंसदीय नहीं था और फिर भी उन्होंने माफी मांगने की बात की थी । आज उसी माननीय मंत्री ने अपने व्यवहार में यह दिखला दिया कि वे क्या करना चाहते हैं, सदन की गरिमा को कहां पर रखना चाहते हैं । उन्होंने मुक्का दिखाया । उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को मुक्का दिखाने का काम किया । यह बिल्कुल अशोभनीय है । इसीलिए महोदय, मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री से कहा जाय कि वे पूरे सदन से माफी मांगे सदन की गरिमा के खातिर ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप बैठ जाइये । आपने अपनी बात कही, आसन उनसे भी पूछ लेता है । हम तो आपको देख रहे थे, आपलोग बार-बार उठ रहे थे, बैठ रहे थे, मेरी नजर तो आपकी तरफ थी । अब बैठिए पहले, बैठ जाइये । बैठिए चन्द्रशेखर बाबू, बैठिए ।

क्रमशः

टर्न-19/ज्योति/16-03-2021

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आपने क्या ऐसा कोई व्यवहार किया है ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : मंत्री जी को पीठ में जो छुरा मारने का जो काम किया है, इस बारे में मैंने इस भाव को मंत्री जी की तरफ इशारा किया कि मंत्री जी को पीठ में छुरा मारा गया था, मैंने मंत्री जी की तरफ किया था ।

अध्यक्ष: बैठ जाइये । बात खत्म हो गयी अब मत बोलिए । देखिये, बहुत अच्छा वाद-विवाद हो रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष को कितनी गंभीरता से लोग सुने और एक व्यक्ति भी बीच में नहीं बोले, इस माहौल को आगे बढ़ाते रहिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि मुक्का दिखाया ।

अध्यक्ष: आपको नहीं उनको बता रहे थे और जब बोल दिए तो बात खत्म हो गयी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : क्या बात है, महोदय ?

अध्यक्ष : चलिए श्री रामप्रवेश राय । आपको नहीं दिखाया, वे कह रहे थे, मुकेश जी को दिखा रहे थे। नेता विरोधी दल अब आप बैठ जाइये । बोलिए, बोलिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : रामप्रवेश जी बोलिए ।

श्री रामप्रवेश राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार द्वारा गृह विभाग की मांग संख्या 22 के अंतर्गत ....

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने नेता विरोधी दल के भाषण को बड़े शांत भाव से सुना था लेकिन जान-बूझकर लोग तनाव पैदा करना चाहते हैं । मैं केवल एक शेर कहना चाहता हूँ, उसी से बात मेरी पूरी हो जायेगी ।

अध्यक्ष : हॉ, वह जरुरी है ।

श्री नंद किशोर यादव : ‘‘ चले थे अकेले, आज इतने हुए, न तब डरे तो भला अब डरेंगे, अरे सुन लो, सुन लो, सुन लो

‘‘ चले थे अकेले आज इतने हुए
न तब डरे थे न अब डरेंगे
अब विरोधों के सागर में चट्टानें हैं,
हम जो टकरायेंगे मौत अपनी मरेंगे । ’’

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांग संख्या 22 के अंतर्गत राज्य सरकार ने गृह विभाग के लिए कुल 13,973 करोड़ 24 लाख 62 हजार रुपये की जो मांग की है मैं इस मांग के समर्थन में खड़ा हूँ । आज गृह विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है। मैं धन्यवाद दूँगा बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और एन.डी.ए. के नेता

श्री नीतीश कुमार जी को कि उनके द्वारा विगत 15-16वें वर्ष में बिहार को सुशासन की राह पर जो पिछले 15 साल से लेकर के चल रहे हैं इस सुशासन की राह पर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आज भी अथक प्रयास कर रहे हैं । आज गृह विभाग की मांग संख्या के अनुसार यह जो राशि की मांग की गयी है मुझे लगता है कि यह राशि जितनी आवश्यकता है, उससे कम राशि की मांग की गयी है । मैं माननीय दूबे जी को जो सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप बहुत पुराने सदस्य हैं, आप 15 साल के लालू जी के, राबड़ी जी के शासन को भी आपने देखा है और कांग्रेस के शासन को भी देखा है आपने कि किस तरह 1974-75 के कालखंड में आजादी के बाद से बिहार धीरे-धीरे अपराध की तरफ बढ़ने लगा । जो आपराधिक गतिविधियॉं 70-80 के दशक में तेज हुई थीं जो कांग्रेस के राज में जो आपराधिक गतिविधियॉं फली-फूली आगे जाकर 1990 से 2005 तक जिसको स्वयं आर.जे.डी. के नेता और नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि हॉं बिहार में कोई जंगल राज था । आज जब आप महाजंगल राज का प्रयोग करते हैं इस शब्द को तो आप इस बात को कम से कम मानते हैं कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जंगल राज था । अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है मैं पहली बार 2000 में विधायक बन कर आया था भारतीय जनता पार्टी के सिम्बॉल पर यही वह सदन है जिसमें दिन-रात चर्चा होती थी । पूरा दक्षिण बिहार का इलाका चाहे वह अरवल हो, जहानाबाद हो प्रति दिन नरसंहार की बड़ी बड़ी घटनाएं हुआ करती थीं 40-50 की संख्या में लोग मारे जाते थे अपराधियों के कई गुट थे । (व्यवधान) मिल गया होगा लेकिन सुन लीजिये । बड़ी-बड़ी नरसंहार की घटनाएं । बारा नरसंहार की घटना हमलोगों ने सुनी है, बेलछी नरसंहार की घटना हमलोगों ने सुनी है । पूरे बिहार में जहानाबाद का इलाका हो, अरवल हो, गया का इलाका हो, बड़ी-बड़ी नरसंहार की घटनाएं हुआ करती थीं इस सदन में हर दो चार दिन पर शोक सभाएं आयोजित की जाती थीं । 50-60 की संख्या में लोग मारे जाते थे । कम्युनिस्ट माओवादियों का अलग गिरोह था । दूसरे अपराधी गिरोह उन लोगों का अलग गिरोह था एक तरफ 50 की हत्या होती थी तो दूसरे दिन फिर 60 लोगों की हत्या होती थी । यही स्थिति थी अध्यक्ष महोदय । मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे हमारे विरोधी पक्ष के सभी साथी बोल रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग उनकी बातों को हमलोग कितने ध्यान से सुन रहे थे । कम से कम सुनने का काम कीजिये । हमलोगों का समय कम है । आपलोगों के

पक्ष में केवल एक नेता है बाकी लोग ताली बजाने वाले लोग हैं । यहाँ हमारी पार्टी का जो समय है चार वक्ता हैं उसमें चार बोलने वाले लोग हैं । ...

श्री नंद किशोर यादव : इसलिए जब वे कह रहे थे कि तो हमलोग शांत इसलिए थे हमलोगों को लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष ने अपना स्टेप कहीं से बदल लिया है और जो खोज रहे होंगे कागज तो सुशील मोदी का भाषण उन्होंने खोज लिया वही वह बोल गए इसलिए हम सुन रहे थे उनको तो महोदय वह ध्यान आ रहा है सुशील मोदी के भाषण को पढ़ कर बोल रहे थे, स्वाभाविक है, अपने 15 साल के कार्य काल में क्या-क्या हुआ वही बखान कर रहे थे ।

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, 1990 से लेकर 2005 के दिनों में कोई महीना ऐसा नहीं होता था जब गंगा में बहता हुआ पानी जिसका लाल रंग नहीं हो जाया करता था । इसी गंगा में चाहे वह बेगूसराय का इलाका हो, चाहे वह दक्षिण बिहार के गया का इलाका हो बड़े-बड़े आपराधिक गिरोह हुआ करते थे । अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज से अपराधीकरण की जो शुरुआत हुई आज विजय शंकर दूबे जी पुराने सदस्य हैं मैं एक वाक्या सुनाना चाहता हूँ एक नेता थे हमलोगों के इलाके में बहुत पुराने कांग्रेसी नेता थे, मैं उनका नाम नहीं रखूंगा अब वे जिंदा नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि 1980 से लेकर 1985 का जब कार्य काल था उस समय कांग्रेस की सरकार थी । चंपारण बिल्कुल अपराध से ग्रस्त था । बड़े-बड़े दस्यु गिरोह का कब्जा था पूरे चंपारण में । उस समय कांग्रेस के विधायक उस समय मुख्यमंत्री के यहाँ गए और मिलकर कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी आज चंपारण अशांत हो गया है, आप मुख्यमंत्री हैं पूरा चंपारण अशांत है । बड़े-बड़े दस्यु गिरोह के लोग आतंक मचाए हुए हैं अपहरण करते हैं, हत्या करते हैं कुछ कीजिये जिससे चंपारण शांत हो । वो मुस्कुराने लगे । यही चर्चा विधायक लोग कर रहे थे तबतक माननीय मुख्यमंत्री जी के रुम से बगल से कुछ अपराधी निकले थे । जब विधायक लोग देखें कि भाई बड़े-बड़े अपराधी मुख्यमंत्री जी के मकान से निकल रहे हैं तो ये शांत हो गए और इन विधायकों ने कहा मुख्यमंत्री जी चंपारण जल रहा है, जलता रहे लेकिन हमलोगों की सुरक्षा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : जो इस सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगा ।

टर्न-20/अभिनीत-पुलकित/16.03.2021

(क्रमशः)

श्री रामप्रवेश रायः अध्यक्ष महोदय, इसी तरह जब कांग्रेस के द्वारा विरासत में अपराध लालू जी को मिला, रावड़ी जी को मिला तो बड़े-बड़े गिरोह, विजय शंकर दूबे जी सिवान से आते हैं, एक समय था, सिवान में इतना आतंक था कि ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गये थे । डर के मारे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गये थे और चुनाव लड़े थे । महोदय, चुनाव में ऐसा आतंक, सिवान में एक बड़ा व्यक्ति का इतना आतंक था कि उसके डर से विजय शंकर दूबे जी काउंटिंग में नहीं गये थे । हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, सिवान में ऐसा आतंक, XXX

(व्यवधान)

अध्यक्षः मानानीय सदस्यगण, बैठ जाइये ।

श्री रामप्रवेश रायः बैठिये, बैठिये । मैं आपको आइना दिखा रहा हूँ । XXX

(व्यवधान)

वहां एक बड़ा अपराधी पैदा हुआ । अध्यक्ष महोदय, माननीय अवध विहारी चौधरी जी बैठे हुए हैं, पन्द्रह साल के बाद इस सदन में आये हैं, ये शरीफ व्यक्ति हैं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, जो सदन के सदस्य हैं, उनका नाम न लें ।

माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये ।

XXX इस अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

श्री रामप्रवेश रायः महोदय, इसकी वजह से सिवान की धरती पर उसका आतंक कायम हुआ । महोदय, हमारे यहां गोपालगंज, छपरा के व्यापारी लोग डर के मारे सिवान नहीं जाते थे । अध्यक्ष महोदय, उस के आतंक के मारे सिवान की हर दूकान में, पान की दूकान में, कपड़े की दूकान में उस अपराधी की फोटो लगती थी ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, आपके बारे में नहीं कह रहे हैं ।

अध्यक्षः आपका अब दो मिनट समय बचा हुआ है ।

श्री रामप्रवेश रायः महोदय, ये लोग भले ही शोर कर रहे हैं । इनके नेता चन्द्रशेखर की हत्या हुई, जो जे0एन0यू0 के छात्र संघ के नेता थे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आसन की ओर देखकर बोलिये ।

माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये ।

श्री रामप्रवेश रायः बैठ जाइये, आपके पक्ष में बोल रहे हैं । जे0एन0यू0 छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर इनके संगठन के थे ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । अरूण जी बैठ जाइये ।

श्री रामप्रवेश रायः बैठिये अरूण बाबू । पूछिये उनकी हत्या कौन कर दिया । उसका आतंक चलता था । अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में......

(इस अवसर पर भाकपा (माले) के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

गिरोह का आतंक चलता था, बड़े-बड़े अपराधियों का राज था । वहां शहाबुद्दीन का राज चलता था । महोदय, यह सदन गवाह है, पूरे बिहार की धरती को इन लोगों ने लाल करने का काम किया था ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः अब बैठ जाइये ।

श्री रामप्रवेश रायः ये कॉम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये राजद के लोग, ये कांग्रेस के लोग...

अध्यक्षः आप बैठ जाइये । अब आप समाप्त करिये ।

श्री रामप्रवेश रायः ये सारे लोग आजादी के बाद से बिहार को इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया था, आज इनको मिर्ची लग रही है । महोदय, यह सदन गवाह है, ये हमारे नेता सुशील मोदी की बांह मोड़ने का काम किये थे, यही वह सदन है । अध्यक्ष महोदय, यह सदन साक्षी है कि विधान सभा के अंदर भी ऐसा माहौल इन लोगों के द्वारा बनाया गया था कि पता नहीं .....

अध्यक्षः आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया ।

आप सभी शांति से सुनिये । आप अपने स्थान पर जाइये । माननीय सदस्य, महबूब जी अपने स्थान पर जाइये और स्थान से बोलिये । महबूब आलम जी, अपने स्थान पर जायं और अपने स्थान पर जाकर माईक से बोलिये । आपको मौका दे रहे हैं स्थान से बोलने के लिए । यहां से कोई भी बात न तो सुनी जायेगी और न ही प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगी । इसलिए महबूब आलम जी आप अपने स्थान पर जाकर बोलिये ।

(इस अवसर पर भाकपा-माले के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

सभी सदस्यगण बैठ जाइये । अब आपस में गप्प मत करिये । महबूब जी आप अब बोलिये ।

श्री महबूब आलमः महोदय, वाद-विवाद के दौरान, बहस के दौरान....

अध्यक्षः आप नौ मिनट के अंदर ही समाप्त करियेगा ।

श्री महबूब आलमः महोदय, कुछ तल्ख बातें होती हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब आप मत बोलिये । बैठ जाइये । अभी महबूब जी को बोलना है, अजय जी ।

श्री अजय कुमारः महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, ये बिल्कुल गलत है और इसको प्रोसीडिंग से निकालना चाहिए । मैं यह मांग करता हूँ सदन से कि आप निकलवाइये प्रोसीडिंग से ।

अध्यक्षः आप बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलमः महोदय, वाद-विवाद के दौरान, कुछ आलोचना, समालोचना आपस में होती रहती हैं, इनमें से कुछ तल्ख भी होते हैं ।

अध्यक्षः हां, सही बात है ।

श्री महबूब आलमः महोदय, सुनिये । महोदय, हमें गाली दी गई है । हमें माओवादी कहा गया है । हम आसन से आग्रह करते हैं कि सरकार बयान दे कि यहां कौन है माओवादी । सरकार बयान दे कि यहां कौन है माओवादी, क्योंकि हमें माओवादी कहा गया है । महोदय, बिल्कुल माओवादी को इस सदन में रहने का अधिकार नहीं है । ये गाली सुनने के लिए, सदन का अपमान करने के लिए हम जनता की नुमाईंदगी नहीं करते । सदन से माफी मांगें, कौन माओवादी है, सरकार बयान दे ?

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री महबूब आलमः महोदय, सरकार को बयान देना है कि कौन है माओवादी ।

अध्यक्षः सुन लीजिये, महबूब जी । आसन ने पहले ही कह दिया है कि कोई भी असंसदीय शब्द, भाषा या असत्य बातें प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेंगी ।

(व्यवधान)

आप बैठिये ।

श्री महबूब आलमः महोदय, इनको गाली देने का हक नहीं है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आत्मसंयम सबके लिए आवश्यक है, पक्ष और प्रतिपक्ष । महबूब जी आप आगे बढ़िये आप वरीय सदस्य हैं ।

श्री महबूब आलमः महोदय, सरकार के गृह विभाग पर बहस हो रही है और सरकार का दायित्व बनता है कि आज गृह विभाग के सामने, बहस में, हमें माओवादी कहकर के हमें गाली

दी गई, सरकार बयान दे कि माओवादी कौन है ? हमें सरकार का बयान चाहिए । अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा ।

अध्यक्ष: आप अपनी पूरी बात को रखिये, सरकार अपना बयान देगी ।

श्री महबूब आलमः महोदय, अभी दे, अभी ।

अध्यक्ष: आपके निर्देश का सरकार पालन नहीं करेगी, उचित समय पर उसमें बयान देगी इसलिए आप अपनी पूरी बात कहिये ।

(इस अवसर पर भाकपा (माले) के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

माननीय सदस्यगण, बार-बार वेल में आना अशोभनीय है, महबूब जी, यह उचित नहीं है । आप गृह विभाग पर जाकर के अपना पक्ष रखिये, सरकार उचित समय पर आपकी बात का जवाब देगी ।

टर्न-21/हेमन्त-धिरेन्द्र/16.03.2021

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप अपने स्थान को ग्रहण करें, जाइये । मैंने कह दिया कि ऐसा कोई भी शब्द प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा । अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

इसी आत्मसंयम की जरूरत है । आपकी बात पूरा बिहार सुनता है, यह बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष सबको रखनी चाहिए । चलिए, अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

यहां से हम कोई बात नहीं सुनेंगे, स्थान से सुनेंगे, माइक पर बोलेंगे तभी सुन पायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

आप नहीं बोलेंगे ? तो आप जाइये स्थान पर, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, जाइये स्थान पर ।

(व्यवधान जारी)

आपकी भावना की कद्र करते हुए हमने इन शब्दों को प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनने दिया है, जाइये ।

(व्यवधान जारी)

सरकार सबकी बातों का उचित समय पर जवाब देगी, सरकार एक-एक व्यक्ति का जवाब नहीं देती है । जाइये अपने स्थान पर ।

(व्यवधान जारी)

आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

जय श्री राम असंसदीय शब्द नहीं है, जय श्री राम तो भगवान का नाम है । चलिए, अब अपने स्थान पर बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

वह शब्द हट गया है । जाइये, बैठिये न । आप अपनी बात को रखिये न, सरकार तो जवाब देगी, आप तो वरीय सदस्य हैं । सरकार सबकी बातों को सुनकर, सभी सदस्यों की बात सुनकर अपना पक्ष रखेगी, सरकार बयान देगी । माननीय सदस्यगण, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

आसन आपसे आग्रह कर रहा है कि हाउस को ऑर्डर में लेने के लिए आप सहयोग करें। अच्छा, पहले आप स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

संसदीय कार्य मंत्री जी, बोलिये ।

(इस अवसर पर भाकपा(माले) के माननीय सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप आसन से बराबर नियमन देते रहते हैं कि जब कुछ अनावश्यक बातें या बिना आसन की इजाजत से लोग बैठे-बैठे एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी या प्रतिक्रिया देने लगते हैं, उस बीच कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, जिससे सदन का माहौल गड़बड़ होने की स्थिति पैदा हो जाती है । सबसे पहले तो वह स्थिति न बने जैसा कि आप भी बराबर कोशिश करते रहते हैं और हम लोगों ने भी, सभी दल के माननीय नेताओं ने सदन को आश्वस्त किया है कि हम यहां जनता के हित में विमर्श करने के लिए आये हैं । जहां तक जिस विषय पर अभी उत्तेजना या आवेश का माहौल बना हुआ है जो मैं समझ पाया हूं, क्योंकि अगर शांतिपूर्ण सदन सुसंचालित रहे, तब तो बातें स्पष्ट रूप से सुनायी पड़ती हैं । लेकिन अगर दस-बीस आदमी इधर से बोलते हैं, दस-बीस आदमी उधर से बोलते हैं, एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी करते हैं, तो कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनी जाती है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य महबूब आलम जी और इनके दल के सभी सदस्य यहां आकर बोल रहे थे, उनको यह लग रहा है कि उन लोगों को माओवादी, अतिवादी या उग्रवादी कहा गया है । महोदय, सरकार का यह मानना है कि इस सदन में जो भी लोग आये हैं, जो भी लोग बैठे हैं, सभी सम्मानित

सदस्य हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं । इसमें कोई माओवादी, उग्रवादी या अतिवादी नहीं है और महोदय, न सरकार ने किसी को कहा है और न सरकार ऐसा मानती है, इस सदन के कोई सदस्य बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी बात के अतिवादी, उग्रवादी या माओवादी कह दें । महोदय, इसलिए सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार तो इस बात को मानती ही नहीं है और इसमें जितने भी माननीय सदस्य हैं, सब तो जनता से मैनडेट लेकर आये हैं, सबको जनता ने अपना विश्वास देकर यहां भेजा है, तब किसी को एक-दूसरे पर, इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए । नहीं, तो सदन में इसी तरह की अशोभनीय स्थिति पैदा होती है, जो कभी-कभी और ज्यादा उग्र रूप ले लेती है, तब फिर हम ही लोगों को उठकर पश्चाताप करना पड़ता है । इसलिए सबसे अच्छी बात है कि हमलोग शुरू से संयम रखें । इस सदन के सभी माननीय सदस्य सम्मानित हैं, कोई माओवादी, उग्रवादी नहीं हैं । सरकार का यह मानना है ।

अध्यक्ष : बोलिये, महबूब आलम जी ।

(व्यवधान)

अरूण जी, अब नहीं, महबूब आलम जी को बोलने दीजिये । आप बैठिये । यह गलत है, आप लोगों की जो स्थिति है...

(व्यवधान)

महबूब जी, बोलिये । आप बैठ जाइये, आप बैठिये । महबूब जी बोलिये । अनुदान की मांग पर बोलिये, पांच मिनट ।

श्री महबूब आलम : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आप क्यों उठ गये ? उनका सिर्फ चार मिनट समय बचा हुआ है, क्या उनका समय बर्बाद कीजियेगा ?

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिये...

अध्यक्ष : नहीं सुनेंगे । ये सुनने और सुनाने वाली बात, देखिये ज्यादा प्रीफ्रेंस भी आफत हो रही है। समय देख रहे हैं ? बोलिये महबूब जी ।

(व्यवधान)

चन्द्रशेखर जी, आप बैठ जाइये । महबूब जी को बोलने दीजिये । उनके बोलने के बाद आप बोलियेगा । आप जिद मत कीजिये, आप सीनियर सदस्य हैं ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, एक सूचना है, मेरी बात सुन ली जाय ।

अध्यक्ष : कौन-सी सूचना है ?

श्री चन्द्रशेखर : XXX

अध्यक्ष : चलिये न । वह बात खत्म हो गई । आप क्यों उकसा रहे हैं कि वातावरण दूषित हो । आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । बोलिये महबूब जी ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । साथ ही मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर की तमाम जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि हमने इस बार बलरामपुर में नारा दिया था कि बलरामपुर को साम्प्रदायिक का कब्रिस्तान बना दो और बलरामपुर की जनता ने साबित कर दिया, महोदय। बलरामपुर की जनता ने एक लाख पांच हजार वोट से मुझे जिताकर और उन ताकतों को 54 हजार से ज्यादा वोट देकर कब्रिस्तान में सुला दिया, महोदय । मुझे अपनी जनता पर फक्र है, महोदय । लेकिन मैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी पर कहना चाहता हूँ । सब लोग शायरी पढ़ कर..

अध्यक्ष : शायरी में...

श्री महबूब आलम : जी । सब शायरी पढ़ कर, अपनी तकरीर को दिलचस्प अंदाज में पेश करने का शौक रखते हैं, महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, फरमाइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ -

उर्दू से सितम करके, उर्दू के शेर पढ़कर हम क्यों....

अभी अखतरूल ईमान साहब यहां हैं, महोदय ।

''बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल के,
जो चीरा तो कतरा ए खून न निकला ।''

महोदय, यही श्री नीतीश कुमार जी पर लागू होता है । नीतीश कुमार जी का सपना क्या था ? सामाजिक न्याय के पैरोकार, न्याय के साथ विकास । उन्होंने मुहावरा गढ़ा है महोदय, मुहावरा गढ़ने में उनकी नीयत क्या थी ? यह तो अभी पता चलता है लेकिन अपने राजनीतिक विरोधियों के अंदर में दरार पैदा करने के लिये कान्स्टीच्यूशन से इतर, दलित से महादलित, पिछड़ा से अति-पिछड़ा, अल्पसंख्यक से पसमांदा । ये मुहावरे किसने गढ़े, महोदय । माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने गढ़े ।

...क्रमशः....

XXX इस अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

टर्न-22/सुरज-संगीता/16.03.2021

...क्रमशः...

श्री महबूब आलम : चलिये बहुत अच्छा हुआ । आज क्या हुआ, कहां से चले थे आप और कहां आ गये, किनके साथ हैं आप, मंजिल क्या थी आपकी और किसने भटका दिया आपको ? महोदय, आजकल मुख्यमंत्री जी को प्रेस में बयान देते हुए उनकी बौखलाहट को हम देखते हैं । हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आपका कद हमने छोटा नहीं किया, प्रतिपक्ष ने नहीं किया, आप जिनके साथ हमसफर हैं उन्होंने कायदे से शातिर चाल चलकर आपकी हैसियत घटा दी, बौखलाहट वहां उतारिये, हम पर क्यों उतारते हैं ? महोदय, हम आसन को धन्यवाद देना चाहते हैं । आसन ने भी माननीय मंत्री जी को एक सबक दिया हमने पहली बार सुना है जो तेवर आप विधान सभा में दिखा रहे हैं, विधान सभा ये तेवर आपका देखने के लिए नहीं है, आपका तेवर विभागों में दिखना चाहिए और हम देखेंगे कि ये तेवर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है । महोदय...

अध्यक्ष : आप अपना तेवर सकारात्मक बनाइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं तो तेवर की बात कर रहा हूं, मैं तो तेवर दिखा नहीं रहा हूं । महोदय, जीरो टॉलरेंस से शुरू हुई...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपमें भी परिवर्तन हुआ है वह दिखाई पड़ रहा है सदन को ।

श्री महबूब आलम : महोदय, जीरो टॉलरेंस से शुरू हुई करप्शन, क्राइम, कम्युनिलिज्म से कोई समझौता नहीं, किसका संकल्प है महोदय । हमने देखा आप ही के राज में...

अध्यक्ष : अब एक मिनट बचा है ।

श्री महबूब आलम : जहानाबाद के दंगे को बिहार ने देखा और आपकी पुलिस को भी देखा । जो पीड़ित थे, उन्हीं लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जिन लोगों ने दंगा कराया उनको आपने पुरस्कार दिया, उनको आपने बगलगीर बनाकर देखा । औरंगाबाद देखा, छपरा देखा, पिरो देखा और इतना ही नहीं महोदय भीड़ के द्वारा खदेड़ी गई एक महिला को निर्वस्त्र होते हुए, दौड़ते हुए बिहार ने देखा बिहटा में । महोदय, पूरी दुनिया में

बिहार का नाम शर्मसार हुआ लेकिन बिहार को शर्मसार होने से हमने बचाया, अभी तो 9 मिनट है मेरा महोदय...

अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं, आप बड़े वक्ता हैं, आपको ध्यान नहीं है समय का ।

श्री महबूब आलम : ये तो अन्याय है महोदय, अभी तो शुरू ही किये हैं, अभी दो मिनट भी नहीं हुआ है महोदय...

अध्यक्ष : चलिये कन्क्लूड कीजिये अब ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कन्क्लूड नहीं होगा, नहीं तो फिर हम बोलेंगे ही नहीं । हम बोलते हैं...

(व्यवधान)

बिहटा में देखा एक दलित मां को निर्वस्त्र दौड़ते हुये, भीड़ ने उसे दौड़ाया । बिहार ने देखा मॉब-लिंचिंग सीतामढ़ी में, बिहार ने देखा मॉब-लिंचिंग अररिया में और आप करते हैं सुशासन की बात, आप करप्शन की बात करते हैं । आपका एक-एक थाना पीड़ित व्यक्ति से पांच हजार रुपये लिये बिना कोई मुकदमा, एफ0आई0आर नहीं करता और खुलेआम बोलता है कि जहां जाना चाहो, चले जाओ कोई क्या कर लेगा । ये हिम्मत..

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री महबूब आलम : उसकी कहां से होती है । हम तो सत्ता पक्ष को सहयोग करना चाहते हैं । आप सुशासन स्थापित करना चाहते हैं, आपकी नीयत पर कोई खोट नहीं है...

अध्यक्ष : अब गागर में सागर आप भर दिये, हो गया ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मेरा बहुत टाइम है, हम पर दया कीजिये महोदय । संरक्षण हम चाहते हैं...

अध्यक्ष : अच्छा एक मिनट और बोलिये ।

(व्यवधान)

आपके बगल में रहने से उनको भी संगत का गुण हो गया है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बालिका गृहकांड की बच्चियों की चीख पूरी दुनिया ने सुनी और बिहार को शर्मसार होने से हमने बचाया, हमारे प्रतिपक्ष ने बचाया, हमलोगों ने कार्यस्थगन दिया, उस पर बहस हुआ महोदय । सत्ता पक्ष के लोग क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे ? समान शिक्षा का मुचकुंद दूबे कमीशन किसने बनाया, हमलोगों ने बनाया, हमलोगों ने मशविरा दिया कि अच्छा काम कीजिए, हमको तो लगा नया सबेरा आने लगा है चलिए भाई मुबारकवाद देते हैं । महोदय, बंदोपाध्याय कमीशन किसने बनाया, हमने बनाया । बंगाल से

उधार करके लाए आप, हमारी सत्ता का अनुकरण करने के लिए वामपंथी सत्ता थी तो इन तमाम के साथ धोखा हुआ है और बड़ी बारीकी से...

अध्यक्ष : अब अंतिम में शायरी पढ़ दीजिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बड़ी बारीकी से भ्रष्टाचार को इन्स्टीच्यूशनलाइज कर दिया है महोदय । XXX

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । अब बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कुछ बात है...

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादव : आप फासीवादी कहेंगे...

अध्यक्ष : ये प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, कोई भी शब्द फासीवादी....

श्री महबूब आलम : ये लैंग्वेज की बात है ये कोई असभ्यता की बात नहीं है । बोलने दिया जाय महोदय...

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : बोलने दिया जाय महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब जी बैठ जाइये । अब समाप्त हो गया है समय ।

(व्यवधान जारी)

श्री महबूब आलम : कन्क्लूड करते हैं महोदय । शांत कराया जाय महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सभी लोग बैठ जाइये । बैठ जाइये । प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा ।

श्री महबूब आलम : हमने किसी का नाम नहीं लिया महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह प्रोसीडिंग से बाहर कर दिया जाय । बैठ जाइये प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा ।

श्री महबूब आलम : XXX

अध्यक्ष : ये फासीवादी, माओवादी ये सब शब्द कहां से अपशब्द गढ़कर आप वातावरण दूषित कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

कोई माओवादी कोई फासीवादी, ये क्या बोल रहे हैं ?

श्री महबूब आलम : हमने किसी का नाम नहीं लिया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए । अब समाप्त करिए । शायरी है तो बोलिए ।

(व्यवधान)

विनोद बाबू बैठ जाइये । सभी लोग बैठ जाइये । अब समय समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शायरी सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

बैठिये, बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, तूफानों से डर जाने वाले...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग शायरी सुन लीजिए । बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय,

''तूफानों से डर जाने वाले कोई कमजोर होंगे
अभी तो जीवन में क्रांति के कई दौर होंगे,
सब कुछ मिटा देंगे ए भगत सिंह तेरे मिशन में
टूट कर बिखर जाने वाले तो...

अध्यक्ष : राष्ट्रभक्त होंगे । चलिए आप राष्ट्रभक्त होंगे । इसी के साथ बैठ जाइये ।

XXX – आसन के आदेशानुसार इस अंश को विलोपित किया गया

श्री महबूब आलम : महोदय, हम तो यह सोचते हैं कि काश कि आप बहुत जल्द ही...

अध्यक्ष : अब एक शायरी हो गयी अब दूसरा नहीं ।

श्री महबूब आलम : एक सेकेंड महोदय, सुन लीजिए...

(व्यवधान)

महोदय, एक आखिरी सुन लीजिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनाइए, सुनाइए ।

श्री महबूब आलम : ''काश, कि आप बहुत जल्द ही ऐसा हो जाए
कि हुक्मरान के हाथों में अब केतली पकड़ा दी जाए ।''

यही हम उम्मीद करते हैं....

अध्यक्ष : चाय की पार्टी में आप सम्मिलित बहुत जल्द हो जायेंगे । अब बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सीमांचल की उपेक्षा के नाम पर जो हो रहा है, संविधान के अनुच्छेद-371 के तहत...

अध्यक्ष : यहां पर बिजेन्द्र बाबू बैठे हैं, आप सुनिए महबूब जी, कल वे आपको बहुत प्रेम से समझा रहे थे, सीमांचल का एक बहुत बढ़िया शब्द दिए थे आपको कुछ याद नहीं है ?

श्री महबूब आलम : महोदय, हम तो प्रेम से ही बोल रहे हैं....

अध्यक्ष : इस पर जो बोले थे पूर्वांचल शब्द याद रखिए । अब बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, आज गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा में सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष तो हमलोगों का नाम लेकर चले गए हैं लेकिन जो बैठे हैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहे हैं कि मोहब्बत...

अध्यक्ष : आप उधर मत देखिए, सामने देखिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, सीधा देख रहे हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष चले गए हैं तो जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए कह रहे हैं

''मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा खून से धो रहे हैं।''

अध्यक्ष महोदय, ये वर्ष 2005 के पहले के सोच वाले जो लोग हैं इनको यह समझने में दिक्कत होती है कि बिहार की एन0डी0ए0 की सरकार, सुशासन की सरकार ने क्या किया है । एन0डी0ए0 की सरकार ने क्या किया, इनके समय में पुलिस पिकेट लूटे जाते थे, इनके समय में नरसंहार होते थे, इनके समय जातीय दंगे होते थे, इनके समय एयरपोर्ट पर उतरने वाले व्यवसायियों का अपहरण होता था । इनको क्या पता है कि बिहार में सुशासन और अपराध से क्या मतलब इनको रहा है । अध्यक्ष महोदय, इनके समय में पुलिस थाने नहीं बनते थे, आज पटना में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस मुख्यालय बना है, जाकर एक बार उसके रंग-रूप और उसके सौंदर्यीकरण को देख लीजिए, समझ में आ जायेगा कि पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार की कैसी सोच है, 894 थाना है बिहार में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाए रखिये । बैठे-बैठे बोल रहे हैं यह उचित नहीं है ।

टर्न-23/मुकुल-राहुल/16.03.2021

श्री पवन कुमार जायसवाल: माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में 894 थाना है, थाना भवनों का, पुलिस के आवासीय परिसर का चरणबद्ध ढंग से निर्माण हो रहा है । 100 पुलिस थानों में आगंतुक कक्ष का निर्माण हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, हमारे सिपाही के रहने के लिए, हमारे महिला सिपाहियों के लिए बैरक नहीं होता था, पुलिस लाइन में महिला और पुलिस बैरक का निर्माण हो रहा है । जेल में रहने वाले बंदियों की पूछ नहीं होती थी केवल वहां दरबार लगते थे, अधिकारी जाते थे, अपहरण का पैसा देने वाले जाते थे, आज वहां जेल में जैमर लग रहे हैं, आज जेल में छापेमारी हो रही है । अध्यक्ष महोदय, पहले जेल में दरबार लगते थे । अध्यक्ष महोदय, आज जेल के बंदियों की चिंता भी सरकार कर रही है पहले जेल से अपराधी कृत्यों को बढ़ावा मिलता था और आज जेल में बंदियों के लिए इग्नू क्लास चलाने की व्यवस्था हुई है, 40 जगहों पर इग्नू की व्यवस्था की गई है । बंदियों को साक्षर करने की योजना चल रही है, कौशल विकास की योजना चल रही है । एन0डी0ए0 की सरकार ने जेल के बंदियों को भी शिक्षित करने का प्रयास किया है, राज्य के बच्चों से लेकर राज्य के हर जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने विधि-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आई0जी0 और डी0आई0जी0 पुलिस जो कार्यालय थे उसका पुनर्गठन किया है । जहां पर डी0आई0जी0 कार्यालय की जरूरत नहीं थी वहां आई0जी0 रह गये, जहां आई0जी0 की जरूरत नहीं थी वहां डी0आई0जी0 रह गये, इसको 12 भागों में बांट दिया गया । अध्यक्ष महोदय, 101 अनुमंडल में अपर अनुमंडल पदाधिकारी बनाये गये, 43 जगहों पर अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाये जा रहे हैं, पद सृजन किये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, जिलों में एडिशनल एस0पी0 अभियान की पोस्ट क्रिएट की गई और वहां भेज दिये गये । अध्यक्ष महोदय, यह बिहार की एन0डी0ए0 की सरकार हर दृष्टिकोण से काम करना चाहती है । इनके पास कोई विजन नहीं है, एन0डी0ए0 की सरकार ने अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले लोग, अपराधी कृत्यों से धन अर्जित करने वाले लोगों के खिलाफ कानून बनाकर उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का काम किया है और उनको जेल में भेजने का काम किया है और थाना खोलने की बात कर रहे हैं । इनके पास विजन क्या था, ये तो संपत्ति अर्जित करते थे।

अध्यक्ष: आप अपनी बात को संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, हमारे पास अभी दस मिनट का समय है ।

अध्यक्षः समय को कहीं न कहीं एडजस्ट करना पड़ता है इसलिए संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री पवन कुमार जायसवालः अध्यक्ष महोदय, हम लोग नये सदस्य हैं ।

अध्यक्षः आप अपनी बात दो मिनट में रखिए ।

श्री पवन कुमार जायसवालः अध्यक्ष महोदय, राज्य में पहले कब्रिस्तानों की घेराबंदी होती थी, एन0डी0ए0 की सरकार कोई भेद-भाव नहीं करती है और अब मठ/मंदिर की भी घेराबंदी शुरू हो गई है बिहार की धरती पर । यह एन0डी0ए0 की सरकार है जहां जरूरत थी पहले श्मशान की घेराबंदी नहीं होती थी, एन0डी0ए0 की सरकार ने कहा कि पंचायत स्तर पर मनरेगा से 15वीं वित्त से श्मशाम में जहां भी होगा मुक्तिधाम का निर्माण किया जायेगा, शवदाह गृहों का निर्माण किया जायेगा और आपको इन चीजों की कोई चिंता नहीं थी । अध्यक्ष महोदय, जे0पी0 सम्मान योजना 3308 सेनानियों को 5 से 10 हजार रुपये दिये जाते हैं, उतना ही नहीं उनके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में या बुडको में फ्री कर दिया गया है उनके आने-जाने के लिए । अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग ने भी उनके लिए फ्री व्यवस्था की है, उनके उत्तराधिकारियों को भी पेंशन देने की बात हो गई है उनके मरने के बाद, इतना ही नहीं केन्द्रीय पेंशनधारी जो हैं उनके पौत्री और नतनी को 51 हजार रुपया शादी में देने का भी प्रावधान बिहार सरकार ने किया है । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता, पोती, नाती, नतनी के लिए राज्य सरकार ने अपनी बहाली में 2 परसेंट क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया है, आपके पास कौन सा विजन था, आपके पास तो ट्रेनिंग सेंटर खुले होते थे । जंगलों में दियारों में यही होता था, एन0डी0ए0 की सरकार ने वैसे तमाम अपराधियों को खोज-खोजकर अंदर करने का काम किया जो राज्य को बदनाम करने का काम करते थे और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि पवन जायसवाल जी, सरावगी जी, एन0डी0ए0 के विधायकों ने कहा कि अपराध फलां-फलां जगह हुआ, हम एन0डी0ए0 के लोग हैं छोटी घटना हो या बड़ी घटना घटती है, हम सुशासन के लोग हैं, हम अधिकारी को भी कहते हैं कि गलत हुआ है रुकना चाहिए और अपराधियों को भी चैलेंज करने का काम करते हैं, आप अपराधियों को बगल में बैठाने का काम करते थे, आपमें बोलने की कुव्वत कहां थी । आप अपराधियों को बगल में बैठाते थे, बड़े-बड़े हाउसों में बैठकर अपराधी पैसा लेने का काम करते थे ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवालः आप तो मंत्री रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप बैठिये, आप पहले सुनिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन विभाग...

अध्यक्ष: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, हमलोग निर्वाचन से जीतकर आते हैं, आज निर्वाचन विभाग भी है । वर्ष 2005 के पहले जब चुनाव होते थे तो चुनाव लड़ने वाले अधिकांश लोग आधा से ज्यादा लोग पहले गोली-बंदूक की व्यवस्था करते थे और आज अगल गोली-बंदूक लाइसेंसी भी है तो घर में रखा रहता है, चुनाव निष्पक्ष होते हैं, यह एन0डी0ए0 की सरकार की सबसे बड़ी पहचान है ।

अध्यक्ष: समाप्त कीजिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट दिया जाय । महोदय, आर0टी0पी0एस0 काउंटर राज्य सरकार की बहुत बड़ी योजना, पंचायत स्तर पर इसको ले जाया गया ।

अध्यक्ष: देखिए, सभी सदस्यों को बोलना है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा सुझाव है । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि सरकार ने घोषणा की कि पंचायत स्तर पर कार्यपालक सहायक भी भेजे गये, प्रखंड स्तर पर भी भेजे गये हैं, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अगर किसी अधिकारी की दृष्टि वहां तक नहीं गई है तो हम ध्यान केन्द्रित करते हैं कि पंचायत स्तर पर जो कार्यपालक सहायक गये हैं वह केवल जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बना रहे हैं । आर0टी0पी0एस0 में जो सर्विस प्लस योजना है उसके तहत पंचायतों को भी जोड़ दिया जाए ताकि आवासीय, जाति, आय से लेकर राशन कार्ड, इन तमाम चीजों का लाभ पंचायत स्तर के लोगों को मिले यह सरकार की योजना थी आपकी नहीं और इसे लागू भी एन0डी0ए0 की सरकार करेगी, ध्यान में रखिएगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: बैठ जाइए । श्री सिद्धार्थ सौरव । दो मिनट में गागर में सागर भर दीजिए ।

श्री सिद्धार्थ सौरव: दस मिनट का समय हमको पार्टी ने दिया था ।

अध्यक्ष: पार्टी का समय आपके वरिष्ठ सदस्य ले चुके हैं आपको दो मिनट में बोलना है तो बोलिए नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे ।

श्री सिद्धार्थ सौरव: सर, हमको पांच मिनट का समय कम से कम दीजिए ।

अध्यक्ष: आप गागर में सागर भरिए, बोलिए, दो मिनट में ।

श्री सिद्धार्थ सौरव: सर, आज पूरा बिहार भू-माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया की गिरफ्त में है । पूरे बिहार का प्रशासनिक तंत्र आज आम नागरिकों के हितों की अनदेखी कर के

इन्हीं माफियाओं के निर्देशानुसार काम कर रहा है । मेरे विधान सभा क्षेत्र स्थित बिहटा में शिव कुमार नाम का एक व्यक्ति पिछले एक दशक से अपनी एक ही कंपनी अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदल-बदल के स्थानीय कृषकों का शोषण कर रहा है । अग्रणी हुड कंपनी का रजिस्ट्रेशन, किसानों की जमीन को खरीद कर, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर बेचने के लिए किया गया था । इस कंपनी ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़क जो तीन पंचायतों को जोड़ने का काम करती है, उस सड़क को अधिग्रहण करके सैकड़ों लोगों का आवागमन प्रभावित कर दिया । वह सड़क अमरुदिया टोला से बभनलई तक बनी हुई है । इस भू-माफिया ने अपनी कंपनी के विकास के लिए एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र के विनाश के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि 15 किलोमीटर का मरसोना नाला जो लहलादपुर से मनेर तक जाता है, उसे 1 किलोमीटर तक पूर्णतः बंद कर अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया है । बभनलई, अख्तियारपुर, मौजा में नहर से सटे चाट की जो जमीन थी उस गैरमजरुआ जमीन में आहर बनाकर जो किसान खेती करते थे वह पूरी गैरमजरुआ जमीन को अधिग्रहण कर लिया । 12 एकड़ गैरमजरुआ जमीन को इस भू-माफिया ने इस कंपनी का नाम बदल-बदल कर आज ग्रहण किया है और एक तरफ सरकार जन-जीवन-हरियाली में हजारों करोड़ रुपया देकर...

अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए ।

श्री सिद्धार्थ सौरव: सर, दो मिनट का समय और दिया जाय । महोदय, जहां हजारों करोड़ रुपया राज्य सरकार मुहैया कर रही है वही सरकार के पदाधिकारी इन भू-माफियाओं से मिलीभगत करके किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं । पटना शहर स्थित कोतवाली थाना कांड संख्या 301/2003, आज इतनी सुशासन की बात हो रही है XXX

अध्यक्ष: बिना एविडेंस के किसी का नाम लेना उचित नही है यह प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा ।

श्री सिद्धार्थ सौरव: XXX

अध्यक्ष: चलिए बैठ जाइए । अब आप समाप्त कीजिए । श्री विनय कुमार चौधरी ।

XXX - आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

श्री विनय कुमार चौधरी: महोदय, मैं सदन के नेता, हमारे अभिभावक बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिनके आशीर्वाद की वजह से बेनीपुर की जनता ने मुझे जिताकर के इस सदन में भेजा है । अभी मैं गृह विभाग के अनुदान के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपने मुझे बोलने के लिए समय

दिया इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं अभी प्रतिपक्ष के नेता ने लंबी-लंबी बातें कहकर के वे बाहर चले गए हैं उन्होंने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और नॉन गवर्नेंस की बात की है । उन्होंने 9 महीने से एक व्यक्ति के मंत्री होने की बात कही है ये सारी बातें वे अपने शासनकाल की बातों को उन्होंने दोहराकर के कहा है, 9 महीने तक कौन से व्यक्ति, वे बड़े-बड़े आंकड़े पेश करते हैं, 9 महीने से कौन से व्यक्ति जो सदन के सदस्य नहीं हैं वे मंत्री हैं उनका भी तो नाम बताकर जाते लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया, नहीं मालूम है आपको...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप आसन की तरफ देखिए, अपनी बात कहते रहिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी: नेता प्रतिपक्ष बड़े-बड़े आंकड़े पेश करते हैं उनके आंकड़े खोखले हैं या सही हैं, यह तो उनका दिल ही गवाही देता होगा ।

क्रमशः

टर्न-24/यानपति-अंजली/16.03.2021

...क्रमशः...

श्री विनय कुमार चौधरी: महोदय, लेकिन मैं पहले अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि उनके आंकड़ों का दावा कहीं भी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है । मैं दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के बसहा मिर्जापुर पंचायत का रहने वाला हूं । उसी गांव में एक मनोरथा गांव है जो कभी उग्रवादियों की तथाकथित राजधानी के रूप में चर्चित थी । मेरे पिताजी भी चुनाव लड़ते थे । वे उस क्षेत्र में चुनाव में वोट अपने पंचायत में वोट मांगने गये थे वहां के थाना प्रभारी ने मुझे फोन करके कहा कि सर को 12 बजे के बाद मनोरथा क्यों जाने देते हैं । वहीं उसी मनोरथा गांव में मैं विगत 5 तारीख को इस सदन में भाग लेने के बाद मैं वहां गया था, लगभग रात के 11 बजे मैं पहुंचा था, न किसी ने मुझे रोका, न मुझे किसी तरह का भय हुआ और लगभग 12 बजे मैं अपने आवास पर पहुंचा यह जमीनी हकीकत है । पिछले शासन व्यवस्था का और वर्तमान शासन व्यवस्था का । वैसे इसका ज्ञान उनको भी है नेता प्रतिपक्ष जानते हैं कि उनके माता-पिता के राज में बिहार का क्या हाल था । वे खुद कन्विंस्ड हैं कि वह बिहार के इतिहास में काला अध्याय था। उनको भी जानकारी है कि बिहार ही क्या पूरा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: नाम नहीं लिया गया है । आप बोलिये ।

श्री विनय कुमार चौधरी: महोदय, पूरा विश्व जानता है कि बिहार उन दिनों लूट...

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप सुनिये, ध्यान से सुनिये नाम नहीं लिया गया है । बैठ जाइये ।

श्री विनय कुमार चौधरीः महोदय, फिरौती के लिए, अपहरण-5243, नरसंहार-118, भ्रष्टाचार, साक्षात प्रमाण जेल में हैं का पर्याय बन गया था । आज भी जी0एस0टी0 लागू है और उस समय भी जी0एस0टी0 लागू था । उस समय के जी0एस0टी0 का अर्थ था गुंडा सर्विस टैक्स, तभी तो नेता प्रतिपक्ष ने 2020 के चुनाव से पहले अपनी सारी प्रचार सामग्रियों से अपने नेता का, अपने माता-पिता का फोटो तस्वीर से हटा दिया था...

(व्यवधान)

अध्यक्षः पूरा सेन्टेंस सुनिये, अभी फिर बोले माता-पिता...

(व्यवधान जारी)

श्री विनय कुमार चौधरीः महोदय, जब मैं शिक्षा पर सदन में बोल रहा था तो प्रतिपक्ष ने कहा था कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की डिग्री रहेगी तब न डिग्री के फर्जी या असली पर चर्चा होगी । जिंदगी में डिग्री माध्यमिक उत्तीर्ण होने के बाद मिलती है...

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्रशेखर जी पुराने सदस्य हैं महोदय और बार-बार खड़े होकर के वे व्यवस्था पर खड़े हो जाते हैं महोदय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः बैठ जाइये, बैठ जाइये । मंत्री जी, बोल रहे हैं, महिला से बहस नहीं करेंगे, बैठ जाइये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, चंद्रशेखर जी पुराने सदस्य हैं बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और बार-बार व्यवस्था, कुव्यवस्था में बदलने के लिए खड़े हो जाते हैं । महोदय, सदन में तो एक से एक कटु शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और...

(व्यवधान जारी)

मेरी बात सुनिये, मेरी बात सुनिये मैं हमेशा नहीं उठता हूं कभी-कभी आप जैसे जो पुराने लोग हैं जब ये खड़े होते हैं तब मैं बोलता हूं और महोदय नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे थे, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि मंत्री के भाई और मंत्री के भाई जब कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के माता-पिता का नाम लिया जाता है तो ये उत्तेजित हो जाते हैं तो आप उस समय भी आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाकर के खड़ा होना चाहिए कि माननीय विरोधी दल के नेता आप किसी के भाई के नाम पर मंत्री का नाम मत लीजिए, ये आपको कहना चाहिए ।

अध्यक्ष: आप बोलिये विनय जी ।

श्री विनय कुमार चौधरी: महोदय, जब सदन में मैं शिक्षा पर बोल रहा था कि प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है । उनको यह मालूम नहीं है कि डिग्री किसे कहते हैं । डिग्री सातवीं, आठवीं, नौवीं पास करने पर डिग्री नहीं मिलती है । जब तक आप माध्यमिक की परीक्षा नहीं पास कर लेंगे तो आपकी डिग्री वैध नहीं कही जाती है । महोदय, उनके पास कोई डिग्री नहीं है । महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए यह नहीं कहें कि उनके पास वैध डिग्री हैं । वे अपने आप को युवाओं के तथाकथित प्रतीक समझते हैं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप बैठिये, मंडल जी ।

श्री विनय कुमार चौधरी: महोदय, जब उनको पता चलेगा कि उनके नेता को यह भी पता नहीं है कि डिग्री क्या होती है और किसे कहते हैं तो उनको बड़ा दुख होगा और वे टूट जायेंगे । महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष उस दिन के भाषण में एक बात से जरूर सहमत हूं । नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि उन्हें दो-दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है । यह सौ फीसदी सही बात कह रहे थे । लेकिन यहां पर दुर्भाग्य की बात यह है कि दो-दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बाद भी आप मैट्रिक की परीक्षा नहीं पास कर सके । नेता प्रतिपक्ष बिना किसी शिक्षा और जनसेवा के अनुभव के ही सदन के सदस्य ही नहीं उपमुख्यमंत्री बन गये । सही में ऐसा सौभाग्यशाली राज्य ही क्या शायद पूरे विश्व के ...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: बैठ जाइये, शोभा नहीं दे रहा है आपको, आप वरीय सदस्य हैं शोभा नहीं दे रहा है, बैठ जाइये ।

श्री विनय कुमार चौधरी: महोदय, किसी जनतंत्र में नेता प्रतिपक्ष के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा । जिसे बिना किसी अनुभव के आधार पर 27 साल की उम्र में उन्हें सत्ता...

अध्यक्ष: दो मिनट का समय बचा है, अब कन्क्लूड कर लीजिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी: महोदय, माले के साथियों ने आरोपित मंत्रियों को हटाने के लिए बड़े-बड़े पोस्टर लगाये हुये थे । आपने उसे हटवाने का काम किया था । एक कहावत है जो खुद शीशे के घर में रहते हैं दूसरे पर ईंटा नहीं फेंकते हैं । इस 17वीं विधान सभा में माले के 12 सदस्य हैं जिसमें से 10 विधायकों ने स्वयं पर आपराधिक मामले होने की घोषणा कर रखी है जिसमें से 08 सदस्यों द्वारा गंभीर मामलों की घोषणा की गयी है ।

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्री विनय कुमार चौधरी: दलितों की बात करने वाले दलित उत्पीड़न के 25 फीसदी सदस्य आरोपित हैं, 50 फीसदी धारा-302 के आरोपित हैं, 50 फीसदी धारा-307 के आरोपित हैं यहीं तक नहीं आई0पी0सी0-420 के 25 प्रतिशत व्यक्ति इसमें आरोपित हैं । मुझे माले के व्यक्तियों को अपमानित करने की कोई मंशा नहीं है लेकिन उन्होंने जब बात कही है तो मैंने उसपर चर्चा की है । हद तो यह है कि विधान सभा में कटौती पेश करने वाले खुद मद्य निषेध के आरोपित हैं और वे शराबबंदी रोकने की बात करते हैं । कितनी दुखद बात है । शराबबंदी का तो असर यह हुआ है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अध्ययन से साफ है कि शराबबंदी के बाद बिहार में महिला अपराध के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है ।

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री विनय कुमार चौधरी: एक लाख जनसंख्या पर बलात्कार में 38.10 परसेंट की कमी, दहेज हत्या में 17.39 की कमी ।

अध्यक्ष: श्री अनजार नईमी ।

(व्यवधान)

श्री मो0 अनजार नईमी: अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, हम जानते हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ कॉमन व्यवस्था से ही हमारा समाज गांव या शहर सुरक्षित और आम जनता अमन और चैन से रह पाते हैं पर हाल के दिनों में चोरी-डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाओं ने आम जनों के दिल-ओ-दिमाग पर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठिये, समय नहीं है ।

श्री मो0 अनजार नईमी: खौफ बैठा हुआ है, दिन-दहाड़े बाजार हो या गांव हो वाहनों की चोरी रोकने से पुलिस-प्रशासन विफल होता जा रहा है...

अध्यक्ष: बैठ जाइये, देखिये समय बहुत कम बचा है ।

(व्यवधान)

श्री मो0 अनजार नईमी: आबादी बढ़ी है पर थाना तथा मकानों की संख्या वहीं रह गयी है । पूर्व में चौथी बार गांव, टोला, मुहल्ले बाजारों में रात्रि पहरा दिया जाता था...

अध्यक्ष: बैठ जाइये । मौका मिलेगा ।

श्री मो0 अनजार नईमी: ग्रामीण पुलिस तो बना दिया मगर पहरेदारी के नाम पर ग्रामीण...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अभी सबका समय तय है ।

श्री मो0 अनजार नईमी: मेरे विधान सभा क्षेत्र में दर्जनों छोटे-बड़े बाजार हैं परंतु दो-चार बाजार को छोड़कर किसी भी बाजार में रात्रि प्रहरी की कोई भी व्यवस्था नहीं है । ऐसे बाजारों में चोर बिना भय, संकोच के दूकानों का ताला तोड़कर लाखों का सामान व किसानों की मवेशी चोरी करने में सफल हो जाते हैं । सच तो यह है कि पुलिस के भय की बजाय आम भोली-भाली जनता में भय व्याप्त है यह देखा जा रहा है । जनप्रतिनिधियों तक को पुलिस के अधिकारियों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है...

अध्यक्ष: आवाज किसी की सदन में नहीं दबेगी । समय पर आवाज उठाइये ।

श्री मो0 अनजार नईमी: जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनने का समय नहीं होता वहीं थाना, ब्लॉक, अंचल स्तर के...

अध्यक्ष: बैठिये, मौका मिलेगा, स्थिर रहिये ।

श्री मो0 अनजार नईमी: जनता का विश्वास, जनप्रतिनिधियों से उठता जा रहा है तथा जनप्रतिनिधियों का आक्रोश पदाधिकारियों के प्रति बढ़ता जा रहा है मेरे विधान सभा क्षेत्र में...

अध्यक्ष: अब संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री मो0 अनजार नईमी: जहां से मैं चुनकर आया हूं जहां पर सीमांचल का क्षेत्र विकास से इसलिए कोसों दूर रहा जहां सामान्य प्रशासन सेवाओं की कमी से सदैव जूझता रहा है । आधार बनाना हो या सुधार करना हो हमारे क्षेत्र में कोई जंग जीतने से कम नहीं है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आधार एनरॉलमेंट सेंटर की संख्या बढ़ायी जाय । महोदय, सबसे दयनीय स्थिति स्वास्थ्य विभाग की देखी जा सकती है सीमांचल...

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्री मो0 अनजार नईमी: सी0एस0सी0 का दर्जा प्राप्त है परंतु डॉक्टर, नर्स, दवाई तथा जांच उपकरण के घोर अभाव के कारण 75 परसेंट मरीज को स्वास्थ्य प्रभारी द्वारा रेफर कर दिया जाता है । बी0पी0एल0 परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र शोभा की वस्तु बना हुआ है या फिर चारागाह में तब्दील हो रहा है । दाखिल-खारिज हो या आय, जाति, निवासी प्रखंड तथा अंचल कर्मचारियों के अभाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है । मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार अपने बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाये अन्यथा आम जनता का विश्वास समाप्त हो जायेगा ।

अध्यक्ष: ठीक है, बैठ जाइये । श्री मुकेश सहनी जी, बोलिये ।

टर्न-25/सत्येन्द्र/16-03-21

श्री मुकेश सहनी,मंत्री: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक रोज सो कर उठा, पेपर में मैंने देखा तो मेरे नाम पर 5 क्रिमिनल केस की बात थी । मैं देखकर हैरान हो गया कि यह कैसे है, वह भी क्रिमिनल केस तो मुझे पता चला कि चुनाव के समय में कहीं पर हमारे पार्टी के या वर्कर या पदाधिकारी के द्वारा हमारे ऊपर केस हो गया तो मैंने तो कोई जुर्म कभी नहीं किया लेकिन क्रिमिनल केस के नाम पर पांच केस मेरे नाम पर है तो अभी हमारे विरोधी दल के नेता जी इस तरीके से बोल रहे हैं कि मंत्री में 66 प्रतिशत दागी हैं तो कहीं न कहीं सही से जानकारी उस चीज को पकड़ना चाहिए , मैं यह बोलने के लिए उठा था लेकिन एक और मेरे पास तकलीफ, सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं पहले सुनता था कि सांढ़ जो है वह लाल कपड़ा को देखकर भड़कता है, मैं जब भी कोई बात को रखने के लिए उठता हूँ तो मुझे देखकर इस तरीके से लोग क्यों भड़क जाते हैं तो मुझे इस बात को थोड़ा सा ,कभी भी हमें इस तरीके से जब भी, मेरे पीठ में खंजर भोंक कर उन्होंने भेजा तो आज देख देखकर उनको तकलीफ क्यों हो रहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठ जाइए, अब श्री अजय कुमार।

(व्यवधान)

सुन लीजिये, माननीय मंत्री राम सूरत राय जी भी अपनी बात को रखेंगे और इनको भी मौका देंगें, ये लिखकर देंगे तो इनको भी मौका कल देंगे ।

(व्यवधान)

कल उनको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

फिर आप समय बर्बाद करने में लग गये हैं । बोलिये एक मिनट में खत्म करनी है ।

(व्यवधान)

श्री अजय कुमार: अध्यक्ष महोदय, पहले तो शांत किया जाय हाउस को..

अध्यक्ष: आप शुरू कीजिये, बोलते रहिये । शांति ।

श्री अजय कुमार: मैं सबसे पहले कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूँ । गृह विभाग के द्वारा और सरकार द्वारा जो उपलब्धि की चर्चा की गयी है और खासकर के सत्ता पक्ष की ओर से

बहुत लंबी चौड़ी बात की गयी है । मैं उदाहरण देकर के दो-तीन घटना का जिक्र करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष: एक ही मिनट में ।

श्री अजय कुमार: एक मिनट में ही कर देंगे लेकिन जो समय मेरा कटा वह आप जरूर दीजिये। मैं कहना चाहता हूँ कि 14-01-2021 को राजू की हत्या बोरिया विभूतिपुर में हुई और वह हत्या सिर्फ इसलिए हुई कि उसने शराब माफिया का नाम थाना में बताया, अपराधी का नाम बताया और उसकी हत्या हो गयी । दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, विभूतिपुर में 2017 में ब्रजेश पत्रकार की हत्या हुई और एक हत्यारा अभी तक घूम रहा है, किसकी ताकत पर वह घूम रहा है चूंकि वह एक विधायक का भाई था इसलिए वह घूम रहा है । तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मस्तफापुर की एक अल्पसंख्यक बच्ची तीन दिन से अपनी बच्ची को गोद में लेकर भटक रही है थाना जाकर कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ और वह यह बच्ची मेरे गोद में है, एफ0आई0आर0 नहीं हो रहा है, कैसा सुशासन है, हम यह जानना चाहते हैं ? चतुर्थ बात हम कहना चाहते हैं, बस हम एक सकेंड में अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं । रामनाथ महतो हत्याकांड का एक चश्मदीद गवाह केस को देखता है, उसको हत्यारा जो है धमकी देता है, वह सुरक्षा का वह डिमांड करता है कि हमको सुरक्षा दिया जाय, अपराधी के खिलाफ हम गवाही करायेंगे, जांच हुई लेकिन अभी तक उसको कोई सुरक्षा नहीं दी गयी । उसकी हत्या होगी तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा?

अध्यक्ष: श्री सूयकांत पासवान, एक मिनट में ।

श्री सुर्यकांत पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से आग्रह करता हूँ कि एक मिनट और समय दिया जाय।

अध्यक्ष: अब समय नहीं है । मात्र दो मिनट समय बचा है जिसमें दो आदमी को बोलना है ।

श्री सुर्यकांत पासवान: महोदय, आज पूरे बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है महोदय, मेरे पास साक्ष्य है । मैं साक्ष्य के साथ कहता हूँ महोदय, जब बेगूसराय जिला के अन्तर्गत गणेश पोद्दार नावकोठी के पूर्व मुखिया थे, उनकी हत्या हुई और 16 तारीख है महोदय और आजतक अपराधी को पकड़ने में पुलिस विफल रही है । मैं जानना चाहता हूँ महोदय कि सदन के माननीय मंत्री के साथ अपराधी का फोटो वायरल हो रहा है, मेरे पास सबूत है महोदय, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ ।

अध्यक्ष: श्री अनिल कुमार । एक मिनट में आप खत्म कीजिये ।

श्री अनिल कुमार: अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से गृह विभाग द्वारा पेश 2020-21 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, बुद्ध, महावीर, अशोक, चाणक्य का यह बिहार एक जमाने में रक्तरंजित रहता था । जातीय एवं साम्प्रदायिक हिंसा से त्रस्त रहता था, घर से निकलने में लोगों के अन्दर भय का माहौल रहता था, कानून व्यवस्था की कोई साख नहीं थी, बच्चे को स्कूल कॉलेज तक जाना बंद हो गया था, व्यवसायी का कारोवार ठप पड़ गया था, फिरौती एक प्रचलन के रूप में स्थापित हो चुका था, चारों तरफ त्राहिमाम् था, नरसंहार एक नियमित खेल हो गया था, एक अविश्वास का माहौल हो गया था ऐसी हालत में जब बिहार की कमान एन0डी0ए0 के हाथ में आयी, नीतीश जी के नेतृत्व में तो बिहार एक बार फिर कह सकते हैं कि बिहार में सभी संगठित अपराध थम गये और अपराधी या तो बिहार के पलायन कर गये या फिर सलाखों के पीछे चले गये । स्पीडी ट्रायल चलाकर तेजी से अपराधियों पर काबू पाया गया । अपराधियों के अंदर एक खौफ पैदा हुआ और तमाम तरह के संगठित अपराध पूरी तरह से बंद हो गये । महोदय, फिर से कानून के प्रति लोगों का विश्वास जगा, व्यवसायी स्वतंत्र होकर व्यापार करने लगें, बच्चों के लिए फिर से एक नई दुनिया खुलने लगी और यह प्रमाणित है कि बिहार सरकार के प्रति लोगों का एकबाल इसलिए लगातार चौथी बार नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों ने भरोसा जताया है । महोदय, मैं सुझाव के तौर पर कुछ बात रख रखा हूँ, गया जिला के इमामगंज प्रखंड के नगमां पंचायत में एक थाना की आवश्यकता है, उसी क्षेत्र में बोधि विगहा थाना सृजित है लेकिन भवन उसका अभी तक नहीं बना है। कोंच प्रखंड के देवरा बाजार में एक ओ0पी0 की आवश्यकता है क्योंकि ओ0पी0 पहले था, वहां से थाना की दूरी 15 कि0मी0 है..

अध्यक्ष: आप मिलकर दे दीजियेगा मंत्री जी को ।

श्री अनिल कुमार: उसी तरह से टिकारी क्षेत्र में मऊ ओ0पी0 का अपना भवन नहीं है, भाड़े के मकान में चल रहा है । इन्हीं बातों के साथ में पूर्ण समर्थन करता हूँ बजट का ।

अध्यक्ष: श्री राज कुमार सिंह । लास्ट एक मिनट में समाप्त कर लीजिये ।

श्री राज कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आज पहली बार आपसे संरक्षण का आग्रह करूंगा क्योंकि मुझे हमेशा एक मिनट दिया जाता है।

अध्यक्ष: आसन की विवशता है समय तय है।

श्री राज कुमार सिंह: मेरी भी कुछ विवशता है माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष: बोलिये समय बर्बाद कर दिये एक मिनट आप ।

श्री राज कुमार सिंहः मैं आज बहुत दुखी हुआ फिर से चूंकि आज विमर्श तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर था, सामान्य प्रशासन, गृह विभाग पर और जिसके लिए रोज यहां पर हंगामा होता है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है लेकिन इस पर विमर्श की जगह, हमने आज जो माहौल बनाया इस सम्मानित सदन को जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, उसे जब मन करता है उसे सड़क में तब्दील कर देते है इस बात का क्या और इसे सड़क में तब्दील करने वाले हम माननीय सदस्य ही होते हैं । मुझे काफी पीड़ा होती है कि विमर्श इस पर नहीं होता है और मुझे घोर निराशा हुई चूंकि मेरे पास आपने समय कम दिया है मैं अपनी बातों को चार पंक्तियों में कहूंगा कि

आज सड़क पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख,
पर अंधेरा देख, आकाश के तारे न देख,
एक दरिया है यहां पर, दूर तक फैला हुआ,
आज अपने बाजूओं को देख, पतवारें न देख ।

बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्षः अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 11-12 माननीय सदस्यों ने अपने विचार को गृह विभाग के अनुदान मांगों पर अपने अपने मुताबिक से, अपनी अपनी शैली में, अपनी अपनी जानकारी के मुताबिक रखने का काम किया, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूॅ और अपेक्षा करता हूॅ कि भविष्य में भी और संजीदगी के साथ, सबसे बड़ा घोर अभाव यह है कि किसी बात को अगर संजीदगी से शालीनतापूर्वक रखी जाय, उसका असर ज्यादा होता है, वह प्रभावकारी ज्यादा होता है और जिस ढंग से रखा जा रहा है तो ब्यूरोक्रेसी भी देख रहा है, जब सदन में हम नियमों का, अधिनियमों का, परिनियमों का ठीक से पालन नहीं कर पाते तो 12 करोड़ लोगों के बीच में यह मैसेज तो जाता है । मुझे याद है महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा, स्व0 वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि अध्यक्ष महोदय, हम राजनीति करने वाले लोग जो हैं, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हम हैं, लोग देख रहे हैं हमारे आचरणों को, हमारी जुबान को, हमारे व्यवहार को और उसका असर पड़ता है, निश्चित तौर से पड़ता है। (क्रमशः)

..क्रमशः...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अब महोदय, मैं कहना चाहूँगा, अन्य बातों को मैं बाद में कहूँगा लेकिन मैं प्रारम्भ करता हूँ ।

नवम्बर, 05 में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार आयी थी । अब क्या स्थिति थी ? जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 10 हजार सिपाहियों की रिक्ति की 2004 में विज्ञापन सं0 1/2004, 02/2004 एवं 03/2004 प्रकाशित की गई थी, बहाली नहीं हुई । 2005 में 10 हजार रिक्तियों के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर लेने का काम किया गया चूंकि बहाली की प्रक्रिया में लम्बा समय लगता है । इतना ही नहीं महोदय, मार्च, 2006 में 5 हजार स्वीकृत सैप कर्मियों के विरूद्ध 5 हजार सैप कर्मियों को अनुबंध पर नियोजित किया गया । मार्च, 2006 से 2009 तक 12 हजार स्वीकृत सैप कर्मियों के विरूद्ध कुल 3618 सैप कर्मियों का नियोजन किया गया । वर्तमान में बिहार पुलिस में 44 जे0सी0ओ0, 4565 जवान एवं 43 कुक, कुल 4652 सैप कर्मी कार्यरत हैं ।

महोदय, भारत सरकार आंकड़े इकट्ठे करती है पूरे देश की । मैं इसको पढ़ देना चाहता हूँ । राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कुल संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय अपराध दर यानी अपराध की संख्या प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 385.5 है । वर्ष 2019 में 224.0 अपराध दर के साथ बिहार देश का 25वाँ राज्य है । यह है भारत सरकार के जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं, उसके आधार पर । जन शिकायत सुनने का भी है जागरूकता के लिए, भारतीय दंड विधान धाराओं के तहत बिहार में कुल 97,850 कांड दर्ज हुये । वर्ष 2019 के दौरान भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत बिहार में कुल 1,97,935 कांड दर्ज हुये । इस प्रकार भा0द0वि0 की दर्ज अपराधों में वर्ष 2019 में 2005 की अपेक्षा 102.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सरकार की नीति यह रही कि अपराध का मुक्त रूप से पंजीकरण हो तथा अनुसंधान त्वरित एवं प्रभावकारी ढंग से हो । निर्णय लिया गया कि अपराध दर्ज होगा, पहले अपराध भी दर्ज नहीं होता था इसलिए इस संख्या का गणित यह है, दर्ज भी होगा और कार्रवाई भी होगी, महोदय ।

बिहार राज्य की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2019 में 1201.1 लाख तथा वर्ष 2020 में 1231.1 लाख है । वर्ष 2019 में संज्ञेय अपराध दर 224.04 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 209.17 हो गया ।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019 का प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में बिहार राज्य हत्या शीर्ष में 2.61 अपराध दर के साथ 10वॉं, डकैती शीर्ष में 0.33 अपराध दर के साथ 10वॉं, लूट शीर्ष में 2.0 अपराध दर के साथ 12वॉं, गृहभेदन शीर्ष में 3.83 अपराध दर के साथ 29वॉं, चोरी शीर्ष में 29.1 अपराध दर के साथ 13वॉं, अपहरण शीर्ष में 9.1 अपराध दर के साथ 10वॉं तथा बलात्कार शीर्ष में 1.21 अपराध दर के साथ 31वॉं स्थान पर है ।

हत्या शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 2.61 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 2.56 हो गया है । डकैती शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 0.33 था, जो वर्ष 2010 में घटकर 0.18 हो गया है । लूट शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 2.0 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 1.54 हो गया है । गृहभेदन शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 3.83 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 3.27 हो गया है । चोरी शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 29.11 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 25.97 हो गया है । अपहरण शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 9.1 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 6.5 हो गया है । बलात्कार शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 1.21 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 1.17 हो गया है ।

फिरौती हेतु अपहरण के लिये बिहार काफी चर्चित रहा है । वर्ष 2005 में फिरौती हेतु अपहरण के 251 काण्ड प्रतिवेदित हुये थे, वहीं वर्ष 2020 में मात्र 42 काण्ड प्रतिवेदित हुये हैं । 42 काण्डों में 46 अपहृतों में से 45 अपहृतों की बरामदगी की गयी है तथा कुल 115 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया । सभी 42 काण्डों का उद्भेदन किया गया है । दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र से अपहृत स्वर्ण व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत साहेबगंज थाना क्षेत्र से 01 करोड़ रूपये की फिरौती के लिये अपहृत 11 वर्षीय छात्र, सारण जिलान्तर्गत कोपा थाना क्षेत्र से अपहृत हरियाणा के ट्रांसपोर्टर सुधीर कुमार, रूपसपुर(पटना) थानान्तर्गत अपहृत अभिषेक कुमार, बेतिया जिलान्तर्गत नवलपुर थाना क्षेत्र से अपहृत प्रिंस कुमार आदि काण्डों में घटना के घटित होने के कुछ ही घंटों के अन्तर्गत अपहृतों की सकुशल बरामदगी की गयी, काण्ड में संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी तथा घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र की बरामदगी की गयी ।

महोदय, अपराध रोकना, दुनिया में कहीं नहीं है कि अपराध जीरो होगा । कांसेप्ट हो सकता है । महोदय, मैं उस रोज भी कह रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या चौराहे पर हो गई, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या उनके प्रधानमंत्री आवास में हुई,

भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या भी हुई, महात्मा गाँधी की भी हत्या हुई, स्वर्गीय बापू की । (व्यवधान)

एक आदमी कुछ बोलिये तो कुछ जवाब दूँ । माननीय विधायक हैं, विधायक का यह आचरण ! विधायक का यह आचरण शोभा नहीं देता है । मंत्री भी विधायक हैं तब मंत्री हैं । आप ही का बिरादर है, आप ही का वर्ग है । उस बेन्च पर बैठना, इस बेन्च पर बैठना, राजनीति की एक सतत क्रिया है लेकिन दुर्भाग्य है । उस बेन्च पर बैठने में ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, दूबे जी हैं कि नहीं । क्या स्थिति थी । (व्यवधान) बैठिये। आप बोल रहे थे तो मैं बैठा हुआ था, इतनी तो मर्यादा रखिये । सिवान में अपराधी भागकर जिला मुख्यालय आते थे । ईमानदारी से बोलेंगे, माननीय सदस्य के भतीजा की भी हत्या हुई थी ।

श्री अवध विहारी चौधरी : नहीं । गलत बात है । ऐसा कहीं नहीं हुआ था, मैं इस बात को चुनौती देता हूँ । (व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, हमारे एक उम्मीदवार थे । सिवान में 5 लाश को कंधा देने मैं अध्यक्ष के रूप में गया था, उस समय में हमलोगों के नेता और आज के मुख्यमंत्री ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, बच के आइयेगा ? हमने कहा कि श्रद्धांजलि देने भी मत आइयेगा लेकिन मैं तो जाऊंगा । नॉमिनेशन की क्या दशा थी ? नॉमिनेशन के बाद खाने गये इनके घर के सामने में, क्या दशा थी यह हम नहीं बोलेंगे । इसीलिए छोड़ दीजिए इन बातों को । इसका जिक्र मैंने किया ।

अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था पृथक्करण का प्रभाव । राज्य में दिनांक 15.08.2019 को अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था को पृथक्करण कर दिया गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

टर्न-27/शंभु/16.03.21

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अनुसंधान होगा उसका विंग्स अलग और अपराध जो दर्ज करेगा उनका अलग दोनों को पहली दफा ऐसा किया गया है- 2797 पुलिस पदाधिकारी लगाये गये हैं, अनुसंधान में 4661 पुलिस पदाधिकारी को लगाया गया है । अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था के पृथक्करण के बाद विधि व्यवस्था में लगाये गये पुलिस पदाधिकारी द्वारा लिये जा रहे अनुसंधानिक कांडों का अनुसंधान भर अनुसंधान इकाई में पदस्थापित पुलिस

पदाधिकारियों को देने के कारण अनुसंधान इकाई में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों पर अनुसंधान भार बढ़ गया है । मार्च, 2020 के पश्चात् कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन के प्रभावकारी परिवर्तन के लिए अनुसंधान इकाई में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों का उपयोग विधि व्यवस्था कार्य में किया गया है । विधान सभा चुनाव 2020 के दौरान भी अनुसंधान इकाई के पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था और चुनाव कार्य में लगाये गये हैं । महोदय, अब एक बात बीच में कहना चाहूंगा कितना शोर हो रहा था कि चुनाव होगा तो लाखों लोग मर जायेंगे कोरोना से, लाखों लोग मर जायेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने रिपोर्ट में बिहार की प्रशंसा करने का ही काम नहीं किया है बल्कि बिहार के पदाधिकारियों को बंगाल में भी कहा कि अपने अनुभव का प्रयोग कीजिए । यह है बिहार के गौरव का मामला महोदय । शोर कितना हो रहा था, शोर मचाना अपनी जगह पर है और आरोप क्या लगता है महोदय कि नीतीश जी फ्यूज मुख्यमंत्री हैं- अब 80 थे 75 हो गये भाई......

(व्यवधान)

और चुनाव से भाग रहे थे, चुनाव होगा, चुनाव होगा बिहार बर्बाद हो जायेगा और इसीलिए महोदय ये कहना आसान है, करना कठिन है, कहने में क्या लगता है ? अब एक बात है महोदय, हमलोगों के यहां एक गोसाई खेला जाता था उस गोसाई खेलने में एक जो भक्त था वह गोसाई खेल रहा था- पूरा बांधो पश्चिम, बांधो उत्तर, बांधो दक्षिण, आकाश बांधो, पाताल बांधो तो उसकी पत्नी ड्योढ़ी पर खड़ी थी तो बोली कि एक सप्ताह से यह टाट टूटा हुआ है इसको बांधिये न उसके बाद आकाश, पाताल बांधियेगा । दूसरी एक बात चूंकि नेता विरोधी दल ने भी एक कहानी से शुरू किया, कहावत से । महोदय, एक विद्वान आदमी, बड़े नेता भाषण दे रहे थे आमसभा में 10-15 हजार की भीड़ थी कि बैगन बड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है, बैगन नहीं खाना चाहिए तो सबलोगों ने ताली बजायी । शाम में, रात में जब घर लौटकर आये तो पत्नी को कहा कि बैगन का चोखा बनाओ तो उसने कहा कि मैं भी भाषण सुनने गयी थी तो उसने कहा कि अरे छोड़ो न भाषण दूसरे के लिए देना है काम अपने वही करना है जो अच्छा लगे । भाषण देना, सिद्धांतों को बखारना- सुरेन्द्र बाबू हैं, कितने लोगों की हत्या हुई थी ?

(व्यवधान)

अरे सुनिये, इसी विधान सभा में महोदय, दूबे जी जहां बैठते हैं मैं भी विरोधी दल में वहीं बैठता था । मुझे याद है एक बार आदरणीय सदानन्द बाबू स्पीकर थे । मैंने

कहा अध्यक्ष महोदय जब कोई घटना होती है 50 आदमी, 25 आदमी की हत्या होती है तो सभी राजनेता लोग जाते हैं और बड़ा हंसता हुआ फोटो छपाते हैं, श्रद्धांजलि देने के बदले हंसता हुआ चेहरा रहता है क्योंकि छपास की बीमारी राजनीति की विधा है तो क्यों नहीं सदन की एक सर्वदलीय कमिटी जाय और सच्ची बात को सामने में लाये और स्पीकर ने एक सर्वदलीय समिति बना दी इसीलिए मैंने इनका नाम जिक्र किया था । लाठी लेकर लोग खदेड़ना शुरू किया था वह अपनी जगह पर बात थी तो महोदय, एक स्थिति थी वह । अब सुन तो लीजिए- नक्सलवाद पटना के इर्द-गिर्द भी शाम को चलना दुभर था, लेकिन पंचायती राज में जब आरक्षण दिया गया पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को तो वह एक दफे ही कम हो गया । समाज की हिस्सेदारी ने उसमें परिवर्तन लाने का काम किया और मुझे स्मरण है कि इस सदन में तो महिला आरक्षण बिल पास हो गया था और कौंसिल में हमलोगों के 8-9 एम0एल0सी0 ही थे । मैं संसदीय कार्य मंत्री था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहां कैसे कीजियेगा ? हमने कहा कि चलिये कोई न कोई हुनर का प्रयोग करेंगे । श्री अरूण कुमार सिंह जी जो सभापति हुए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, मेरे उपर प्रिवलेज लाये कि उन्होंने स्पीकर को कहा सर्वदलीय बैठक के बाद कि सदन को एडजोर्न मत करियेगा इसीलिए प्रिवेलेज मोशन लाये तो मैंने कहा फेस करूँगा । तो अरूण बाबू ने उठकर कहा सभापति आदरणीय जाबिर साहब थे- कि सभापति महोदय, मैं कुछ बातों पर खड़ा हुआ हूँ ऐसे मेरे दल का हुक्म है, व्हिप है मैं भी खिलाफ में वोट करूँगा । क्या है संविधान में व्यवस्था ? सदन कौन बुलाता है ?

(व्यवधान)

गृह विभाग का ही जवाब बोल रहे हैं । अभी तक गृह विभाग पर ही बोल रहा था, लेकिन राजा, कपड़ा कौन सा गृह विभाग पर भाषण था ? अरे एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात वहां तो सुने और यहां बड़ी तकलीफ हो रही है । महोदय, कहा कि संविधान में क्या व्यवस्था है कि हाउस सरकार ही सभापति और स्पीकर के कन्सलटेशन शब्द है, अनुमति नहीं है एप्रूवल नहीं है, बुलाती है । संविधान में क्या व्यवस्था है महोदय, यहां अगर हमलोग रिजेक्ट कर देंगे तो चूंकि यह वित्त विधेयक है । इसीलिए स्पीकर साहब से संसदीय कार्य मंत्री आग्रह कर रहे थे कि हाऊस एडजोर्न नहीं कीजियेगा। कल वे ले जायेंगे वहां से पास होगा, महामहिम राज्यपाल के यहां जायेगा, हमलोगों को पढ़ने के लिए भी नहीं मिलेगा तो जाकर पास हुआ फिर भी बायकॉट किये। ये था महोदय, नक्सलवाद को खत्म करने का एक बड़ा तरीका इसलिए मैंने इस बात को कहा । अब महोदय, बातें तो कई एक होती है लेकिन महोदय, एक बात और मैं जिक्र

करना चाहूंगा चूंकि दूबे जी केवल कटौती के एक्सपर्ट तो हैं, अपेक्षा बहुत करते हैं, लेकिन 10 रूपया काटने का भी प्रस्ताव करते हैं । अब दूबे जी और हमारे बीच में बात हो रही है तो और लोग न बोलिये तो बड़ी कृपा होगी । पुलिस मुख्यालय द्वारा लंबित कांडों की संख्या में कमी लाने के लिए क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक से अंचल निरीक्षक तक के पर्यवेक्षी पदाधिकारियों के कांडों की गहन समीक्षा, निष्पादन का निदेश दिया गया है । आपने यह सवाल उठाया था सबको अधिकार है इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ । इसके फलस्वरूप माह जनवरी, 2021 में लंबित कांडों की संख्या में 5609 कांडों की गिरावट आयी है, मतलब अनुसंधान के मामले में । अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था पृथक होने के बाद आसूचना संचालन में वृद्धि हुई है । इस कारण सभी गंभीर एवं सनसनीखेज कांडों का उद्भेदन एवं उसमें शामिल अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी तीव्र एवं त्वरित रूप से की गयी है । दिनांक 09.03.2021 को उड़ीसा राज्य में लूटे सोना लूट कांड में गोपालगंज के पुलिस द्वारा लूट के सोना के साथ तीन कुख्यात एवं अन्तर्राज्यीय अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया । कोचाधामन किशनगंज में भी डकैती कांड का 72 घंटे में सफल उद्भेदन करते हुए लूटी संपत्ति की बरामदगी कर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी । सूर्यगढ़ा लखीसराय में पिकअप वैन के चालक की गोली मारकर हत्या करने, पिकअप वैन के लूट कांड का 48 घंटे के अंदर उद्भेदन कर अवैध आग्नेयास्त्र एवं घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामदगी की गयी । दिनांक 09.03.2021 को मुंगेर जिलान्तर्गत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 5.54 लाख रूपये की लूट की घटना तथा पुलिस द्वारा घटना के दिन ही सफल उद्भेदन करते हुए तीन अपराधियों को चार देशी आग्नेयास्त्र और 4.36 लाख रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया ।

क्रमशः

टर्न-28/ज्योति/16-03-2021

क्रमशः

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आधिकारिक तौर पर अनुसंधाान एवं विधि व्यवस्था पृथक होने के बाद अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि पर कोई अध्ययन नहीं हुआ है परन्तु वर्ष -2019 एवं 2020 में अनेक ऐसे काण्ड प्रकाश में आये हैं, जिनमें पुलिस द्वारा त्वरित उद्भेदन एवं कार्रवाई की गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को फांसी तक की सजा दी गयी है ।

पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारियों के लिए सेवाकालीन आवृत्ति प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है इसके तहत उन्हें पूरे सेवा काल में 02 बार प्रथम आवृत्ति प्रशिक्षण 07 से 10 साल की सेवा के बीच तथा द्वितीय आवृत्ति प्रशिक्षण 14 से 18 साल की सेवा के बीच करना अनिवार्य होगा । इसे शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा ।

राज्य सरकार के स्तर से पुलिस बल को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने के लिए मानव बल का सृजन, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित किया गया है ।

अपराध अनुसंधान विभाग के उच्चत्तर प्रशिक्षण विद्यालय में दिनॉक 08-01-2021 से अनुसंधान इकाई में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जो लगातार जारी रहेगा । इस प्रकार अनुसंधान से जुड़े पुलिस पदाधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें अनुसंधान में दक्ष एवं निपुण बनाकर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित कराया जा रहा है ताकि बेहतर अनुसंधान के आधार पर अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाया जा सके ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

(सदन की सहमति हुई)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बिहार पुलिस को विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बनाने हेतु Crime and Criminal Tracking Network System(CCTNS), Emergency Response Support System (ERSS), Dial 100 आदि तकनीकों को बिहार पुलिस द्वारा जोर-शोर से लागू किया जा रहा है ।

पुलिस थानों एवं पुलिस केन्द्रों के लिए नये भवनों का निर्माण वृहद पैमाने पर कराया गया है । पुलिसकर्मियों के लिए 15,000 से अधिक बैरेक का निर्माण तथा 1700 से आवासीय यूनिट का निर्माण किया गया है ।

साईबर अपराधः

साईबर अपराध की चुनौतियों को देखते हुए सरकार द्वारा राज्य स्तर पर साईबर थाना का सृजन किया गया है और जिला स्तर पर साईबर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट स्थापित की गई है । साईबर अपराध की चुनौतियों का सामना करने के लिए 2000 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल एवं दक्ष बनाया गया है । राज्य स्तर पर साईबर प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है ।

अनुसंधान एवं अभियोजन -

अपराधी को बेहतर अनुसंधान तथा अभियोजन के माध्यम से सजा दिलाना सरकार की प्राथमिकता रही है । इसके लिए समय-समय पर आपराधिक न्याय व्यवस्था के विभिन्न स्तम्भों के बीच सहयोग एवं समन्वय कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं । अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अनुसंधान की विधि व्यवस्था से पृथक किया गया है । अनुसंधान में लगे पुलिस पदाधिकारियों को विशेष रूप प्रशिक्षित कराकर उन्हें दक्ष एवं कुशल बनाया जा रहा है जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं ।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं श्वान दस्ता -

विधि विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर क्षमता विकास किया जा रहा है । क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में प्रारंभ की गयी है । शेष 09 पुलिस क्षेत्रों में भी विधि -विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की सरकार की योजना है ।

गंभीर काण्डों के अनुसंधान में श्वान दस्ता द्वारा काफी सहयोग प्राप्त होता है । सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में श्वान दस्ता स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । 12 क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय के जिलों में श्वान दस्ते कार्यरत हैं अन्य जिलों में भी शीघ्र ही इसे स्थापित कर लिया जाएगा ।

राज्य में अपराध की स्थिति -

राज्य सरकार अपराध नियंाण के प्रति सजग है । यदि हम राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित वर्ष 2019 के लिए प्रकाशित आंकड़ों को देखें तो अधिकांश अपराध में बिहार राज्य 10 वें स्थान के बाद ही आता है ।

महोदय, ऐसा नहीं है कि जो आरोप लगाए गए कि मुख्यमंत्री निश्चिंत हैं वे करते नहीं है । मैंने टोटल ब्यूरो का जिक्र किया कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नयी चीजें हो रही हैं । महोदय, और सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण और अपराध के विषय मे मैंने पहले ही बतला दिया था । राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द्र का माहौल कायम है । यदा-कदा साम्प्रदायिक तनाव की घटना प्रकाश में आए हैं । पुलिस एवं प्रशासन ...

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लिया जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : एक मिनट । महोदय, शेष अपना भाषण सदन के पटल पर रखता हूं।

(माननीय मंत्री का लिखित भाषण - परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष: पटल पर रख दिया जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : और अंत में सदन से अनुरोध करूंगा माननीय दूबे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और सदन से मैं अनुरोध करूंगा प्रार्थना करूंगा कि इस मांग को समर्थन करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विजय शंकर दूबे : माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग का डिमांड है । प्रदेश की जनता...

अध्यक्ष : सिर्फ ''हां'' या ''ना'' में समय कम है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, एक मिनट में खत्म करते हैं । प्रदेश की जनता को अपेक्षा थी कि आज की तारीख में माननीय मंत्री अपने जवाब में 2019 तक जो क्राईम ब्यूरो ऑफ इंडिया के फीगर जो इनके पक्ष में है वो जवाब दिए । 2020 आरैर 2021 में नहीं आए । आज क्राईम ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या है वह नहीं बताया इसलिए प्रस्ताव वापस नहीं लूंगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 139,73,24,62,000/- (एक सौ उन्तालीस अरब तिहत्तर करोड़ चौबीस लाख बासठ हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आप सभी जानते हैं कि विधान सभा गठन के बाद सभी माननीय सदस्यों के जीवन परिचय की एक पुस्तक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जाती है जिसके लिए आप सबों से जीवन परिचय की मांग की गई थी परन्तु अब तक मात्र 83 माननीय सदस्यों के द्वारा जीवन परिचय उपलब्ध कराया गया है जबकि आप सबों को तीन बार पत्र दिया जा चुका है । जिनको नहीं भी मिला है तो उपलब्ध करा

देंगे । अतः आपसे आग्रह है कि चलते सत्र में ही अपने जीवन परिचय को उपलब्ध करा दें ताकि जीवन परिचय पुस्तक का प्रकाशन हो सके ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांग गिलोटिन के माध्यम से लिए जायेंगे ।

टर्न-29/अभिनीत-पुलकित/16.03.2021

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए :-

मांग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 15,61,72,27,000/- (पंद्रह अरब इक्सठ करोड़ बहत्तर लाख सताईस हजार) रुपये,

मांग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 4,41,18,44,000/- (चार अरब इक्तालीस करोड़ अठारह लाख चौवालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या-06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 4,23,28,27,000/- (चार अरब तेईस करोड़ अठ्ठाईस लाख सत्ताईस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 07 निगरानी विभाग के संबंध में 44,34,42,000/- (चौवालीस करोड़ चौंतीस लाख बयालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 1,65,60,88,000/- (एक अरब पैंसठ करोड़ साठ लाख अठ्ठासी हजार) रुपये,

मांग संख्या- 09 सहकारिता विभाग के संबंध में 15,34,09,40,000/- (पंद्रह अरब चौंतीस करोड़ नौ लाख चालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 17,49,43,72,000/- (सत्रह अरब उनचास करोड़ तैंतालीस लाख बहत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या- 12 वित्त विभाग के संबंध में 11,00,76,36,000/- (ग्यारह अरब छिहत्तर लाख छत्तीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 15 पेंशन के संबंध में 218,02,96,63,000/- (दौ सौ अठारह अरब दो करोड़ छियानवे लाख तिरसठ हजार) रुपये,

मांग संख्या- 16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 95,44,93,43,000/- (पंचानवे अरब चौवालीस करोड़ तिरानवे लाख तैंतालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 17 वाणिज्य-कर विभाग के संबंध में 1,60,64,18,000/- (एक अरब साठ करोड़ चौसठ लाख अठ्ठारह हजार) रुपये,
मांग संख्या- 18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 10,36,09,37,000/- (सात अरब सैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख छियालीस हजार) रुपये,
मांग संख्या- 19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 7,37,75,46,000/- (सात अरब सैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख छियालीस हजार) रुपये,
मांग संख्या- 24 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 2,34,91,98,000/- (दो अरब चौंतीस करोड़ इक्यानवे लाख अठ्ठानवे हजार) रुपये,
मांग संख्या- 25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 2,77,18,73,000/- (दो अरब सतहत्तर करोड़ अठारह लाख तिहत्तर हजार) रुपये,
मांग संख्या- 26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 9,65,63,79,000/- (नौ अरब पैंसठ करोड़ तिरेसठ लाख उनासी हजार) रुपये,
मांग संख्या- 27 विधि विभाग के संबंध में 10,66,90,53,000/- (दस अरब छियासठ करोड़ नब्बे लाख तिरपन हजार) रुपये,
मांग संख्या- 29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 47,56,77,000/- (सैंतालीस करोड़ छप्पन लाख सतहत्तर हजार) रुपये,
मांग संख्या- 30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 5,62,62,87,000/- (पांच अरब बासठ करोड़ बासठ लाख सत्तासी हजार) रुपये,
मांग संख्या- 31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 12,95,96,000/- (बारह करोड़ पंचानवे लाख छियानवे हजार) रुपये,
मांग संख्या- 32 विधान मंडल के संबंध में 2,41,17,55,000/- (दो अरब इकतालीस करोड़ सत्रह लाख पचपन हजार) रुपये,
मांग संख्या- 33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 7,77,35,36,000/- (सात अरब सतहत्तर करोड़ पैंतीस लाख छत्तीस हजार) रुपये,
मांग संख्या- 35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 21,98,40,39,000/- (इक्कीस अरब अठ्ठानवे करोड़ चालीस लाख उन्तालीस हजार) रुपये,
मांग संख्या- 36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 29,70,25,86,000/- (उन्तीस अरब सत्तर करोड़ पच्चीस लाख छियासी हजार) रुपये,
मांग संख्या- 37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 94,24,13,09,000/- (चौरानवे अरब चौबीस करोड़ तेरह लाख नौ हजार) रुपये,

मांग संख्या- 38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 2,80,23,11,000/- (दो अरब अस्सी करोड़ तेईस लाख ग्यारह हजार) रुपये,

मांग संख्या- 39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 64,81,03,06,000/- (चौंसठ अरब इक्यासी करोड़ तीन लाख छः हजार) रुपये,

मांग संख्या- 43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 4,22,50,18,000/- (चार अरब बाईस करोड़ पचास लाख अठ्ठारह हजार) रुपये,

मांग संख्या- 44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 18,03,27,78,000/- (अठ्ठारह अरब तीन करोड़ सताईस लाख अठहत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या- 45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 1,15,95,29,000/- (एक अरब पन्द्रह करोड़ पंचानवे लाख उन्तीस हजार) रुपये,

मांग संख्या- 46 पर्यटन विभाग के संबंध में 2,77,51,78,000/- (दो अरब सतहत्तर करोड़ इक्यावन लाख अठहत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या- 47 परिवहन विभाग के संबंध में 4,06,41,04,000/- (चार अरब छः करोड़ इकतालीस लाख चार हजार) रुपये,

मांग संख्या- 48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 77,67,12,91,000/- (सतहत्तर अरब सड़सठ करोड़ बारह लाख इक्यानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या- 50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 10,09,91,16,000/- (दस अरब नौ करोड़ इक्यानवे लाख सोलह हजार) रुपये,

मांग संख्या- 51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 81,59,14,76,000/- (इक्यासी अरब उनसठ करोड़ चौदह लाख छिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने वाद-विवाद के क्रम में समय मांगा था, हमने कहा था कि समय मिलेगा । माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपनी बात को रखें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, पहले हमको अपनी बात को कहने दीजिये, फिर उस पर सफाई देंगे ।

अध्यक्षः आपने इतनी लम्बी बातें रखीं, सारे विषय रख दिए, अब क्या बात करेंगे ? नहीं, अब समय उनके लिए है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः महोदय, वे जवाब दें यह हम चाहते हैं, लेकिन सवाल क्या है उसपर जवाब दें ।

अध्यक्ष: आप आरोप लगा चुके हैं, आपने पूरे समय में अपनी बात रखी है । अब मंत्री जी, को सुनिये ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगा सदन में आज पिछले दिन...

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, क्या विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलेगा ?

अध्यक्ष: हमने कहा था उनको मौका मिलेगा । आपने पूरा समय लिया है और अपनी बातों को रखा है, अब मंत्री जी को बोलने का अवसर मिलेगा ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा अपने सभी सदन के साथियों से...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप ही ने मांग की थी कि मंत्री जी सदन में अपनी बात रखें । अब सुन लीजिये ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: नेता सदन से, नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप में बात सुनने की क्षमता है तो आप बैठिये और मेरी बात को सुनिये । मैं सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता को भी कहना चाहता हूं कि आपने मुझ पर जो अनर्गल आरोप लगाया है उसको मैं सदन के माध्यम से खारिज करना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष बैठ जायं । मंत्री जी, की बात को कृपया सुनें ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: सदन के सदस्य होने के नाते मेरा यह अधिकार बनता है कि आपने मेरा जो चीर हरण किया, चरित्र हरण किया है उसकी भरपाई करनी होगी, मैं आप पर मानहानि का आरोप लगाऊंगा....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण बैठ जायं । मंत्री जी, की बात को आराम से सुनें ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: महोदय, मैं कहना चाहता हूँ इस प्रदेश की 12 करोड़ जनता को और मैं कहना चाहता हूं इस देश की 135 करोड़ जनता को मेरा परिवार एक गरीब खानदान से आता है । महोदय, ये लोग चरित्रहरण करने का काम करते हैं । नेता प्रतिपक्ष मैं आग्रह करता हूँ कि आप बैठ जाइये, मेरी बातों को सुनिये ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट बैठ जाइये । नेता प्रतिपक्ष आप पहले बैठ जाइये । सभी सदस्यगण बैठ जायं । विषय की गंभीरता को देखते हुए, आपने अपने भाषण के क्रम में

कहा था कि वह अपने पक्ष को रखें और हम विषय को गंभीरता से लेते हुए, नेता प्रतिपक्ष के पद का सम्मान करते हुए माननीय मंत्री जी को अपना पक्ष रखने के लिए कह रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि धैर्य से सुनें । माननीय मंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, ...

(व्यवधान)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ....

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सुनिये । आप पहले इनकी बात को सुनिये, यह उचित नहीं है ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: नेता प्रतिपक्ष के द्वारा.... बोचहां थाना कांड संख्या- 298/20 शराब अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है...

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, पहले आप सुन लीजिये, आप पक्ष को सुनिये । बैठ जाइये, आप अपने पक्ष को कह चुके ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: माननीय नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि माननीय मंत्री के परिसर से दारू मिली है, माननीय मंत्री जी शराब के कारोबारी हैं, माननीय मंत्री जी का परिवार शराब में संलिप्त है और यह स्कूल माननीय मंत्री जी का है । महोदय, मुझे सफाई देनी है और कहना है कि मैं साक्ष्य भी लेकर आया हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं इस साक्ष्य को सदन पटल पर रखने का काम करूंगा । मैं कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर विगत 2010 से इनके तथाकथित नेताओं के द्वारा मुझ पर हमेशा आरोप लगाया जाता है, सारे विषयों का मैं जवाब दूंगा और सारे विषयों को मैं साक्ष्य के रूप में रखूंगा ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं सदन में दूसरी बार जीतकर आया हूँ । महोदय, विपक्ष के नेता यहां बैठे हैं, साथी बैठे हैं, मेरे परिवार और खानदान को जानने वाले इसमें 50 परसेंट से ऊपर लोग हैं । जो सदन में नहीं भी हैं, मैं कहना चाहूंगा मेरे विधान सभा के विधायक श्री मुन्ना यादव हैं, ललित जी भी जानते हैं, भाई वीरेन्द्र जी भी जानते हैं, आलोक जी भी जानते हैं, तमाम साथियों को मैं जानता हूं और सदन में यहां बैठे, मुजफ्फरपुर के बिजेन्द्र चौधरी यहां बैठे हैं, अनिल सहनी बैठे हैं, इसराईल मंसूरी बैठे हैं, मेरे खानदान और परिवार के बारे में दाग लगाने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा खानदान कैसा है और आपका खानदान कैसा है । मैं ..... खानदान का.... रख दूंगा और...

(व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि मुझ पर जो आरोप लगाया गया है, इस आरोप में, मैं कहना चाहता हूं....

अध्यक्ष : स्थिर से, स्थिर से बोलिये ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: अगर हिम्मत है तो शांति से बैठिये, मेरी बात को सुनिये, अगर ताकत नहीं है तो गांधी मैदान के बीच में फरियाने का काम कीजिये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, स्थिर से बोलिये ।

टर्न-30/हेमन्त-धिरेन्द्र/16.03.2021

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसी किसी की मजाल नहीं है कि पटना में मुझे कोई हिला सकता है । इनकी रिश्तेदारी है, मेरी भी यहां सौ-सौ रिश्तेदारी है ।

अध्यक्ष : धैर्य से, धैर्य से ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : हजारों-लाखों परिवार मेरे को मानने वाले हैं, एक ग्वाला के बेटे की बात नहीं सुनना चाहते हैं, पिछड़े के बेटे की बात नहीं सुनना चाहते हैं । ये भैंस चराने वाले लोग क्या ग्वाला की बात सुनेंगे, क्या गाय पालने वाले के बेटे की बात सुनेंगे । मैं कहना चाहता हूं....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : कि ये इकरारनामा, अध्यक्ष महोदय, मैं विगत सात दिन से प्रताड़ना में हूं.

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप दो मिनट के लिए शांति से बैठें ।

(व्यवधान)

किसी भी विषय को सदन के अंदर तरीके से रखें और सामाजिक सौहार्द में रखें । आप स्थिर से बात करें ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : मैं मर्यादित बातें सुनने के लिए, बताना चाहता हूं, शांति से सुनें सब लोग।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठ जाइये । आप लोगों की मांग पर ही वह बोल रहे हैं । आप उनके पक्ष को जान लें, सुन लें एक बार । माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : शांति से बोलने के लिए इनको शांति से सुनना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप स्थिर से बोलिये ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : बोचहां थाना कांड संख्या 298/20 में मेरा कहीं नाम दर्ज नहीं है । मेरा घर अहियापुर थाना में है मेरा परिसर बोचहां में नहीं है । मेरा घर अहियापुर थाना में है, यह उनके पहले प्रश्न का जवाब है और दूसरा एकरारनामा है, जो पांच साल का एकरारनामा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2021 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

प्रभारी मंत्री, गृह विभाग का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

अपराध नियंत्रण और विधि–व्यवस्था संधारण राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है। राज्य में कानून का राज स्थापित है।

मानव एवं भौतिक संसाधन सुदृढ़ीकरण :–

अपराध नियंत्रण और विधि–व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस बल की आवश्यकता को देखते हुये सरकार द्वारा समय–समय पर पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गयी है। वर्ष 2005 में पुलिस के विभिन्न संवर्गों के 51,046 पद सृजित थे जिनकी संख्या वर्ष 2020 में बढ़ाकर 1,42,216 कर दी गई है। राज्य में आबादी के अनुपात में पुलिस बल की संख्या राष्ट्रीय औसत के स्तर तक लाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष विभिन्न संवर्गों में नियुक्तियाँ की जा रही हैं। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है तथा बिहार आज पुलिस बल में महिलाओं के अनुपात के दृष्टिकोण से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

मानव बल के साथ–साथ पुलिस की गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए पिछले 05 वर्षों में 2000 से अधिक नये वाहनों का क्रय किया गया है और इसकी संख्या लगातार बढ़ायी जा रही है।

पुलिस बल की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। इसी निमित्त राजगीर में बिहार पुलिस अकादमी का निर्माण कराया गया है तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को भी सुदृढ़ एवं सशक्त बनाया जा रहा है।

बिहार पुलिस को विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी सशक्त बनाने हेतु Crime and Criminal Tracking Network System(CCTNS), Emergency Response Support System (ERSS), Dial 100 आदि तकनीकों को बिहार पुलिस द्वारा जोर–शोर से लागू किया जा रहा है।

पुलिस थानों एवं पुलिस केन्द्रों के लिए नये भवनों का निर्माण बृहद पैमाने पर कराया गया है। पुलिसकर्मियों के लिए 15,000 से अधिक बैरेक का निर्माण तथा 1700 से आवासीय यूनिट का निर्माण किया गया है।

<u>साईबर अपराध :–</u>

साईबर अपराध की चुनौतियों को देखते हुए सरकार द्वारा राज्य स्तर पर साईबर थाना का सृजन किया गया है और जिला स्तर पर साईबर क्राइम एवं सोशल मिडिया यूनिट स्थापित की गई है। साईबर अपराध की चुनौतियों का सामना करने के लिए 2000 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल एवं दक्ष बनाया गया है। राज्य स्तर पर साईबर प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है।

<u>अनुसंधान एवं अभियोजन :–</u>

अपराधी को बेहतर अनुसंधान तथा अभियोजन के माध्यम से सजा दिलाना सरकार की प्राथमिकता रही है। इसके लिए समय–समय पर अपराधिक न्याय व्यवस्था के विभिन्न स्तम्भों के बीच सहयोग एवं समन्वय कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किये गये हैं। अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अनुसंधान को विधि–व्यवस्था से पृथक किया गया है। अनुसंधान में लगे पुलिस पदाधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित कराकर उन्हें दक्ष एवं कुशल बनाया जा रहा है जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

<u>विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं श्वान दस्ता :–</u>

विधि विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर क्षमता विकास किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधि–विज्ञान प्रयोगशालाएँ मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में प्रारंभ की गयी हैं। शेष 09 पुलिस क्षेत्रों में भी विधि–विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की सरकार की योजना है।

गंभीर काण्डों के अनुसंधान में श्वान दस्ता द्वारा काफी सहयोग प्राप्त होता है। सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में श्वान दस्ता स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 12 क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय के जिलों में श्वान दस्ते कार्यरत हैं। अन्य जिलों में भी शीघ्र ही इसे स्थापित कर लिया जाएगा।

<u>राज्य में अपराध की स्थिति :–</u>

राज्य सरकार अपराध नियंत्रण के प्रति सजग है। यदि हम राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित वर्ष 2019 के लिए प्रकाशित आँकड़ों को देखें तो अधिकांश अपराध में बिहार राज्य 10वें स्थान के बाद

ही आता है।

फिरौती हेतु अपहरण तथा नक्सली हिंसा के लिए बिहार पहले सूर्खियों में रहता था। वर्ष 2005 में फिरौती हेतु अपहरण के 251 काण्डों की तुलना में वर्ष 2020 में मात्र 42 काण्ड प्रतिवेदित हुये है। इसी प्रकार का सुधार नक्सली घटनाओं में भी हुआ है और नक्सल प्रभावित इलाके लगातार घट रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में जनसंख्या में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि तथा आर्थिक गतिविधियों में व्यापक वृद्धि होने के बावजूद वर्ष–2005 में 3423 हत्या के काण्डों की तुलना में वर्ष 2020 में 3149 काण्ड प्रतिवेदित हुये हैं। पुलिस बल की संख्या तथा संसाधनों में वृद्धि के कारण पुलिस के प्रतिक्रियात्मक समय (Response Time) में भी कमी आयी है। कई गंभीर कांडों का उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी घटना घटने के मात्र चन्द घंटे के दौरान कर ली गई है। गंभीर घटनाओं में त्वरित कार्रवाई की जा रही है और इसका अनुश्रवण पुलिस मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।

<u>आसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण :–</u>

राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है। यदा–कदा साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था, खासकर साम्प्रदायिक घटनाओं में आसूचना संकलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आसूचना संकलन एवं विश्लेषण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है, इसमें निरन्तरता बनाये रखने के लिए Dedicated Closed Cadre का गठन किया जा रहा है, जिसमें दो स्तरों (क्रमशः सिपाही एवं अवर निरीक्षक के स्तरों) पर सीधी नियुक्ति की जायेगी। विशेष शाखा की व्यवसायिक दृष्टिकोण से गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण एवं संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। इससे विशेष शाखा के बहुआयामी आसूचना संकलन, विश्लेषण एवं प्रेषण की क्षमता का विकास होगा।

<u>भू–विवादों का निराकरण :–</u>

हिंसक घटनाओं के विश्लेषण के क्रम में यह पाया गया है कि भू एवं सम्पत्ति विवाद इसके पीछे एक मूल कारण रहा है। अतः सामाज में

सौहार्द एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे इसके लिए भू–विवादों का निराकरण सरकार की प्राथमिकताओं में एक है।

प्रत्येक सप्ताह थानाध्यक्ष तथा अंचलाधिकारी के द्वारा भूमि विवादों की समीक्षा कर समाधान किया जा रहा है। इसका पर्यवेक्षण हर पन्द्रह दिनों पर अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा एवं हर माह जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। मुख्यालय स्तर से भी भूमि विवाद के मामलों में थानाध्यक्ष तथा अंचलाधिकारी की साप्ताहिक बैठक की ऑन–लाईन समीक्षा की जा रही है।

कमजोर वर्गों का संरक्षण :–

राज्य के सभी पुलिस जिलों में कुल 40 अनुसूचित जाति/जनजाति थाने कार्यरत हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार बिहार एक मात्र राज्य है, जिसके सभी जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति विशेष थाना कार्यरत है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में 131 जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति विशेष थाने कार्यरत हैं, जबकि बिहार के सभी 40 जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति विशेष थाना कार्यरत है।

अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा रही है। अत्याचार निवारण हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित **सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की नियमित बैठक हो रही** है। वर्ष 2020–21 में 38.28 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। कुल 2422 पीड़ित व्यक्ति लाभांवित हुए हैं तथा 486 पीड़ितों को नियम के अनुसार पेंशन दी जा रही है।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 15 (1)(घ) के तहत पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक को सरकारी अथवा सरकारी उपक्रमों में रोजगार देने का प्रावधान है। नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल द्वारा इस प्रावधान को लागू कर रोजगार देने का फैसला लिया गया है।

महिलाओं के विरूद्ध प्रतिवेदित अपराधों के पंजीयन एवं अनुसंधान के लिये सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में महिला थाना का सृजन किया गया है। महिला थानों में प्रायः महिला पुलिस पदाधिकारी को ही थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किया गया है।

राज्य के प्रत्येक थाना में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। महिला हेल्प डेस्क का उद्देश्य थाना में शिकायत आवेदन लेकर जाने वाली पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु विधिक परामर्श के साथ–साथ सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध सुविधाओं से अवगत एवं संवेदीकृत करना है। पीड़िताओं को बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर (Compensation) योजना के तहत बलात्कार, तेजाब हमला, छेड़खानी आदि अपराधों के घटित होने पर मुआवजा दिया जाता है।

राज्य स्तर पर दिनांक–08.03.2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग में महिला प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं/परिवारों को परामर्श देने के लिये पारिवारिक परामर्श केन्द्र शुरू किया गया है। इस केन्द्र में पीड़ित महिलाओं/परिवारों को महिला विकास निगम की प्रशिक्षित महिला परामर्शी के द्वारा विधि–सम्मत परामर्श दिया जायेगा।

पूर्ण शराबबंदी के बाद पूर्ण नशाबंदी :–

शराबबंदी के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य में बेहतरी, परिवारों के आर्थिक स्थिति में सुधार, पारिवारिक हिंसा एवं घरेलू कलह में कमी तथा सामाजिक अपराध में भारी कमी आयी है। शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अप्रैल, 2016 से फरवरी, 2021 तक की गई कार्रवाई निम्न है:–

शराबबंदी के क्रियान्वयन में 01 अप्रैल, 2016 से फरवरी, 2021 तक कुल **2,97,745** काण्ड दर्ज किये गये हैं। इस अवधि में कुल **3,46,007** अभियुक्तों की गिरफतारी की गयी है, जिनमें **5,510** अभियुक्त दूसरे राज्यों के हैं। इस कानून के तहत उक्त अवधि में कुल 47,017 वाहनों को जब्त किया गया है। अबतक कुल 3390 भवनों एवं 15,856 वाहनों को राजसात किया गया है।

शराब से संबंधित सूचना देने के लिए मद्यनिषेध लोक आसूचना केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसमें अबतक कुल 57,001 शिकायते दर्ज की गयी है।

शराब के कांडों में त्वरित विचारण के तहत गोपालगंज थानान्तर्गत खजुरबनी गांव में जहरीली शराब से हुई मृत्यु में की गयी कार्रवाई से संबंधित कांड में माननीय न्यायालय द्वारा कुल 09 अभियुक्तों को फाँसी एवं 04 महिला अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गयी है। इसके अतिरिक्त मद्यनिषेध से संबंधित कांडों में 136 अपराधियों को 10 वर्षों से अधिक की सजा हुई है।

मद्यनिषेध कानून में शिथिलता बरतने वाले पुलिस एवं मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के कर्मियों पर भी अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की गयी है। अभी तक पुलिस विभाग के द्वारा कुल 354 पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा 646 के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है। अभी तक 186 पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। 60 पुलिस पदाधिकारियों को 10 वर्षो के लिए थानाध्यक्ष के पद से वंचित किया गया है।

मद्यनिषेध अभियोगों के त्वरित निष्पादन हेतु 74 विशेष न्यायालय खोलने की स्वीकृति दी गयी है, जिसका गठन प्रक्रियाधीन है।

मद्यनिषेध नीति के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु हैदराबाद से विशेष प्रशिक्षित 19 श्वानों की तैनाती क्षेत्र वार की गयी है। यह श्वान दस्ता छिपाकर रखे गये शराब के उदभेदन में काफी प्रभावकारी सिद्ध हो रहे है, जिनके द्वारा अबतक कुल 48723 लीटर शराब की बरामदगी किया गया है तथा 538 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है।

— — —

प्रभारी मंत्री, गृह के लिये बिहार विधान सभा बजट सत्र के दौरान अभिभाषण हेतु मुख्य बिन्दु

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019 में प्रकाशित ऑकड़ों के अनुसार कुल संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय अपराध दर यानि अपराध की संख्या प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 385.5 है। वर्ष–2019 में 224.0 अपराध दर के साथ बिहार राज्य का स्थान 25 वॉं है। राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में महिला थाना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति थाना कार्यरत कराया गया है। थाना, अंचल, अनुमंडल, जिला, पुलिस क्षेत्र तथा पुलिस मुख्यालय के पुलिस पदाधिकारी जनता दरबार में जनशिकायत सुन रहे हैं तथा शिकायतों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा शिक्षा का प्रसार हुआ है, जिसके फलस्वरूप जनता भयमुक्त होकर थाना में अपना शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इसके फलस्वरूप वर्ष 2005 के दौरान भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के तहत बिहार में कुल 97850 काण्ड दर्ज हुये। वर्ष 2019 के दौरान भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के तहत बिहार में कुल 197935 काण्ड दर्ज हुये। इस प्रकार भा0द0वि0 के तहत दर्ज अपराधों में वर्ष 2019 में 2005 की अपेक्षा 102.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार की नीति रही है कि अपराध का मुक्त रूप से पंजीकरण हो तथा उसका अनुसंधान त्वरित एवं प्रभावकारी ढंग से हो।

बिहार राज्य की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2019 में 1201.1 लाख तथा वर्ष 2020 में 1231.1 लाख है। वर्ष 2019 में **संज्ञेय अपराध** दर 224.04 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 209.17 हो गया।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019 का प्रकाशित ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में बिहार राज्य **हत्या** शीर्ष में 2.61 अपराध दर के साथ 10वॉं, **डकैती** शीर्ष में 0.33 अपराध दर के साथ 10वॉं, **लूट** शीर्ष में 2.0 अपराध दर के साथ 12वॉं, **गृहभेदन** शीर्ष में 3.83 अपराध दर के साथ 29वॉं, **चोरी** शीर्ष में 29.1 अपराध दर के साथ 13वॉं, **अपहरण** शीर्ष में 9.1 अपराध दर के साथ 10वॉं तथा **बलात्कार** शीर्ष में 1.21 अपराध दर के साथ 31वॉं स्थान पर है।

हत्या शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 2.61 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 2.56 हो गया है। **डकैती** शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 0.33 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 0.18 हो गया है। **लूट** शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 2.0 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 1.54 हो गया है। **गृहभेदन** शीर्ष में वर्ष 2019 में

अपराध दर 3.83 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 3.27 हो गया है। **चोरी** शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 29.11 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 25.97 हो गया है। **अपहरण** शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 9.1 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 6.5 हो गया है। **बलात्कार** शीर्ष में वर्ष 2019 में अपराध दर 1.21 था, जो वर्ष 2020 में घटकर 1.17 हो गया है।

फिरौती हेतु अपहरण के लिये बिहार काफी चर्चित रहा है। वर्ष 2005 में फिरौती हेतु अपहरण के 251 काण्ड प्रतिवेदित हुये थे, वहीं वर्ष 2020 में मात्र 42 काण्ड प्रतिवेदित हुये हैं। 42 काण्डों में 46 अपहृतों में से 45 अपहृतों की बरामदगी की गयी है तथा कुल 115 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। सभी 42 काण्डों का उद्भेदन किया गया है। दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा थानाक्षेत्र से अपहृत स्वर्ण व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत साहेबगंज थानाक्षेत्र से 01 करोड़ रूपये की फिरौती के लिये अपहृत 11 वर्षीय छात्र, सारण जिलान्तर्गत कोपा थाना क्षेत्र से अपहृत हरियाणा के ट्रान्सपोर्टर सुधीर कुमार, रूपसपुर (पटना) थानान्तर्गत अपहृत अभिषेक कुमार, बेतिया जिलान्तर्गत नवलपुर थानाक्षेत्र से अपहृत प्रिंन्स कुमार आदि काण्डों में घटना के घटित होने के कुछ ही घंटों के अन्तर्गत अपहृतों की सकुशल बरामदगी की गयी, काण्ड में संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी तथा घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र की बरामदगी की गयी।

अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था पृथककरण का प्रभाव

राज्य में दिनांक–15.08.2019 को अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था को पृथककरण किया गया। पृथककरण के बाद अनुसंधान में 4661 पुलिस पदाधिकारियों को तथा विधि–व्यवस्था में 2797 पुलिस पदाधिकारी लगाये गये।

अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था पृथककरण के बाद विधि–व्यवस्था में लगाये गये पुलिस पदाधिकारियों द्वारा किये जा रहे अनुसंधानित काण्डों का अनुसंधान भार अनुसंधान इकाई में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों को देने के कारण अनुसंधान इकाई में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों पर अनुसंधान भार बढ़ गया। मार्च 2020 के पश्चात् कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन के प्रभावकारी प्रवर्तन के लिये अनुसंधान इकाई में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों का भी उपयोग विधि–व्यवस्था के कार्यों में किया गया। विधान सभा चुनाव–2020 के दौरान भी अनुसंधान इकाई के पदाधिकारी विधि–व्यवस्था एवं चुनाव कार्य में लगे।

पुलिस मुख्यालय द्वारा लम्बित काण्डों की संख्या में कमी लाने के लिये क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक से अंचल निरीक्षक तक के पर्यवेक्षी पदाधिकारियों को काण्डों की गहन समीक्षा तथा निष्पादन का निर्देश दिया गया। इसके फलस्वरूप माह जनवरी, 2021 में लम्बित काण्डों की संख्या में 5609 काण्डों की गिरावट आयी है।

अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था पृथक होने के बाद आसूचना संकलन में वृद्धि हुई है। इस कारण सभी गंभीर एवं सनसनीखेज काण्डों का उद्भेदन एवं उसमें शामिल अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी तीव्र एवं त्वरित रूप से की गयी है। दिनांक–09.03.2021 को उड़ीसा राज्य में हुये सोना लूटकाण्ड में गोपालगंज पुलिस द्वारा लूट के सोना के साथ 03 कुख्यात एवं अन्तराज्यीय अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। कोचाधामन (किशनगंज) में गृह डकैती कांड का 72 घंटे में सफल उद्भेदन करते हुए लूटी गयी सम्पत्ति की बरामदगी कर सभी अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी। सूर्यगढ़ा (लखीसराय) में पिकअप भैन के चालक की गोली मारकर हत्या करने एवं पिकअप भैन की लूट के कांड का 48 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन कर अवैध आग्नेयास्त्र एवं घटना में प्रयुक्त गाड़ी की बरामदगी की गयी। दिनांक–09.03.2021 को मुंगेर जिला अन्तर्गत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 5.54 लाख रूपये की लूट की घटना का पुलिस द्वारा घटना के दिन ही सफल उद्भेदन करते हुये 03 अपराधकर्मियों को 04 देशी आग्नेयास्त्र, 4.36 लाख रूपया को गिरफ्तार किया गया।

आधिकारिक तौर पर अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था पृथक होने के बाद अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि पर कोई अध्ययन नहीं हुआ है, परंतु वर्ष–2019 एवं 2020 में अनेक ऐसे काण्ड प्रकाश में आये हैं, जिनमें पुलिस द्वारा त्वरित उद्भेदन एवं कार्रवाई की गयी तथा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को फॉसी तक की सजा दी गयी है।

पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारियों के लिये सेवाकालीन आवृत्ति प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत उन्हें पूरे सेवाकाल में 02 बार प्रथम आवृति प्रशिक्षण 07 से 10 साल की सेवा के बीच तथा द्वितीय अवृति प्रशिक्षण 14 से 18 साल की सेवा के बीच करना अनिवार्य होगा। इसे शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा।

राज्य सरकार के स्तर से पुलिस बल को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने के लिये मानव बल का सृजन, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित किया गया है।

अपराध अनुसंधान विभाग के उच्चतर प्रशिक्षण विद्यालय में दिनांक–08.01.2021 से अनुसंधान इकाई में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों के लिये 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो लगातार जारी रहेगा। इस प्रकार अनुसंधान से जुड़े पुलिस पदाधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें अनुसंधान में दक्ष एवं निपुण बनाकर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित कराया जा रहा है, ताकि बेहतर अनुसंधान के आधार पर अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाया जा सके।

सैप संबंधित प्रतिवेदन

- आरक्षी के रिक्त पदों को भरने हेतु वर्ष 2004 में विज्ञापन सं. 1/2004, 02/2004 एवं 03/2004 प्रकाशित की गई थी तथा प्रारंभिक तौर पर नियुक्ति की कार्रवाई भी हुई थी, परन्तु शारीरिक जाँच एवं माप कार्य में विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार को अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई, जिसपर विचारोपरान्त राज्य सरकार ने नियुक्ति की पारदर्शिता बनाये रखने हेतु पूर्व के विज्ञापनों को यथावत् रखते हुए आवेदन पत्रों की पुनः जांच कराने एवं नियमानुसार सही पाये गये आवेदन पत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों की पुनः शारीरिक जांच/माप कराने का निर्णय लिया। एतद् संबंधी निर्णय विभागीय संकल्प संख्या 249/गृ.स.को. दिनांक 24.02.2006 द्वारा निर्गत किया गया।
- नियुक्ति हेतु इन प्रक्रियाओं को पूरा करने एवं नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण कार्य को पूरा करने में काफी समय लगने की संभावना को देखते हुए बिहार पुलिस में 10,000 से भी ज्यादा रिक्तियों के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति/ नियोजन करने का निर्णय बिहार सरकार का संकल्प सं. 3379 दिनांक 27.03.2006 द्वारा लिया गया।
- मार्च 2006 में 5000 स्वीकृत सैपकर्मियों के विरूद्ध 5000 सैपकर्मियों को अनुबंध पर नियोजन किया गया।
- मार्च 2006 से 2009 तक 12000 स्वीकृत सैपकर्मियों के विरूद्ध कुल 3618 सैपकर्मियों का नियोजन किया गया।
- वर्तमान में बिहार पुलिस में 44 जे.सी.ओ. 4565 जवान एवं 43 कुक कुल 4652 सैपकर्मी कार्यरत है।

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

विषयः भारतीय सेना से सेवा-निवृत्त पाँच हजार सिपाहियों को अनुबंध पर प्राप्त कर बिहार पुलिस में स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) के गठन के संबंध में।

बिहार पुलिस एवं बिहार सैन्य पुलिस में वर्तमान में रिक्तियों की संख्या लगभग 10,000 (दस हजार) से भी अधिक है। इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियाँ उपलब्ध रहने के कारण राज्य की विधि-व्यवस्था के संधारण एवं अपराधिक/हिंसक गतिविधियों से निपटने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

2- आरक्षी के रिक्त पदों को भरने हेतु वर्ष 2004 में विज्ञापन सं0-1/2004, 2/2004 एवं 3/2004 प्रकाशित की गई थी तथा प्रारंभिक तौर पर नियुक्ति की कार्रवाई भी हुई थी, परन्तु शारीरिक जाँच एवं माप कार्य में विभिन्न स्तरों से राज्य सरकार को अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई, जिसपर विचारोपरांत राज्य सरकार ने नियुक्ति की पारदर्शिता बनाये रखने हेतु पूर्व के विज्ञापनों को यथावत् रखते हुए आवेदन पत्रों की पुनः जांच कराने एवं नियमानुसार सही पाये गये आवेदन पत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों की पुनः शारीरिक जांच/माप कराने का निर्णय लिया। एतद् संबंधी निर्णय विभागीय संकल्प संख्या-249/गृ.स.को. दिनांक 24.02.2006 द्वारा निर्गत किया गया।

3- नियुक्ति हेतु इन प्रक्रियाओं को पूरा करने एवं नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण कार्य को पूरा करने में काफी समय लगने की संभावना है। दूसरी ओर राज्य की विधि-व्यवस्था का संधारण एवं अपराधिक/हिंसक गतिविधियों से निपटना भी सरकार के लिये चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिये सरकार वचनबद्ध है।

4- अतः राज्य की विधि-व्यवस्था का संधारण एवं अपराधिक/हिंसक गतिविधियों से निपटने हेतु राज्य सरकार ने, पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया है कि भारतीय सेना से सेवा-निवृत पाँच हजार (5000) सिपाहियों को एक वर्ष के लिये अनुबंध पर प्राप्त कर बिहार पुलिस में स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) का गठन किया जाय। आवश्यकतानुसार इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। सेना से सेवा-निवृत्त एवं अनुबंध पर रखे गये भूतपूर्व सैनिकों को निम्नांकित सुविधायें देय होंगी।

(i) प्रत्येक को एक मुश्त 10,000/-(दस हजार) रुपये प्रति माह अनुबंध राशि,
(ii) वर्दी एवं जूता आदि हेतु 2600/-(दो हजार छः सौ) रुपये एकमुश्त राशि,
(iii) कर्तव्य के क्रम में यात्रा एवं दैनिक ठहराव भत्ता, जो बिहार पुलिसकर्मियों को देय है,
(iv) कर्तव्य पर मारे जाने पर प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक के आश्रित को 10,00,000/-(दस लाख) रुपये अनुग्रह अनुदान
(v) कर्तव्य पर नियुक्त प्रत्येक सैनिक को एक वर्ष में केवल 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश

5- इन्हें विशेष पुलिस अधिकारी (Spl. Police Officer) के रुप में शक्ति प्रदत्त की जायेगी।

6- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

7- इस हेतु प्रावधानित राशि पर सीधा नियंत्रण महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना का होगा तथा राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आरक्षी उप महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना होंगे एवं जिला स्तर पर जिला के आरक्षी अधीक्षक होंगे।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागीय सचिवों/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(रमेश लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4/ब2.1023/2006-गृ.आ. / पटना दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की 1000 प्रतियाँ कार्यालय उपयोग हेतु गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
(रमेश लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4/ब2.1023/2006-गृ.आ. 3371 / पटना दिनांक- 27/03/06

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/ आरक्षी उप महानिरीक्षक(प्रशासन), बिहार, पटना/ सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/ सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/06
(रमेश लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव